RAJYA SABHA

Monday, me 1st September, 1997/ 10 Bhandra, 1919 (Saka) The Howe met at eleven of the clock, The Vlee-Chairman, Shri Ajit

DISCUSSION ON PARLIAMENTARY DEMOCRACY—CONTD.

श्री राजनाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आयोजित इस विशेष सत्र में बोलते हुए अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हैं। आपने मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए सभव दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सब से पहले मैं उन शहीदों को, जिन्होंने आजादी हासिल करने के लिए अपनी जाप कुर्बान की उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और आजादी हासिल करने में पगथम पंक्ति के जो नेता वे महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद, डा0 अंबेडकर, राजा जी, डा0 श्यामा पगसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय आदि-आदि,इन सभी नेताओं के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मैं उक्त देशवासियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य भारत के दो स्वतंत्रता सेनानी जो इतिहास के पन्नों तक नहीं पहुंच सके उनके नाम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। मध्य भारत की दो महिला वीरांगनाएं, एक थी लोधी राजदूत परिवार में जन्मी रानी अवन्तीबाई और दूसरी कोरी बुनकर परिवार में जन्मी वीरांगना झलकारी बाई,जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सक्रिब योगदान दिया। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजली व्यक्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जो हम सब को संविधान प्राप्त हुआ हैं वह मानवीय और नैतिक मूल्यों पर आधारित अनोखा संविधान हैं। स्वंतंत्र भारत का यह संविधान हम सब के लिए बाईबल हैं, कुरान हैं, गीता हैं, रामायण है और गुरूमंत्र के समान हैं। महोदय, मैं इस अवसर पर संविधान निर्माताओं डा0 अम्बेडकर और उन के सभी सहयोगियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करात हूं जिन्होंने एक ऐसा अनोखा संविधान इस देश को दिया।

महोदय, मैं सर्वप्रथम संविधान की उद्देशिका याना प्रिएंबल की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिस में न्याय,- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं समानता,-प्रतिष्ठा और अवसर की बात कही गयी हैं। लेकिन आज हमें आत्म-जिंतन करना हैं कि क्या हम अपने सभी देशवासियों को यह दे पाए हैं? महोदय, उत्तर स्पष्ट है कि उन की उपलब्धि कराने में हम सफल नहीं हुए हैं। इस देश की वह 37- करोड़ जनता जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन को पिछले 50 वर्षों में हम मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए हैं और वह मूलभूत क्षेत्र हैं। बेसिक शिक्षा, नौकरी व रोजगार और पेयजल। मैं विशेषकर उन पिछड़े और दलितों की बात कर रहा हूं जिन को न्याय नहीं मिला और बराबरी के सामान अवसर नही मिले। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि संविधान में उन्हें राजनीति और सेवाओं में आरक्षण मिला। महोदय, मैं स्वयं को केवल सेवाओं के आरक्षण तक सीमित रखना चाहूंगा। सेवाओं में यह आरक्षण वर्ष 1955 से मिला और इस की सीमा 10 वर्ष रखी गयी। महोदय, संविधान निर्माताओं के मन में यह बात रही होगी कि दलितों को एक समान अवसर और आरक्षण की सुविधा देकर हम उन्हें 10 वर्षों में "एट पार" इसलिए उन्होंने 10 वर्ष की समय-सीमा रखी। अब वह सीमा पार हो चुकी हैं और यह बढ़ते-बढ़ते 50 साल तक पहुंचने वाली है, लेकिन आज भी जो ग्रुप "ए" सर्विससेस हैं, उन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उन का प्रतिशत केवल 8 हैं। वह खेद की बात हैं। उन्हें मिलना चाहिए था 15 प्रतिशत यद्यपि दलितों की आबादी, शेडयूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों को मिलाकर करीब 25 प्रतिशत होती हैं। इब इस के लिए कौन दोषी हैं? दोषी हम सब हैं, लेकिन विशेषकर मैं कार्यपालिका के प्रति संकत करना चाहता हूं और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वह दोषी हैं। उन की यदि इच्छा-शक्ति होती, यदि उन की नीयत होती, मेंटेलिटी होती तो यह सब देने के बाद वह ऊपर उठकर आ गए होते।

महोदय, सर्विसेस मैं सूटेबिलिटी की बात की जाती हैं। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं हैं। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें जो राजनीतिक आरक्षण मिला उस में लोक सभा या विधान सभा की जो आरक्षित सीट होती है, उस पर सभी आरक्षित वर्ग के लोग चुनाव लड़ते हैं और वहां की जनता उन को चुनकर भेजती हैं जिस को वह अच्छा समझती हैं। महोदय, यहां मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आरक्षित सीट पर चुनकर आते हैं उन के परफॉमेंन्स में कोई कमी

नहीं होती हैं। उन को मौका मिलता हैं और वह आगे आते हैं। महोदय, मैं सरकार से निवेदन के रूप में अपील के रूप में कहना चाहूंगा कि यदि पॉलिटिकल रिजवेंशन में इस प्रकार की बात है तासे सर्विसेस में यह बात क्यों नहीं हो सकती। महोदय, मो मैं विश्वास के साथ कह सकत हूं कि वह अपने दायित्व में खरे उतरेंगे

महोदय, मैं यहं सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि 1997 (3) स्केल (SCALE) पेज 289 पर दी गयी हैं। इस जजमेंट का नाम हैं-अशोक कुमार गुप्ता वर्सस उत्तर प्रदेश। महोदय, इस केस में तीन जजेज की बेंच ने यह निर्णय दिया था

जस्टिस के0 रामास्वामी, जस्टिस एस0 सागिर अहमद और जस्टिस जी0 बी0 पटनायक।

महोदय, पैरा 34 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैं-

"The question then is: what is the meaning of the phrase 'efficiency of administration'? In D.T.C. case, it was observed in para 275 that "the term 'efficiency' is an elusive and relative one to the adept capable to be applied in diverse circumstances. If a superior officer develops liking towards sycophant, thought corrupt, he would tolerate him and find him to be efficient and pay encomiums and corruption in such cases stand no impediment. When he finds a sincere, devoted and honest officer to be inconvenient it is easy to cast hinvher off by writing confidential reports with delightfully vague language imputing to be 'not up to the mark' 'wanting public relations' etc. At times it may not interfere with the honest endeavours of the Government to find answers and solutions. We do not mean to say that efficiency in the civil service is unnecessary or that it is a myth. All that we mean to say is that one need not make a fastidious fetish of it ...."

महोदय, एक पैरा से और चार लाइन उद्धृत करना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) श्री कोविन्द आप बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, परन्तु आपकी पार्टी ने एक-एक व्यक्ति को दस दा मिनट के लिए कहा हैं। आपके दस मिनट हो गए। कृपया अब आप समाप्त करने की कोशिश करें

श्री रामनाथ कोविन्द : महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पैरा 38 में कहा गया हैं।

"Efficiency in service attracts the well-known parabole that insanity cannot be cured until married and marriage cannot be celebrated tillSnsanity is cured. Unless one is given opportunity and facility by promotion to hold an office or a post with responsibilities, there would be no opportunity to prove efficiency in the performance or discharge of the duties. Without efficiency one cannot be promoted. How to synthesise both and give effect to the Constitutional animation to effectuate the principle of adequacy of representation in all posts or classes of posts in all cadres, service or grade is the nagging question..."

महोदय, मेरा कहने का अभिप्राय यही हैं कि यदि हमें अवसर मिलता हैं तो हम किसी से भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। अब मैं अन्तिम बिन्दु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले पांच दिनों से यहां काफी चर्चा चल रही हैं। जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन मुद्दों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि सांसदों के दायित्वों, कर्त्तव्यों के स्तर में बहुत गिरावट आई हैं। जो हम लोग यहां पर भाषण देते हैं, उनकी जो गुणवत्ता हैं, उसके स्तर में कमी आई हैं। यह बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा क्योंकि हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, रामजन्म भूमि- बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, पापुलेशन का मुद्दा उठाया, लेकिन जो अपने आपकी बात हैं इंटरोसपेक्शन, उसकी बात कभी नहीं की।

महोदय, हमारे जो भाषण होते हैं उसमें नेशनल परस्पेक्टिव नहीं होता, जिसको हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण की कमी कह सकते हैं। सत्ता पक्ष के मंत्रियों का जो परफोरमेन्स हैं उसमें गिरावट आई हैं,नौकरशाही पर निर्भरता अधिक बढ़ी हैं जो स्पेशल मेंशन, जीये अवसर

सबमिशन हम लोग यहां उठाते हैं उनमें सरकार का कोई प्रभावी रेस्पोन्स नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं कि हमको जो आश्वासन दिए जाते हैं। उनमें दिनों-दिन बढ़ोत्तरी होती जाती है, कोई फॉलोअप एक्शन नहीं होता। यदि होता है तो इतनी देर से, कि उसकी अहमियत ही समाप्त हो जाती हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : कृपया अब सामप्त करें।

श्री रामनाथ कोविन्द : महोदय, अन्त में, मैं कुछ सुझाव के रूप में रखते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि संसदीय कार्यों को और कैसे सार्थक बनाया जाए। मेरा कहना यह है कि चैरिटी बिग्नेस एट होम। हमने जो यहां बहुत सारी बातें कहीं, उनका सीधा हमसे संबंध नहीं हैं, लेकिन जो हमसे संबंध हैं वह ससंदीय प्रणाली को मजबूत बनाने से हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि संसदीय चर्चा में हम संयम रखें, जैसा अभी हमने पिछलें पांच दिनों मे देखा कि बिना इंटरपान के चर्चा हुई और हमने राष्ट्रीय परस्पेक्टिव पर डिसकशन किया, हम बहुत कुछ प्राप्त कर सके। महोदय, हम प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन जो उसमें हम डिसआर्डरली सीन क्रिएट करते हैं, वह हम क्रिएट न करें और यदि हमें प्रोटेस्ट ही करना हैं तो उसका एक अच्छा तरीका हैं कि हम वाक-आउट करें, अपने संसदीय कार्यों में जो हमारी रूचि हैं, उसमें हम बढ़ोत्तरी करें, देश में जो विधायिका की जवाबदेही हैं, उसकी भावना को बढ़ाएं और जो समय हमें मिलता हैं, उसका अधिक से अधिक उपयोग करें।

महोदय, संसद की भूमिका गंगोत्री के समान हैं, यदि हमारे कार्यों में पवित्रता ईमानदारी और राष्ट्रीय परिवेशता हैं यदि हमारी गतिविधियां भ्रष्टाचार रूपी प्रदूषण से मुक्त होंगी तो निश्चित ही हम देश को हर क्षेत्र में खुशहाल बना पाएंगे।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI) Since we have to finish the debate today before four o'clock, a* Member who speaks, should exceed tea minutes. Please remember this.

SHRI V. N. GADGIL (Maharashtra): Sir, at the outset, I would like to pay my tributes to all the freedom fighters who enabled us to celebrate the 50th Anniversary of our Independence. I would like to express my gratitude to the Chair for arranging this aecate on self introspection.

The topic that we are supposed to discuss is Working of Parliamentary Democracy. What do we mean by parliamentary democracy? I will not define terms because I have been a lawyer for 30 years and a professor for five years and you know what happens to these people when they start defining terms.

Some years ago, a sugarcane grower filed a writ petition in the Bombay High Court. The question for consideration before the two Judges was: what is the definition of "vegetable" under the Sales Tax Act? A number of lawyers on this side and a number of lawyers on that side argued and argued. Dictionaries were quoted, authorities were cited and precedents were enumerated. At the end of 15 days' elaborate arguments, the two distinguished Judges of the Bombay High Court solemnly declared that sugarcane was a vegetable. This is what happens to lawyers.

With due apologies to professors, I want to remind a story about Hegel, guru of Karl Marx. He was a professor. One of bis students fell in love. He went to Hegel and said, "Sir, I have fallen in love, but I do not know what love is." After all, Hegel was a professor. He said, "Young man, don't worry. I wist define for you what love is. Love is the ideality of the reality of the infinitesimal ftortion of the absolute totality of the infinite being."! I do not know what it means. But this is what happens to professors.

Therefore, I will only describe the parliamentary system. At stated intervals there will be elections to the legislature. The party which gets majority, forms the government and rales tin it enjoys the confidence of the House. Therefore, the essence of the parliamentary form of government is accountability. The government is answerable, responsible and accountable to the legislature.

Let us apply some test to our performance for the last fifty years. What is the role of Parliament? What are the tasks?

What are its functions? Before I go into that, two things are necessary (or the success of parliamentary democracy. Number one, Parliament mutt remain the centre of political gravity. It is a non-violent substitute for revolution. Parliament has to be used as an instrument, a nonviolent instrument of socio-economic reform. Therefore, Parliament must remain the centre of political gravity. The centre must not shift outside to *satyagrah, more-ha* and that kind of thing. Therefore, Dr. Lohia's concept of ultra-parliamentary and extra-constitutional acts has no place in the working of parliamentary democracy. And the second requirement is strict adherence to the rules and procedures of Parliament.

Now, with this background, let us see what we have done in the last SO years. What is the role of Parliament? In the first place, Parliament has to protect the liberties and democratic rights of the people of India.

Secondly, it has to control the Government, 'keep the Government accountable. Thirdly, it has to maintain the rule of law. Fourthly, it has to protect various institutions, independent judiciary, apolitical civil service and a free press. Lastly, it has to maintain a secular democratic plural soceity. What is our performance in this respect in the last SO years?'I would like to say that our system has worked fairly well and tried to achieve these five objectives and played its role correctly. Then, what are the functions of the Parliament According to me, there are five functions. The first is, since it is the legislature, it has to legislate. Secondly, it has to control the executive. Thirdly, control of public purse. Fourthly, to ventilate people's grievances and the last, what Churchill called, to provide a Grand Inquest of the nation and Grand Forums of the Nations and in the last five days that is precisely what we have done.. That we have done very well in the last five days.The first function, some may be surprised to hear my statement that legislature no longer legislates. Take any parliamentary democracy. Only the broad framework is laid down and the detailed legislation is made by rules under rule making clause, or what is called delegated legislation. Under that rules are made and the irony is, the people who are our representatives do not make the rules which govern your or my life. It is some Tahsildar or Municipal Commissioner who makes these rules and they are governing my life and there is the danger. Here, our performance is not to my satisfaction. We do not keep enough vigilance about delegated legislation. All kinds of abuses are made. I was Chairman of the Committee of Delegated Legislation for two years. We found instances where officers took to themselves powers under rules which were not given to them by the Act. There is an abuse in delegated legislation and they have vested interest in framing them in such -a way that nobody understands. I would quote a classic one from British history. This has gone into the Guinness Book of World Records. This is how they make laws so that nobody understands and they alone understand and they themselves can interpret anyway they like. This is bureaucracy. The rule is in the Guinness Book of Records: "In the 'Nuts* (underground) (other than groundnuts) order, the expression 'nuts' shall have the same reference to such nuts other than groundnuts, but for this amendment order not qualify as nuts (underground) (other than groundnuts) by reasons of their being nuts underground." Two judges of the British High Court expressed helplessness. They said that this is something which they can never interpret. This is how it has gone into the Guinness Book of Records. This is what bureaucracy is. The second faction is control of executive. Again, some may be surprised at my statement that this has become almost academic. In every parliamentary democracy, it is the Government that controls the Parliament, instead of the Parliament controlling the Government. Control of Parliament is in latent, occasional and not everyday. Therefore, we have not performed very

well in this respect. The third is control of public funds. For that we have Public Accounts Committee. It produces a report but its nature is *post mortem.* The real financial control is rarely exercised by Parliament except through questions, calling attention and other methods when you expose financial misfeasance, malfeasance and various scams, that is what we have done. Here we have done fairly well in the last fifty years. The last function is, ventilating people's grievances. Here, I think, we have done remarkably well. In everyday'! Question Hour, we expose many things and protect individual citizen's rights and I do claim that our performance in this respect is even better than that of the House of Commons. The House of Commons does not perform this much effectively this function. These are the five functions which were performed in fifty years.

Then let us sec what other institutions come in. Parliament does not function in a vacuum. It has to react with the judiciary, with the civil service, with the media and so many other things. What is our performance in the last 50 years. The judiciary is gradually encroaching on our field and we have been complacent. Judicial populism may soon generate into judicial tyranny. Therefore, we have to be vigilant that we do not interfere in the field of the judiciary, but also notallow the judiciary to encroach on our field. That-is the task before us.

The second institution is that of the civil servants. I have already mentioned how they behave, how far Parliament controls it. It is very little. The bureaucracy does what it likes and it acts very blindly. Rules are made. They go according to the rales. They do not bother to question whether the rules are for men or men are for the rules. If you permit me, Sir, to strike a personal note, I will narrate an incident. In 1958, when I was a young practising barrister in the High Court, my father was appointed the Governor of Punjab. In December, 1958, I went to Chandigarh. When I reached there, the Military Secretary came with a file. He said, "Your approval is necessary." I said, "Who am I? I am nobody'*. He said. The Prime Minister of another country is coming. A dinner is arranged. The menu is prepared. And your approval is necessary for the menu." I said, "How am I concerned?". He said, There is a rule that when the eldest male member of the Governor's family is in station, his approval should be sought" I checked the menu and 1 told the Military Secretary, "I am very fond of fish. There is no fish here. Shall I say fish should be included?". He said, "Please do not." I asked, "Why?". He replied, The file will go down. The Head Cook will make a query whether it is river fish or sea fish. Then the file will go to the P.A., the Military Secretary, the ADC, the Joint Secretary and to the Private Secretary. Then the query will be if you say, 'Sea fish', under what rule it can be brought by a plane from Bombay and the rule will be ambiguous and the department will refer it to the Law Ministery for interpretation. And, by the time the file comes back, the Prime Minister would have come, had his dinner and gone back to his country." Then I had nothing else to do. I started doing research. Do you know what I found? Somewhere in 1906, when the capital of Punjab was Lahore, a British Governor's son came to India, stayed in the Government house; he did not like the menu; he complained to his mother; the mother talked to his father; and the father made the rule that when a male member was in station, his approval should be sought. That was followed blindly for 75 years. That is our bureaucracy. We have to deal with the bureaucracy also. *(Interruptions).*

I have dealt with the civil servants. Then comes the media and the intellectuals. It is a fashion among them to denigrate the M.Ps. I would like to tell them what a distinguished British journalist has said. He has said: "A people which holds its freely elected governors in contempt has taken the first step towards rejecting free institutions. It is one thing to scrutin-

ise the activities of individual Members of Parliament. It is quite another to criticise the activity of being a Member of Parliament. It is one thing to look at Parliament with a cool, comprehensive and sometimes cynical eye. It is quite another to belittle Parliament." "Member of Parliament practise the daily business (which is not always savoury) of making free Government which we enjoy possible. The first duty of those who are not Members of Parliament is to understand what they are doing." Sir, another distinguished Constitutional lawyer, Sir, Ivor Jennings said, "The worst that can be said about Members is that they are ordinary people with a fairslice of ambition. It is also the best, the enduring virtue of Parliament is that it has been composed, largely of ordinary men, of ordinary talents; that they are ordinary people, that they can react as ordinary people, not only at moments of crisis but especially at moments or crisis is their value, their virtue, although they are seldom given it their glory. This ordinariness which is made a subject of ridicule is really the essence of parliamentary democracy. Finally, Sir, this House has to perform, I will not elaborate much, I will make eight suggestions and after those eight suggestions, I will conclude. My first suggestion is, the quality of Members has to improve and for that two things are necessary. Barring criminals for contesting elections and State financing of elections. Today it is the money power and the muscle power which are dominant. Today, politics is, with money you acquire power and with power you acquire money. A person like me gets suffocated in this atmosphere. So State financing. Second, annual declaration by M.P.s of their assets and liabilities. Third Ethics Committee, of Rajya Sabha and Lok Sabha. Fourth, a code of conduct for M.P.s. Fifth, norms of behaviour in the House. After 1971, a change has come. Till 1971, elections to Assemblies and Parliament were held together. They were separated. The result is, people expect much more from an M.P. than before. We have almost become welfare officers of the constituency. So something has to be done for this. Then/the Standing Committees have to be strengthened. \ Their power have to be increased and they should be accountable. As I said, accountability is the essence of parliamentary democracy. Finally—I have no time to elaborate—a drastic change in the procedure in the House is necessary. What I mean is, we spend too much time in the House on legislative business. Let us introduce a Bill and immediately send it to the relevant Committee. Let the report come back. Ninety per cent reports are unanimous. Immediately pass it and concentrate on the other two functions, ventilating of grievances and controlling the Government. On that let the Parliament consider and conclude. Lastly, when I look to the Parliament and the role it is expected to play and the task it is expected to play, I am reminded of an instance about Winston Churchill. During the First World War in March 1917 when England .was in danger and Germany seemed to be triumphant....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P*K. JOGI): Please conclude.

SHRI V.N. GADGIL: Yes, yes, I am concluding, in March 1917 Churchill took one M.P., Macallum and he describes in his diary what Churchill did. The M.P. in his diary says, "As we were leaving the House that night, Churchill called me into the Chamber, to take a last look around the Parliament Chamber. All was darkness except a ring of faint light all around under the gallery. We could dimly see the tables but the walls and roofs were invisible." 'Look at it,' Churchill said. This little place is what makes a difference between us and Germany. It is by virtue of this that we shall muddle through to success and to the lack of it would lead the Germans, despite their brilliant efficiency, to a disaster. This little room is the shrine of world's liberties. Let our successors in 2047 say the same thing when they celebrate centenary of freedom that this little House is the

guarantor of the liberties of the people of India.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Now, Shri Ramakrishna Hedge. Mr. Hedge, you have to confine yourself to the time-limit of 10 minutes.

SHRI RAMAKRISHNA HEDGE (Karnataka): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir.

I join my other hon. colleagues by paying my homage, tribute to those people who sacrificed their lives during the freedom struggle but for whose sacrifices we would not have been here in this House today. In the last SO years after freedom, our country has gone through various political vicissitudes. When we look back, we have a mixed feeling in our hearts in that while we feel proud of certain achievements, we also feel that in certain other areas we have to feel ashamed because of our failures.

I compliment and thank the Chairman of this House and the Speaker of Lok Sabha for arranging this Special Session to discuss various national issues. There has been some criticism in the Press that this is an exercise in futility; a lot of public money is being wasted. They even calculated how much money has been spent in discussing various matters. Nobody says that democracy is the cheapest form of governance. Democracy is expensive. But democracy is democracy. I would like to suggest that the practice that has been started in the 50th year of our independence, the practice of holding a Special Session of Parliament, to discuss various issues should be continued. If possible, 4-5 days should be set apart every year to discuss certain specific issues—not general issues—like illiteracy, provision of minimum needs to people like drinking water, etc., so that on these issues the Government can find a consensus on the basis of which it can prepare time-bound schemes for solving them as early as possible. It is not a matter of great pride that after 50 years of freedom there are about two lakh villages in our country where people do not get potable drinking water.

Sir, we have seen the working of our Constitution during the last 47 years. I think a time has come when we should have a second look at our Constitution. No doubt, our Constitution is a beautifully prepared document, but still in the light of our experience of the working of the Constitution and the working of the system that we have adopted, it is necessary to have another look at it. It is necessary to have another look at the Constitution and I would request both the Chairman and the Speaker to appoint a Committee of experts, in consultation with the Government, so that whatever loopholes we have, whatever drawbacks we have found during the last fifty years, could be corrected. How democratic is our democracy? This is the question we have to put to ourselves today. There have been claims that the sovereignty of Parliament should be protected. Parliament is sovereign. On several occasions, I had to say that if real sovereignty is to be established, we have to take into account the importance of people. It is the people who are sovereign and they cannot be delegated to anybody. I had introduced a radical Panchayati Raj rule in Karnataka. We had set up Gram Sabhas. Every voter is a member of a Gram Sabha. Gram Sabha is to meet once in six months compulsori-ly and all the office-bearers of Gram Sabha and the officials have to be present so that they could be questioned. I say that Gram Sabha is more sovereign than Vidhan Sabha; Gram Sabha is more sovereign than Lok Sabha, because whatever happens, it would be happening right under the critical eyes of the people, who are the masters of the country. Are we really democratic? Since independence, I don't think any Lok Sabha had the mandate of more than 50 per cent of the people. The highest percentage was secured when Indira Gandhi died and Rajiv Gandhi became the Prime Minister and we had elections the following year. The percentage at that time was

49.7 or 49.. Democracy means rule by majority, democracy means full mandate of the people. If you take democracy in that sense, I an afraid, I have to say that today, whether it is Lok Sabha or whether it is Vidhan Sabha in the State, they are not fully democratic. They do not have the full authority to represent people, to speak on behalf of the people, and therefore, I venture to say this thing on this occasion that we have to see whether parliamentary system of democracy is really suitable to our country. We have had the experience. In the present system, not only is there inadequate representation of the people but also in the parliamentary system, we have had the experience, a very bitter experience, of manipulative politics playing the prime role. In 1979, there was a change in the Government. How did that change come about? Did the people have any voice in that? Did they have any role to play in that? Similarly, when V.P. Singh was the Prime Minister, suddenly, there was a change in the Government. The people had nothing to do with that, and later on, again, the same thing we have seen. If a Government can be changed without any reference to the people, without even the knowledge of the people, I am sorry, I cannot call that system truly democratic. Therefore, I venture to suggest that we should see the possibility, desirability of changing the present democratic system into a Presidential system and our country should not be a Union of India but it should be a United States of India. Then only can we save the integrity and unity of India.

Sir, I will take another couple of minutes and...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Please try and conclude as early as you can.

SHRI RAMAKRISHNA HEGDE: If the present system has to continue for some time—because the presidential system can not be brought about immediately—then drastic changes in the election system are necessary. The electoral system today is riddea wish aw is non, casteism and influence of mads power, influence of money power, with the result that people cannot express freely their will, their opinion; they caa-not give their mandate. Therefore, I would suggest that we should adopt the system of proportional representation, if not fully, at least partly, and partly the list system. There has been a lot of controversy about reservation of seats for women in Parliament. Some people want reservation within reservation. I would like to suggest that these 33% that we have agreed already to reserve for women, should be elected on the basis of the list system. According to this List system in Germany, for instance, people vote for the party—for the party's performance, for the party's programmes and policies—and the party nominates its representatives after the election. If any party wants to reserve seats for various sections of the society—whether it is 10%, 15% or 20% or in proportion to the percentage of population of the respective castes—then the party is welcome to do it. Unless we do this, I am afraid, Sir, our democracy will not be a full democracy, a freer democracy.

Lastly, as long as there is criminaUsa-tion of politics, you cannot have fan-elections. It is a matter of great shame that the Parliament has more than 12 or 13% of its Members who have a criminal record. It doesn't behave a great country like ours. Therefore, I welcome the suggestions made by the Election Commissioner that any person who has been convicted for an offence and sentenced to imprisonment for more than one year must be debarred from contesting elections—even though he has gone in appeal to the superior court. We know that » the present system, sometimes it takes years and years, maybe 15 years, 20 years, to get the final judgement. I would strongly urge that the recommendations of the Election Commission must be accepted. The Home Minister has moved a resolution the other day. I do not think it has come a day too soon. With that

Saction (Tune Bel) nam) of tail House, the Government can go ahead in bringing aboat Mailable lava and regulation* to bar any person haviag mammal record from contesting election*. Accouatability..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P K. JOGI): Please conclude.

SHRI RAMAKRISHNA HEGDE: Okay. I thank you very muck for giving me this opportunity, Sir.

उपसभाध्यक्ष (अजीत जोगी) : श्री शिव चरण सिंह-अनुपस्थित। श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री लक्ष्मण सिंह (हरियाणा) उपसभाध्यक्ष जी, मैं सब से पहले देश के उन शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जान की आहुति दी, फांसी के तख्ते पर लटक गए, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, और यह भी हुआ करता हूं कि भगवान उन की आत्मा को शंति दें।

उपसभाध्यक्ष जी, आप अंडमान गए होंगे और आप ने वहां कालेपानी की सजा काटनेवालों की लिस्ट देखी होगी। वहां जितने शहीद हुए, उनमें से 75-80 परसेंट पंजाबी हैं और उन पंजाबियों में 70-80 परसेंट सिख हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1984 के दंगों में यहां हजारों बेगुनाह सिखों का कत्ले आम किया गया। गोल्डन टेंपल पर एक लाख फौज का हमला हुआ, अकाल तख्त गिराया गया, लेकिन सदन में अफसोस का रिजोल्यूशन नहीं आया। मैं अर्ज करूंगा मौजूदा सरकार से कि सिखों के मन में इस बात से काफी रोष हैं। गुस्सा हैं, इसलिए उस रोष को ठंडा करने के लिए आप रिजोल्यूशन लाएं। आप अगर इस प्रकार का रिजोल्यूशन लाते हैं तो कोई भी पार्टी उस की मुखालफत नहीं करेगी और उस से इस प्रकार का कद भी ऊंचा उठेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पंजाब और हरियाणा के किसानों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने देश के अनाज के भंडार भरे हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे मुल्क में कोई चीज नहीं बनती थी, सुई तक नहीं बनती थी और सब इम्पोर्ट की जाती थी। फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट आई, मजबूत गवर्नमेंट बनी, एक पार्टी की गवर्नमेंट बनी, फाइव इयर प्लान बना, भाखड़ा नंगल बना और बहुत सारे डेवलपेंट के काम शुरू हुए। उपसभाध्यक्ष जी, जहां सुई नहीं बनती थी वहां आज हवाई जहाज बनते हैं। हमारी इकॉनोमी बहुत बूस्ट हुई हैं। मैं इस सरकार से अर्ज करूंगा कि वह पंजाब और हरियाणा के किसानों की भरपूर मदद करे। पंजाब सरकार का लोन माफ कर के भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया हैं। इसी तरह हरियाणा की भी मदद की जानी चाहिए क्योंकि दोनों स्टेट्स मिलकर देश के अनाज के भंडार को भरती हैं। दोनों हर किस्म की चीज पैदा करती हैं। जहां तक अन-एम्पलायमेंट का सवाल हैं, हरियाणा और पंजाब में उतना अन-एम्पलायमेंट नहीं हैं जितना कि बाकी हिंदुस्तान में हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी कुछ अरसा हुआ, ओवर-पॉपुलेशन की बात हुई। अगर आप ओवर-पॉपुलेशन को वाकयी देश से हटाना चाहते हैं तो जलसों से, ले से और रिजोल्युशंस से कुछ होने वाला नहीं हैं। आप सारे देश में लड़कियों की तालीम को जहां तक भी वह बढ़ना चाहे, फ्री कर दीजिए। ग्रेजुएशन के बाद वह सेल्फ-रिस्पेक्ट से खुद पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेगी। आप जहां जिन लोगों को सुनाते हैं, यहां तो ऑलरेडी किसी के दो से ज्यादा बच्चे नहीं हैं, अमीर आदमी के नहीं है। तो बच्चे किन के ज्यादा हैं? जो सड़कों पर काम करते है, मजदूरी का काम करते हैं और वहां ओवर-पॉपुलेशन हैं जहां कि बहुत बड़ी रियासतें हैं जैसे कि यू0 पी0 हैं, बिहार है जोकि अन-मैनेजेबल हैं। आन इन को तकसीम कीजिए। उपसभाध्यक्ष जी, आज हरियाणा की मिसाल ले लीजिए। आज हरियाणा में एक गांव नहीं जहां कि बिजली नहीं, एक गांव नहीं जहां कि स्कूल नहीं, तीन-चार गांव नहीं जहां कि हॉस्पिटल नहीं और वहां किसी लड़के-लड़की को डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा स्कूल के लिए नहीं चलना पड़ता, मैर्टिक और प्लस टू स्कूल के लिए डेढ़ किलोमीटर नहीं चलना पड़ता। यह आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यहां से तो केवल आधे घंटे का रास्ता है। आज वहां की जमीन का हाल देख लीजिए। जो जमीन पार्टीशन से कुछ अरसे बाद तक सौ रूपए एकड़ थी, आज वहां 40-40 लाख रूपए एकड़ का रेट फरीदाबाद और गुड़गांव में हैं। वही हाल चंडीगढ़ में है। जो फ्लॉट 4 हजार का था वह 70 लाख का हैं, जो 9 हजार का था वह 2 करोड़ का हो गया हैं। क्योंकि देश की इकॉनोमी बड़ी हैं। पैसा लोगों के पास हैं और टाटा, बिड़ला खरीददार नहीं हैं। इन 50 सालों में देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हैं, देश बहुत आगे गया हैं। कुछ सेखे नहीं जा पाए उसमें कसूर किस का हैं? यह वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का हैं, वहां के लोगों का हैं। आप उनको ट्रेनिंग दे, आप स्कूल खोले और उनको

सुविधा दें। बिहार और इस्टर्न यू0 पी0 के लोग जब हरियाणा और पंजाब में आते हैं तो वहां जो मजदूरी हैं, उसको देखकर वे समझते हैं कि वे अमेरिका में आ गए हैं। यहां उनको सौ रूपये की दिहाड़ी मिलती है जब कि वहां 12 रूपये 15 रूपये मिलती हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस प्रकार को मिनिमम प्रोग्राम में उलझने के बजाए कुछ ठोस करना चाहिए और गुजराल साहब की मदद करनी चाहिए। वह बहुत भले आदमी हैं। यह हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही नतीजा हैं, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की वजह है कि पाकिस्तान से आया हुआ एक ईमानदार शख्स इस देश का प्रधानमंत्री हैं। अगर यहां प्रेसीडेंसिशयल फार्म आफ गवर्नमेंट होती तो न कोई वजीर बन सकता था और न ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। एक-एक, दो-दो मेंबर वाले घटक भी मिनिस्टर बने हुए हैं। वह पार्टी जिसके कुल दो सदस्य पार्लियामेंट में हैं वे भी वजीर हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं आप काम करिए। आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि ये आपका कुछ नहीं कर सकते। केसरी जी का जब तक आपके सर पर हाथ है आपका कुछ नहीं होगा और होने वाला भी नहीं हैं। ये आपको डराते हैं, आपको मिनिमम प्रोग्राम का हव्वा दिखाते हैं कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल होने वाला नहीं हैं कि कोई घटक उधर जाए और सरकार टूट जाए। जब तक केसरी साहब हैं सरकार का कुछ नहीं होने वाला हैं। कांग्रेस आपके साथ हैं। हमारी पार्टी में कहते रहते हैं — हम आपको कभी काम के लिए नहीं करेंगे, अगर आपको करने की भी फुरसत नहीं है। आपको मिनिमम प्रोग्राम से ही फुरसत नहीं है। मैंने एक नेता से कहा कि आपका काम तो हो जाता होगा, कहने लगे मुझे आठ दिन हो गए मिनिस्टर का टेलीफोन नहीं मिलता। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। बैठे हैं मेरे सामने और हंस रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि गुजराल साहब हम आपके साथ हैं, दिल से आपके साथ हैं। आप काम कीजिए,ठीक से काम आगे बढ़ाइए। आप इनसे मत डरिए। इनसे कुछ नहीं होगा। ये क्या करेंगे, कहां जायेंगे? वोटर आज देख रहा हैं, वाच कर रहा हैं। वह इस मिनिमम प्रोग्राम को जानता हैं और लक्ष्मण सिंह को भी जानता हैं। उसने देखा हैं कोलेशन गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हुई हैं। उपसभाध्यक्ष जी, एक गवर्नमेंट पहले 77 में बनी थी और दो साल चली गई फिर 89 में बनी और वह भी गई 91 में जो सरकार बनी वह पूरे पांच साल चली। अब 96 में जो गवर्नमेंट बनी उसके यह तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। लोग इस बात को देखते हैं। इसलिए

कोई कुछ नहीं होगा। एक पार्टी की सरकार लोगों को दीवारों पर नजर आ रही हैं। मुझे मालूम हैं कि अब जब चुनाव होगा तो एक पार्टी की गवर्नमेंट देश में बनेगी। **...** (**समय की घंटी**) **...** आपने घंटी बजा दी। जब लोहा गर्म है तो आपने घंटी बजा दी हैं। यह तो बड़ा मुश्किल हैं। आपने घंटी बजा दी, क्या बात करूं। यह बात अच्छी नहीं हैं। मैं अर्ज कर रहा था किः

जमाना बड़े शौक से सुन रहा था,
हमी सो गए दासता कहते कहते।

इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, यह दिन मुड़कर नहीं आयेंगे। मैं अभी यहां पांच वर्ष रहूंगा और तमाशा देखूगां। मैं अर्ज करना चाहूंगा और आपके मार्फत मुबारकबाद देना चाहूंगा इस आउस को, जो उसने बड़े डिसीप्लिन में काम किया हैं और उम्मीद करता हूं कि शायद आइंदा भी इसह डिसीप्लिन में हाउस काम करेगा। मैं कहना चाहा हूं कि अगर आप जीरो आवर का डाइरेक्ट टेलीकास्ट बंद आवर में 5-7 आदमी ही झगड़ा करने वाले हैं। ज्यादा लोग नहीं हैं। साउथ के भी नहीं हैं। वही लोग किया करते हैं, सबसे ज्यादा झगड़ा यही 5-7 आदमी किया करते हैं। इस आउस की गरिमा को अगर रखना है तो आप जीरो आवर में टी0 वी0 का स्विच आफ कर दें। फिर कुछ नहीं होगा और बड़े आराम से हाउस चलेगा। फिर वे लोग जिनकी बाहें मोटी-मोटी चलती हैं वह नहीं चलेंगी।

आपने घंटी बजा दी, आप मुझे 2-4 मिनट देंगे या नहीं?

उपसभाध्यक्ष (**श्री अजीत जोगी**) अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण सिंह : मेरी बात बीच में ही रह गई।

उपसभाध्यक्ष (**श्री अजीत जोगी**) : नहीं, फिर अगली बार कभी कह लीजिएगा।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पिछले 50 वर्ष के अंदर नक्शा बदला हैं, हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ़ा हैं। किसी की जुर्रत नहीं हैं कि वह हमारे देश पर हमला कर सके। 100 करोड़ की आबादी पर कौन हाथ उठाएगा। कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। असम में क्या हुआ? जो लोग वहां झगड़ा किया करते थे अब वहीं वहां राज में हैं। वे कहते हैं कि अब झगड़ा नहीं होता। होगा कैसे, जब झगड़ा करने वाले राज में आ गए हैं तो यह कौने करेगा? झगड़ा वे खुद ही करते थे। हर जगह यही

हालात हैं। देश का कुछ नुकसान होने वाला नहीं हैं, इस देश के सब लोग इकट्ठे रहेंगे। यह देश ताकतवर रहेगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपने बहुत आगे जाना हैं फिर भी समय नहीं दिया, धन्यवाद। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। बस इतनी बात हैं। धन्यवाद।

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : बहुत-बहुत धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमान्, भारत के संविधान निर्माताओं ने हमें संसदीय शासन प्रणाली दी। तो यह उम्मीद की थी कि सरकार के यह तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तरह के कानून का निर्माण करेंगे, कानूनों का पालन सुनिश्चित कराएंगे और इस तरह से कानूनों की व्याख्या करेंगे कि एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना सही अर्थों में हिन्दुस्तान में हो सकेगी। आज जब हम पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह सोचना होगा कि संविधान निर्माताओं की आकांक्षा के अनुकूल संसद् ने किस सीमा तक जन-कल्याणकारी कानूनों का निर्माण किया और कार्यपालिका ने जिसमें मंत्रि-परिषद और सिविल सार्वेट्स सभी सम्मिलित हैं, उन्होंने किस सीमा तक कानूनों को सही तरीके से इंपलीमेंट कराने का काम किया और न्यायापालिका ने कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करने और कानूनों की संवैधानिक व्याख्या करने में किस सीमा तक अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया। जहां तक विधायिकाका प्रश्न हैं, भारत की संसद ने कई अवसरों पर समय और परिस्थितियों के अनुकूल कानूनों के निर्माण का काम किया। जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक को पटना और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया कामेश्वर सिंह वर्सेज़ स्टेट आफ बिहार और सूर्यवली सिंह वर्सेज़ स्टेट आफ उत्तर प्रदेश के मामलों में और इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह सम्पत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हैं, मुआवजा पूरा नहीं दिया गया हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संसद् में, लोक सभा में कहना पड़ा कि अगर इस तरह फैसले होंगे।

"Then haves will remain haves and have nots,"

श्रीमान् इसके बाद लगातार सम्पत्ति का मौलिक अधिकार प्रगतिशील कदमों के बीच रोड़े के रूप में काम करता रहा और जब गोलकनाथ केस में यह फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के आधार पर कि संसद् को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का हक नहीं हैं और जब इंदिरा जी ने बैंको का राष्ट्रीयकरण किया तो इसी आधार पर उसको भी रद्द कर दिया गया। अंततोगत्वा हिन्दुस्तान की संसद् ने संविधान कर के सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया तो यह समय की मांग थी। संसद् ने सही काम किया लोक कल्याणकारी कार्यो में जो भी बाधाएं थी न्यायालयों के जरिये,अन्य वेस्टेड इंट्रस्ट्स के जरिये उनको समाप्त किया। यह सही हैं लेकिन हमने यह भी देखा हैं कि कई अवसर ऐसे भी आए जब संसद ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर नेशनल इंट्रेस्ट में काम करना चाहिये था, तब काम नहीं किया। इसी संसद में एक ऐसा संविधान संशोधन विधेयक भी आया था जिसमें यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव के खिलाफ कोई पेटीशन नहीं की जा सकती हैं। अगर पेटीशन किया गया है तो रद्द समझा जाए और अगर किसी न्यायालय के ज़रिये इनमें से किसी का भी चुनाव रद्द कर दिया गया हैं तो वह न्यायालय का फैसला भी रद्द समझा जाए। उस संविधान संशोधन विधेयक को जिसे ३९वां संशोधन विधेयक कहा गया, लोक सभा में जिस दिन आया, उसी दिन पास किया गया, लोक सभा में जिस दिन आया, उसी दिन पास किया गया बिना बहस के। अगले दिन राज्य सभा में आया, बिना बहस के पास हो गया। नेक्स्ट डे हिन्दुस्तान के आधे से ज्यादा विधानमंड़लों ने उसका अनुसमर्थन कर दिया और उसके अगले दिन राष्ट्रपति की सहमति के बाद नोटिफिकेशन हो गया क्योंकि उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई होनी थी। संसद् ने अपने कर्त्तव्य का सही निर्वाह नहीं किया। अगर इसी तरह का स्वरूप, इसी तरह का नेचर अमरीका की सीनेट का होता तो जहां दो तिहाई बहुमत से इंपीचमेंट होता हैं तो निक्सन कभी इस्तीफा नहीं देता। वाटरगेट केस को ले कर जब प्रेज़ीडेंट निक्सन पर इंपीचमेंट की प्रक्रिया शुरू होनी वाली थी तो निक्सन ने हाऊस आफ रिप्रेज़ेटेटिव और सीनेट के रिपब्लिकन पार्टी के दोनों लीडरों ने कहा कि ज्यादातर संसद् सदस्य महाभियोग के पक्ष में वोट करेंगे। Then,he had to resign.

लेकिन हमने अपने कर्त्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं किया। श्रीमान, यही नहीं, संविधान ने हमें मौलिक अधिकारों को दिया हैं। यह सही हैं कि जिस आर्टिकल ने सबसे ज्यादा इम्पारटेंट मौलिक अधिकार हमें दिया हैं, आर्टिकल 2 ने उसी आर्टिकल 21 के सब सेक्शन 4 और उसके आगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की व्यवस्था गयी। संविधान सभा में प्रो0 रंगा और अन्य लोगों को कहना पड़ा कि एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए जा

रहे हैं और दूसरे से छीने जा रहे हैं। कल वक्त परिस्थितियां दूसरी थीं। वहां संसद के सदस्यों से उम्मीद की जाती थी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक बहुत लम्बे अर्से तक हिन्दुस्तान में नहीं रखा जाएगा। डी0आई0आर0 आया, मेन्टिनेंस आफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आया। वे खत्म हो गए तब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया, टाडा आया। टाडा खत्म हो गया है। टाडा की जगह दूसरा कानून नहीं हैं। नेचुरल जस्टिस यह डिमांड करता हैं, रूल आफ ला कह सकता हैं कि अगर प्रचलित कानून का उल्लंघन किसी ने नहीं किया तो उनको दण्डित नहीं किया जा सकता हैं तब भी लोग टाडा के अंदर जेल में बंद हैं। हिन्दुस्तान में हमारी जो आई0पी0सी0 और सी0आर0सी0 हैं, इतनी कंप्लीट हैं कि कोई ऐसा अपराध नहीं जिसके लिए दण्ड देने की व्यवस्था न हो। उस से प्रचलित कानून के तहत लोगों को दण्डित किया जा सकता हैं। लेकिन हम यहां से कोई बात नहीं उठा सकते हैं। संसद का अपना अधिकार हैं। संसद सर्वोच्च है। हम कह सकते हैं संविधान सर्वोच्च हैं। लेकिन संविधान बनाया किसने और संविधान की बनाने की कांस्टीटुएंट पावर्स जब तक संसद को रहेंगी तब तक संसद सर्वोच्च रहेगी। फिर भी संसद के अधिकारों का अतिक्रमण होता हैं। हम संसद में कैसे वोट देंगे, हम संसद में क्या कहेंगे इसको लेकर न्यायालयों में हमारे प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों पर मुकदमें चले हैं। कभी इस संसद या उस सदन ने यह मामला नहीं उठाया। यह हमारे अधिकार क्षेत्र की बात हैं। हम दण्डित कर सकते हैं किसी को अगर हमारे प्रिविलेज का उल्लंघन हुआ हैं, संसद के प्रिविलेज का उल्लंघन हुआ हैं। हमारा यह परमाधिकार हैं कि हम किसको वोट दें किसको नहीं दें। इसको बाहर कोई चैलेंज नहीं कर सकता हैं। लेकिन इस पर भी मुकदमें चले हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने, संसद ने जहां एक तरफ कुछ अवसर ऐसे आए हैं जब संसद सदस्य चुपचाप बैठे रहे, संसद के दोनों सदन चुपचाप बैठ गए और आपके अधिकार चले गए। अतीत और इतिहास इस बात का गवाह हैं कि जब दुनिया के किसी सदन ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो वह शक्तिहीन हो गया। मान्यवर, ब्रिटेन की हाउस आफ लार्डस मूल रूप से संसद थी। सारे अधिकार उसमें थे। लेकिन लार्ड और बैरन्स ने जब आना बंद कर दिया तो कामनर्स ने उन अधिकारों का प्रयोग कराना कर दिया। सैकड़ों वर्षो के बाद जब याद आया लार्डस को तब कामन सभा ने कहा कि नहीं वे हमारे अधिकार हैं

आपके नहीं। तो अगर दोनों सदन अपने अधिकारों को भूल जाएंगे, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो सरकार के दूसरे अंग, चाहे वह कार्यपालिका हो या न्यायापालिका, ये संसद के अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे और उसके अधिकारों को छीन लेंगे। यह तो संसद की बात हैं। जहां तक कार्यपालिका का प्रश्न हैं- मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा –कार्यपालिका का काम यह हैं कि कानून लागू हो रहा हैं कि नहीं हो रहा हैं। अगर किसी एम0पी0 के दरवाजे पर जाइए तो सही आदमी सुबह खड़ा हुआ हैं। क्यों खड़ा हुआ हैं, जो स्वाभाविक तरीके से काम हो जाना चाहिए वह होता ही नहीं कभी। वह काम कभी नहीं होता। क्या कभी किसी मंत्री ने यह जानने की कोशिश की कि उसके पास जो आदमी आया हैं उसका जायज़ काम हैं। कानून के हिसाब से जो बात होनी चाहिए वह 6 महीने, 6 साल से क्यों नहीं हो रही हैं और नहीं हो रही हैं तो किसी अधिकारी, किस सेक्रेटरी के खिलाफ कार्यवाही की हैं। अगर यह नहीं होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे ज्यादा अगर गड़बड़ है तो कार्यपालिका के पार्ट पर हुई हैं जिसने कानून सही तरीके से लागू कराने के लिए, ईमानदारी से और इफेक्टिवली, कोई काम नहीं किया। यह सही हैं।

ब्रिटेन में जब कैबिनेट सिस्टम के बारे में चर्चा होती हैं, मंत्रियों के बारे में चर्चा होती हैं, प्रधान मंत्री और मंत्रियों की स्थिति के बारे में चर्चा होती हैं तब कहीं एक बार कहा गया कि अगर डाटेड लाइन पर हस्ताक्षर करने वाले मंत्री होंगे तो नौकरशाही मनमाने तरीके से काम करेगी। इसके लिए कोई बहुत पढ़ाई लिखाई और योग्यता की भी जरूरत नहीं होगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता हैं तो नौकरशाही काम करेगी। नौकरशाही तो उस घोड़े की तरह होती हैं अगर घुड़सवार अगर दबंग नहीं है तो उठाकर फेंक देगा,भले ही जान चली जाए कानून का पालन नहीं होता। कानून का पालन नहीं होता। कानून का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। इससे अनावश्यक रूप से लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, कागज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। जब सेन कमेटी की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी टीचर के लिए लगी और हमारा सेलेक्शन ग्रेड होना था तो टीचर्स ने कहा कि दो सौ रूपया प्रति टीचर का जमा होकर जाएगा तभी होगा। मैंने कहा कि मैं कभी पैसा नहीं दे सकता। जब मैंने पैसा नहीं दिया तो हमारा सेलेक्शन ग्रेड नहीं लगा और सब का लग गया। मुझे

जाना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास, जे0सी0 पंत वहां ईमानदार सेक्रेटरी थे, वे बेरी आनेस्ट आफीसर, उन्होंने तब एक्शन लिया और हमें न्याय मिला। बिना पैसे का काम नहीं हो रहा, वह मैंने स्वयं देखा हैं।

महोदय, जहां तक जुडीशियरी का सवाल हैं। लाखों मुकदमें आज कोटों में लंबित हैं। क्या किसी प्रधानमंत्री ने या किसी मंत्री ने कह दिया हैं कि आप फैसले मत कीजिए। लाखों मुकदमें पड़े हैं। जब स्वतंत्र न्यायपालिका दी गई थी तो उम्मीद की गई थी कि हिन्दुस्तान का मामूली,गरीब आदमी भी न्यायालय में जा सकेगा। सारा राष्ट्र एक तरफ हो, सारी स्टेट एक तरफ हो, तब भी वह कोट में जाकर लड़ सकेगा। क्या वह आज लड़ सकता हैं अपना केस? क्या कोई गरीब आदमी आज सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हैं? नहीं जा सकता हैं, आ ही नहीं सकता। जीवन चला जाए,फांसी हो जाए, गलत मामले में फंस जाए, तब भी उसके पास पैसा नहीं हैं कि वह वकील को पैसा दे और न्यायालय में न्याय के लिए जाए। बीस-बीस साल फैसले नहीं होते, छह-छह साल फैसले नहीं होते। उन केसों में कभी जल्दी तारीख नहीं पड़ती, लेकिन अगर हिन्दुस्तान के किसी पोलिटिक्ल लीडर का केस हो तो न्यायालय रोजाना तारीख लगाए। आप आश्चर्य करेंगे, महोदय, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो दिन पहले एक जज ने वकील से कह दिया कि आप कितनी बहस कीजिए, आप जानते हैं कि मुझे क्या फैसला करना हैं? जब इस स्तर के जज हो जाएंगे तो फिर तो बात सड़कों पर उठने लेगेगी। आप आश्चर्य करेंगे, जब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बरखास्त हुई। सुप्रीम कोर्ट में केस गया। डिवीजन बेंच ने कहा कि कंस्टीट्यूशन बेंच देखे कि- A point of law is involved in this. एक सीनियर एडवोकेट ने कहा कि कभी कंस्टीट्यूशन बेंच का गठन नहीं होगा क्योंकि बोम्मई केस का फैसला हैं, इसलिए फैसला मुलायम सिंह के पक्ष में हो जाएगा, वह पांच जज की बेंच होगी और वह नौ जज की बेंच थी। इसलिए कंस्टीट्यूशन बेंच का गठन नहीं हो सकता। It was unheard of for me. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह सही थे। मैंने लाख कोशिश की, लाखों रूपया खर्च किया, बड़े बड़े सीनियर वकील से मेंशन कराया।

I failed to get a Constitution Bench constituted.

सर, यह स्थिति न्यायालय की हैं। केवल पापुलरिटी लेने के लिए, केवल अखबारों में आ जाए कि क्या फैसला हुआ, यही चीज हैं। इसीलिए हमने कहा था लोगों से, जब कल्पनानाथ राम वाले मामले में जमानत के दौरान संसद सदस्यों के बारे में एक जज ने गंदी भाषा का प्रयोग किया था, मुझे याद हैं कि जोशी जी ने हमारा सहयोग दिया था, कि इस जज को गिरफ्तार करके सदन के सामने लाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने यह आदेश दिया था केशव सिंह वाले केस में। इस ओर ध्यान जाना चाहिए अन्यथा संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा, संसद की सुप्रीमेसी जो हैं, वह खत्म हो जाएगी। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, हमने अगर कहीं अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह किया हैं, तो इन पचास साल में हमने कई जगह चूक भी की हैं।

महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, वह क्रिमिनलाइजेशन और पोलिटिक्स की बात हैं।यहां इस हाऊस में 250 सदस्य हैं, कितने क्रिमिनल हैं? एक भी नहीं। Not a single man's criminal history is there. आखिर, यह बात कौन सबसे ज्यादा कह रहे हैं? वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सबने पढ़ी होगी। अपराधियों-राजनीतिज्ञों, अपराधियों-जजों, अपराधियों और नौकरशाहों, सबके गठबंधन की बात हैं, लेकिन चर्चा अपराधियों और राजनीतिज्ञों के गठजोड़ की। आप में तो एक होगा अपराधी, लेकिन जो अपराधी का प्रचार करते हैं, जिनकी कलम से काम होता हैं, आप बताइए कोई कलेक्टर या एम0पी0 बेईमानी करता हैं तो क्या आप किसी को दंडित कर सकते हैं? किसी एम0पी0, एम0एल0ए0 को अधिकार हैं दंडित करने का? अगर कोई कलेक्टर या एस0पी0 ईमानदार हैं तो किसी मिनिस्टर की, किसी एम0पी0 की हैसियत नहीं हैं किसी अपराधी को संरक्षण देने की? लेकिन, जब स्पाइनलैस आफीसर हो जाएंगे, अच्छी पोस्टिंग के लिए जो किसी सीमा तक जा सकते हैं, पोलिटिकल-आकाओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, तब इस तरह की बात होती हैं। अपराध और अपराधियों के इतिहास में फर्क करना पड़ेगा। हम यह कर सकते हैं। माफ करें, मैं अगर किसी दरोगा से कह दूं गाजियाबाद में, वहां कल रिपोर्ट लिखर दे कि माननीय रामकृष्ण हेगड़े आए थे गाड़ी में बैठकर आए। इनके साथ दो आदमी थे, हमारे दो थप्पड़ मारे, हमारी गाड़ी उठाकर ले गए। दस आदमी एफिडेविट दे देंगे, गवाही दे देंगे, मुकदमें की पैरवी कर देंगे। हमने तमाम झूठे केसों में लोगों को सजाए होते देखी हैं। इसलिए यह मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन को क्या यह अधिकार हैं? संसद द्वारा बनाए, कानून में संशोधन इलेक्शन कमीशन एक आर्डर से कर सकता हैं? इज इट पासिबल? इज़

इट लीगल? इज़ इट कांस्टीटयूशनल?

श्रीमान् इसलिए मैं संसद सदस्यों से कहूंगा कि अपने अधिकारों का प्रयोग करें, अपने आपको अपमानित करने की कोशिश न करें। आज भी देश का बेईमान पोलिटिशियन दो-चार घंटे रोज देश के बारे में सोचता हैं, गगरीब आदमियों से बात करता हैं। माफ कीजिए, चैयरमैन साहब, आप बहुत अच्छे पोलिटिशियन हैं, आप आई0ए0एस0 अफसर रहे हैं, आप मुझे माफ करेंगे लेकिन अगर सुबह 9.00 बजे टेलीफोन करें तो अधिकारी के यहां उत्तर मिलता है कि साहब बाथरूम गए हैं, 10.00 बजे टेलीफोन करें तो पता लगता हैं कि साहब पूजा कर रहे हैं, उसके बाद सीधे गये हैं आफिस। कभी भी व्यक्ति, व्यक्ति से मिलने का टाइम उसके पास नहीं होता हैं। बेईमान से बेईमान नेता के पास भी अगर कोई जाता है तो वह उसकी बात सुनता हैं, आधी रात को आता है तो उसकी बात सुनता हैं। मुझे अफसोस हैं कि इनको रोज़ बदनाम किया जाता हैं। 80 फीसदी अधिकारी भी अगर अपने कर्त्तव्य का सही प्रयोग-

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : अब समाप्त कीजिए।

श्री रामगोपाल यादव: कर लें तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी।

थैंक्यू वेरी मच। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिव चरण सिंह (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा हेतु विशेष अधिवेशन पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूं, इससे पूर्व सर्वप्रथम मैं उन महान पुरूषों को एवम् शहीदों को, जिन्होंने राष्ट्र को आजादी दिलाई, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों एवम् देश की रक्षा हेतु शहीद हुए शहीदों को नमन करता हूं। मान्यवर, हम जो छोटी रियासतों के लोग थे, उनको आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल ने निभाई थी, उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

मान्यवर, मैंने अपने पूर्ववक्ताओं की बातें सुनीं। हमारे सभापति और लोक सभा के स्पीकर महोदय का भी मैने सम्बोधन पढ़ा और सुना। उन्होंने कुछ विशेष मुद्दों पर प्रकाश डाला कि लोकतंत्र को खतरा हैं। भ्रष्टाचार हैं, रातनीति का अपराधीकरण हैं और उत्तरदायित्व का अभाव हैं और माननीय स्पीकर महोदय ने यह स्पष्ट कहा कि लोकपाल, सरकारी काम-काज में

पारदर्शिता लाना, जनता को जानकारी प्राप्त करने अधिकार और चुनाव सुधार आदि के बारे में हमको विचार-विमर्श करना चाहिए। हमारे इस अधिवेशन में चार विषय रखे गए थे। प्रजातंत्र, फेमिली प्लानिंग भ्रष्टाचार और मानवीय विकास। मान्यवर, मैं सूक्ष्म रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे देश में, हम सब आजाद हुए तो आजाद होने के पश्चात हमारे सामने तीन विकल्प थे। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि यह गरीब किसानों और गरीब लोगों का मुल्क हैं, हमारे यहां डिसैंट्रलाइज़ व्यवस्था से राज-व्यवस्था चलानी चाहिए और ग्राम आधारित पंचायती राज के माध्यम से हमको इस सारी व्यवस्था को चलाकर के ग्राम स्वराज्य लाना चाहिए। हमारे देश के कर्णधारों ने अमेरिका के पैटर्न का जो प्रशासन तंत्र था, उसको पसंद नहीं किया बल्कि ब्रिटेन के प्रशासन तंत्र को हमारे यहां पसंद किया गया और वही प्रजातांत्रिक पद्धति आज हामरे यहां चल रही हैं। उसी प्रजातांत्रिक पद्धति से चलते हुए आज हमारे देश में 50 साल के बाद हम लोगों को यह सुध आई कि हमारे देश में प्रजातांत्रिक पद्धति के माध्यम से जो राज-व्यवस्था हम चला रहे हैं, उसमें क्या कमी हैं। मान्यवर मैं बताना चाहूंगा कि प्रजातांत्रिक पद्धति सबसे अच्छी व्यवस्था हैं। इसमें गरीब के वोट से राज चलता हैं। संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने का हमको गर्व हैं। मान्यवर, इसे बिगाड़ा तो रात करने वालों ने बिगाड़ा क्योंकि प्रजातंत्र में रूल आफ लॉ होता हैं। मान्यवर, अभी मरे से पूर्ववक्ता कह रहे थे कि हमारे देश में जो रूल आफ लॉ की व्यवस्था हैं, उसमें अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हैं तो वह एग्ज़ीक्यूटिव और ज्यूडिश्वरी पर हैं। मान्यवर, हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लेप्सिस रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के रहे हों, चाहे नीतियों की बात रही हो, हमने ज्यूडिश्यरी और एग्ज़क्यूटिव के कितने लोगों के खिलाफ आज तक 50 सालों में कार्रवाई की? हम लोग यहां कानून बनाते हैं, कानून बनने के बाद कार्यपालिका उसको कार्यरूप के मामलों में अनेक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं इसी सदन में था, हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर पर आरोप लगा, एक अन्य मंत्री पर शूगर घोटाले का आरोप लगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था हैं वह फाइलिंग का नोटिंग सिस्टम हैं। मान्यवर, आप जिलाधीश रहे हैं, आपको मालूम हैं कि हमारे देश की शासन प्रणाली किस प्रकार से चल रही हैं। मान्यवर, मैं भी दो बार मिनिस्टर रहा हूं मुझे मालूम हैं कि एक कलर्क से लेकर सैक्रेटरी तक की ओर नोटिंग हैं वह फाइनल होती हैं और

मिनिस्टर के पास बाद में जाती हैं। यह नोटिग प्रणाली, जो हमारे प्रशासन तंत्र में हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह हैं कि हमारे यहां कुछ अनाड़ी मिनिस्टर आते हैं। जितने नोट सैक्रेटरी से आते हैं, उसमें से कितने टर्न डाउन होते हैं? मान्यवर, क्लर्क लेवल से चलने वाला जो नोट हैं, वह सैक्रेटरी तक डिट्टो होता चला जाता हैं और वही सबका कारण हैं।

मान्यवर, भ्रष्टाचार जब ऊपर होता हैं मंत्री स्तर पर तो क्या सेक्रेटरी को उसके बारे में मालूम नहीं पड़ता? क्या नीचे का क्लर्क, सेक्शन-आ फिसर और दूसरे जो डिप्टी-सेक्रेटरी या ऐडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हैं उनके लेवल तक मालूम नहीं पड़ता? अगर मालूम पड़ता हैं तो इन 50 सालों में यह लेखा-जोखा आपको करना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी के कितने लोगों ने कितनी गलतियां की हैं। महोदय, हमने ब्रिटेन का जो प्रशासन तंत्र इनहैरिट किया, उसकी वजह से भी कई कमियां आई। मान्यवर, अभी बहस में कई बाते सामने आई। यहां पर जात-पात की बात आई, भ्रष्टाचार की बाम आई और उसका कारण भी आपने देखा होगा। सेक्रेटरी लेवल पर जातिवाद के बारे में दो तरह की चर्चा आई कि जातिवाद फैल गया और अपराधीकरण हो गया। अपराधीकरण हुआ हैं, वह सच हैं। अपराधी हमेशा राज के सहारे पर चलता हैं। जो राज में आता हैं, अपराधी उसके नजदीक चला जाता हैं। आज यहां मिली-जुली सरकार हैं, सारे अपराधी उनसे चिपक गए होंगे। पहले कांगेस की सरकार थी ताक सब उससे चिपक गए थे। कल हम बी0जे0पी0 के लोग आएंगे तो हमारे साथ आ जाएंगे। अपराधी सहारा देखता हैं, अपराधी और कुछ नहीं देखता। वह अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए सहारा ढूंढता हैं। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि उन अपराधियों को शरण कौन देता हैं? यह देखने की बात हैं।

महोदय, हमारे यहां की जुडिशियरी के हालात आप देखिए। हमारी जुडिशियरी बहुत अच्छी हैं, उत्तम हैं लेकिन जूडिशियरी में बहुत डिले हो रही हैं। आज देश भर में करोड़ो मुकदमें लंबित पड़े हुए हैं। आज अगर कोई आदमी ऑफ रूल ऑफ लॉ के तहत कानून की शरण में जाना चाहे तो गरीब आदमी नहीं जा सकता। क्योंकि उसमें बहुत खर्चा आता हैं। मान्यवर, सारे हालात को हमें सुधारना होगा। इसमें जो-जो कमियां हैं, उनको हमें सुधारना होगा।

मान्यवर, दूसरा सब्जैक्ट था फैमिली-प्लानिंग का। सबसे पहले हमारे देश में राजकुमारी अमृत और कौर जब

हैल्थ-मिनिस्टर थीं तो उन्होंनक फैमिली-प्लानिंग शुरू की थी फर्स्ट प्लान में 1951 से लेकर 1956 तक। मान्यवर, इस दौरान अनेक देशों से तरह-तरह के साधन हमारे यहां आए फैमिली-प्लानिंग के लिए, इस पर हमारे देश का करोड़ों रूपया खर्च हुआ लेकिन हुआ क्या? इस वर्ष का आंकड़ा यदि आप देखेंगे तो हमारे यहां जो आबादी की रफ्तार थी, जो पहले 109 परसेंट थी, आज वह 204 परसेंट हो गई हैं यानी बढ़ गई हैं। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जाक आपकी पापुलेशन पालिसी पर स्वीमीनाथन समिति की रिपोर्ट आई, पहले इनका "2 के 2" का नारा था, अब एक का एक कर रहे हैं। उस समय जो हैल्थ मिनिस्टर थीं, तब से लेकर आज तक यानी 1956 से लेकर आज तक हमने फैमिली-प्लानिंग में कुछ ऐचीव नहीं किया, फैमिली-प्लानिंग के टारगेट्स हमने पूरे नहीं किए। हमने देश, विदेश अपने प्लॉन और नॉन-प्लान का सारा रूपया खर्च कर दिया लेकिन हम गांवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा का इंतजाम नहीं कर पाए। अगर हम गांवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा का इंतजाम करते, लोगों में जागरूकता आती, लड़कियों की शिक्षा होजी तो फैमिली-प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाती। वह कागजों पर फैमिली-प्लानिंग फेल हो गई हैं।

महोदय, आज हमको फिक्र किस बात की हुई हैं? आज हमको इस बात की फिक्र हुई हैं कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैं, जो प्रतिवर्ष जाता था 4.2 परसेंट तक, आज वह गिर गया हैं। आज वह चला गया हैं। 1.7 परसेंट तक और हमारे यहां जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार हैं, वह 1.9 परसेंट हो गई हैं। इसलिए हमको फिक्र हुई हैं। मान्यवर, दूसरे और कारण भी हैं। हमारे यहां शहरीकरण हुआ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1962 में दिल्ली के अंदर एक योजना आई थी कि यहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश की कुल आजादी हमारे देश की आबादी 85 करोड़ हो गई थी और अब 95 करोड़ हो गई हैं। हमारे यहां करीब 75 परसेंट आबादी देहातों में हैं और 25 परसेंट आबादी शहरों में हैं। आज शहरों की आबादी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा हैं। दिल्ली में पीने का पानी नहीं हैं जगह-जगह की हालात खराब हैं। तब इसकी फिक्र लगी हमारे राज करने वालों को कि गांवों के बारे में सोचें।

मान्यवर, गांवों की दुर्दशा क्यो हुई? महात्मा गांधी ने जो कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था, उस पर विचार न करके हमने गांवों की अनदेखी की और हमने गांवों के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाए, वे पैसेज में अपनाए। ग्रामीण विकास के लिए अपने छठी पंचवर्षीय योजना में 3.5 परसेंट सातवीं पंचवर्षीय योजना में 4.5 परसेंट और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 7.9 परसेंट रूपया आपने दिया हैं। वह ग्रामीण विकास कार्यक्रम की दशा हैं। मान्यवर, हमारी एग्रीकल्वर की दशा क्या हुई? एग्रीकल्वर में हमने बहुत कुछ किया, इन्फ्रास्टच्कर बनाया। सन 1876 से लेकर 1928 के बीच में अंग्रेजों ने हमारे यहां कृषि का विकास किया और उन्होंने 17 कालेज खोले। आजादी के बाद हमारे यहां ऐग्रीकल्वर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। "ग्रो मोर फूड" का प्रोग्राम हमारे यहां 1950 में लागू किया गया। उसके बाद हमारे यहां एग्रीकल्वरल रिसर्च के क्षेत्र में जो कुछ हुआ चाहे स्वामीनाथन हों, चाहे कुरियन हों, आज उनको लगेगा कि हमारे देश में एग्रीकल्वरल प्रोडक्शन कितना होता हैं? हमारे कृषि क्षेत्र को हमने इग्नोर किया हमारा परसेंटेज डाउन हो गया। ग्राम विकास को इग्नोर किया हमारे गांव की दशा खराब हो गई। शहरीकरण के कारण से रेल की पटरियां देखिए-झुग्गी वालों ने घेर ली। मुम्बई में आबादी क्या हो गई, दिल्ली की आबादी क्या हो गई, रहने को जगह नहीं। राह चलने वालों को दखिए तथा देहात और शहर के बारे में यह सोचने का मौका मिला और आज इन बीमारियों को सामने लाकर के हमारे और आपके सामने डिसकशन के लिए लाए हैं। मान्यवर, आपकी घंटी बार-बार बज रही हैं, मन में मेरे बहुत जगह थी और मैं बोलना चाहा था। मैं वह आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जो अभी माननीय हेगड़े साहब ने राष्ट्रपति प्रणाली की बात कहीं, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति प्रणाली का हश्र देखिए, अमेरिका के निष्कासन और क्लिंटन दो राष्ट्रपति हुए। आज अदराज करो निष्कासन का क्या हुआ, निष्कासन साहब को इस्तीफा देना पड़ा। केवल इसलिए कि महाभियोग और पेंशन से बच जाए। दूसरे जो राष्ट्रपति थे- क्लिंटन साहब उन्होंने क्या किया? चन्दा लाए चीन से और क्या किया उन्होंने? पोलाजोन्स के एक-दो सदस्य थे उनके सामने नंगे होकर खड़े हो गए। वह वहां की प्रणाली हैं। हमारे यहा की सबसे अच्छी प्रणाली हैं- प्रजातंत्र। इस प्रजातंत्र पद्धति में वोट का अधिकार भी हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : अब समाप्त करिए।

श्री शिवचरण सिंह : प्रजातंत्र पद्धति सर्वोपरि हैं। शहर का और देहात का तो यह भेद हैं इसको मिटाना चाहिए। मान्यवर, जो हमारा प्रशासन तंत्र हैं, इसको टाइट करें। जात-पात भ्रष्टाचार सब की जड़ वह हैं। यह सक्सैना, यह माथुर, यह शर्मा, वह गोयल और गर्ग जो सरनेम लगाते हैं उसको हिन्दुस्तान में बेन कर दो। --(**समय की घंटी**)—जातिवाद नहीं रहेगा, भ्रष्टाचारियों को सब बातों से रोक दो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा और सारे लोग इस बात की कसम खाकर जाएं कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। आज साढ़े पांच हजार हमको मिलते हैं। इसमें गुजारा करते हैं, वह कैसे हो सकता हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Shri M.A. Baby, not present. Shri Bratin Sengupta, he is also not here. Shri H.R. Bhardwaj.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): Thank you, Sir. I will not take much of your time because most of the topics have been covered. I am not concerned with the Members have said today, because they have their own views, but I am concerned with what concerns the parliamentary democracy, and in that regard, one area has not yet been noticed. The people who get elected to the two Houses of Parliament have allowed their own privileges to be usurped by the judiciary and the result is that there is a judicial despotism in the country. I have served this system, particularly for a long time. I have great respect for the institution of judiciary, but this respect is subject to one thing, that they follow the. Constitution and the law because the judiciary takes oath in the name of the Constitution, as an upholder of the Constitution, but if they cross the line of demarcation, if they usurp areas of legislature, then they violate the Constitution, Sir, today we are worried. What has happed in the last 50 years? You set that never in the history of India, M.Ps. have been arrested, harassed and convicted for what they do on the floor of the House. It is a very important question. I refer to Article 105(1) and (2). If you kindly go through that Artkle-and the judges must go

through that Article-you will find that whatever we say in the House, whatever we speak in the House, is immune from the judicial proceedings; it is not a matter for the courts to look into in the same way as this House cannot ask the judiciary to dictate an order or a judgement within a specified time and how they decide their cases. Therefore, this is a reciprocal arrangement in the Constitution, that whatever happens in the House, in the debate or in the voting—voting is a privilege protected under Article 105(2)—once that becomes a Constitutional provision, then only this august House, or the Lok Sabha as a respective House, has the jurisdiction to pull up a Member or Members for their alleged breach of conduct or breach of privilege. It had happened in the case of Mudgil Swamy in 1952. He was alleged to have accepted a bribe. A resolution was moved and before the House could pass a resolution, he had to go. The House took cognizance of the said offence and protected the privilege of the House. Rather than allowing the C.R.I, or the police, they took action immediately. In the House of Commons, two Tory MPs— a recent case of John Major's Government, took money. A newspaper man was a conduit. Immediately the House took cognizance of the said offence, suspended the MPs and punished them. This is a self-regulatory and self-propelled system by which we not only protect our privileges but also take care of the erring MPs and punish them. The freedom of speech is a power of the sovereign in a Member of Parliament. In the same way, the Judiciary has power to punish offenders for doing an unlawful thing, strike down the Executive action if it is arbitrary. What does the Constitution say about this? The Legislature holds the purse—• very vital power. We distribute the financial cake of the country amongst various organs and if we are corrupt in its distribution, naturally, there should be somebody who should take care of the Legislature. Rather than giving that power to some outside agency, we exercise control on the floor of the House. Recently, the House has taken care of all these things. But we abdicated the functions, and I agree with Gurudas Das Gupta and several other speakers that it is high time for us to do some introspection. While we are aware that the MPs should be men of highest integrity and should maintain a clean standard of public life, we should not allow any of our privileges to be usurped by the subordinate judiciary or the superior judiciary, as provided in the Constitution. This is not my personal matter. There are people who apeak with double—standards. If something affects me, they will be very happy. If something affects them, they will say that justice is not being done. But one thing has been clearly provided in article 102 of the Constitution. Article 102 of the Constitution says that MPs cannot hold office of profit. Then how can you say that they are government servants? I am surprised to hear all this. We are saying: "Yes, the High Court of Orissa has said so." Well, the High Court of Orissa cannot go against the Constitution or articles 102 and 105 of the Constitution. As Hegde Ji has recently said: "This is a marriage of convenience." If I become a Minister by hook or by crook, I must stay on as Minister. What is your genuine governance in this country? There is one political party of 200 MPs sitting idle. There is another political party of 140 MPs sitting idle. There is another political party of 40 MPs sitting idle and a few MPs, are governing the country, caring for nothing. They are not caring for the privileges of Members of Parliament. The courts are requesting the military to enforce the summons. Is this the parliamentary system of democracy or the civil administration envisaged? You have thirteen parties constituting the Government. There should be a provision in the Constitution that unless you have a two-thirds majority, you cannot form the Government. I agree with some of the speakers that the Government should have a continuity at the Centre. But you cannot have an unethical Government functioning and saying that in the name

of democracy we 2.. running the Government. There are no political untouchables in this country any more. After V, P. Singh shook hands with the BJP, can you say that they are untouchables? I have no brief for the B.J.P. They have a particular philosophy. 1 don't share that philosophy. But there are no untouchables in the country. You have embraced each other for years. For the sake of democracy, join hands on ideology, join hands on principles. Let those principles be defined. The Executive can commit mistakes. There have been cases of corruption—scandals after scandals. But we can take remedial measures to correct the situation. In Greece, which is also an ancient civilisation, Parliament takes care of the erring Ministers also, MPs also. We can do so by a legislative decree. But why are we not doing it? It is because 140 MPs of the Congress Party can be sacrificed, they can be massacred, their houses can be raided, they cart be insulted and humiliated in courts. But still it does not affect the privilege of the ruling coterie. Is this parliamentary democracy? We should here and now decide that the Presidential form of Government will be disastrous to this country. We have a commitment to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We have a protective discrimination in the Constitution that these people, who have been suffering for centuries, their interests should be protected. We have to elevate their position. Therefore, their representation in both the Houses is fundamental for the governance of the country. Socially educated, backward; all these schemes which Dr. Ambedkar gave to this great country need another fifty years unless they can stand on their own legs. What is the situation of minorities in this country? Minorities are suffocating. Can't we gr*e,an assurance to them? This is your country The magnificence of Din-e-Elahi or Akbar cannot be forgotten. The magnificence of Jama Masjid or Lai Quila or Taj Mahal cannot be forgotten. This is a country where Sufis have ruled, ruled the emperors; Dtn-c-Elahi, Amir Khusro, Hazrat Nizamuddin Aulia and our magnificent Urdu. One speaker was saying that Mr. Gujral is a Pakistani. Mr. Gujral is a freedom fighter's son. He has migrated because of the sad partition of the country, a man whose fore-fathers served with distinction this country for years. So I am not taking more time. Article 105 is your Constitutional right and if we commit mistakes, I do not want that corruption of M.P.s should be condoned. But there should be a self-correcting method here and now. These courts must be told in unequivocal terms, "please deliver speedy, inexpensive and substantial justice for the country" and once you speak in loud language and proper language from this august Chamber, everybody will understand.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI): I called the name of Shri M.A. Baby. I have just been informed that he has had a cardiac problem and he hat been admitted to the Ram Manohar Lohia Hospital. I have asked the Secretariat to check up about him. I on behalf of the House and all of us wish him an early and speedy recovery. Shri Solipeta Ramachandra Reddy.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a great privilege for me to be in this august House in this Golden Jubilee Year of India's Independence. At the outset I pay homage to those patriotic heroes who have sacrificed their lives and properties and those who have suffered a lot in the freedom struggle.

I and all of us are here in this House of a great nation, due to their sacrifices. We are proud of our parliamentary democracy for successfully conducting Eleven Lok Sabha elections, and over 300 Assembly elections and for a peaceful transfer of power. We must also look to the other *aide.* We are proud of the 60 per cent voters who have participated in the elections, 60% literacy we have achieved. < Sixty per cent of the papulation is above

poverty line. Parliamentary democracy and we belonging to all parties can take credit for this achievement. But at the same time, we have to pay serious attention to 40 per cent voters. Quite a considerable number are not participating in elections. Even after 50 years of Independence and after eight Five Year Plans forty per cent people are below the poverty line, forty per cent are illiterates and about forty per cent are keeping themselves away from population control programmes. So the forty per cent figure is a magic figure. As long as these forty per cent are below poverty line, and illiterates we cannot boast of development, democracy and success of democratic institutions. This 50th anniversary offers Parliament a great opportunity for introspection and for future course of action. Although Indian parliamentary democracy, the largest democracy in the world, has stood steadily for the last 50 years, I would like to stress about some of the failures and shortcomings in the present style of our democratic set-up. From a galloping start Fifty years ago, the standard of India's Parliament has dwindled. The Parliament has miserably failed to uphold its standards. In 1951, when Shri H. G. Mudgal, a Congress Member of the provisional Parliament was found guilty of having taken Rs. *27(Xy-* from Bullion merchants in Bombay to canvass their case in the House, Prime Minister Nehru, in spite of his being a Congress Member, moved a resolution to expel the M.P. Even thereafter, Shri Feroze Gandhi highlighted the Mundhra affair wherein LIC was accused of purchasing shares of some Mundhra companies at a price higher than the market rates and owing to this scandal, the then Finance Minister, Shri T.T. Krishnamachari lost his job. After knowing about any scam, the Members at that time used to rise above petty party considerations and brought the matter befoul the House for an impartial enquiry. Such high traditions were set out and have been followed in 1950s and early 1MDl. In contrast, in 1996 when the Central Bureau of Investigation came up with evidence to show that four M.P.s had received illegal payments of Rs. 40 lakhs each before a crucial vote in the House, the House never even felt the need to condemn their action. This is how we are dwindling our standards since independence. Rampant corruption and criminalisation of politics are a big menace to our parliamentary democracy. These twins are reaching a stage where they can easily swallow democracy and democratic institutions in the country. Recently, our Election Commissioner, Shri G.V.G. Krishna Murthy, has dis-, closed that as many as 40 MPs with criminal background entered the Parliament. We are on the verge of losing the faith of the people because of the delay in the passing of the Lok Pal Bill and the Bills concerning electoral reforms. These Bills should be introduced on the first day of the Winter Session and get passed.

I take this opportunity to welcome the Election Commission's order barring the convicted persons from contesting elections regardless of the fact whether there is an appeal pending in any higher Court.

Our Constitution states that 'India is a Union of States'. The main thrust of developing the States and solving their problems lies with the States. Our Constitution envisages a harmonious relationship between the Onion and the States. Even now the relations are not up to the expectations of the founding fathers of our Constitution. Several States are increasingly of the view that there is too much centralisation and that there is a need for greater devolution of powers and decentralisation. As this Government has already committed itself, through its Common Minimum Programme, to strengthen federalism through devolution of powers and finances to the maximum extent possible, I urge upon it to take immediate steps in this regard without wasting any further time.

With the 73rd and the 74th Constitution Amendments, powers have been devolved on Panchayats and nagar palikas. It was felt that this transmission of power to the people would make the system not

only more democratic but also administratively more efficient. I am sorry to state that neither democratic functioning nor powers nor even finances are to be found at the grassroot level in a large number of villages.

Regarding national integration, I must say that we have only geographical integration but not political and emotional integration. We are consciously or unconsciously driving the nation towards disintegration by encouraging communalism, casteism, regionalism and linguistic chauvinism. To strengthen parliamentary democracy and national integration, we Hit solemnly swear today that we highly respect religkxaa, castes, regions and languages; but we desist communalism, casteism, regionalism and linguistic chauvinism.

I am sorry to state that for removal of poverty, illiteracy, unemployment and for economic development of the country, some hon. MPs in both the Houses have suggested redrafting of our Constitution and shifting to the Presidential form of Government. Yet some other friends have advocated creation of smaller States or autonomous States. I honestly feel that these changes will further destabilise and weaken our parliamentary democracy. I feel, Sir, that the failures during the last SO years are not because of the defects in our Constitution or in the system of governance but because of the actions of the functionaries presiding over our democratic institutions. It is high time for all of ut, belonging to diffeent political patties, to undertake an indepth heart-searching about ourselves, OUT commitments and our efforts to bring up the downtrodden. Are we discharging our duties to fulfil the aspirations of the people or are we more interested in the wellbeing of ourselves, our friends and relatives and our party workers only? Are we devonVe much of our time and energy for mass problems or for individual problems of bureaucrats, industrialists, contractors and businessmen? I feel that the proposed second freedom struggle should start from today itself as we are leaving to our areas after this introspection. Every one of us should go with dedication and determination to save and strengthen parliamentary democracy by serving the people, for population control, for eradication of poverty, for health care, for compulsory education and for empowerment of women.

People have elected us and sent us here. We are spending more than four lakhs per hour on this House. They are watching our attendance and performance in the House through televisions. To remove the bad message which has already gone, I humbly appeal to the Leaders of all political parties to ensure that at least half of their Members are present in the House at any given time.

Finally, I would say all of us are very much happy for the last five days and for today's decent and dignified proceedings of the House. Let us keep up this in all ensuing Sessions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Now, Kumari Nirmala Deshpande. It is her maiden speech.

कुमारी निर्मला देडपांडे (नाम-निर्देशित) : महोदय,

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : आप माइक ठीक कर लें। आप चाहें तो आगे आकर बोल सकती हैं।

कुमारी निर्मला देशपांडे : क्षमा कीजिए, मेरी उम्र इस सदन में सिर्फ दो दिन की हैं, इसलिए गलती हो गई। आपने मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।

सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया और जो शहीद हुए, उन सब के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और इस संसद में जिन महान हस्तियों ने हिस्सा लिया, आरंभ से आज तक, उन सब को भी नमन करती हूं। आज के इस मौके पर याद आते हैं इस युग के महान ऋषि रमन महर्षि के वह वचन, जब भी कोई उनके पास पहुंचता था तो वह एक ही चीज तमिल में बोला करते थे नान्बार, मैं कौन हूं, अपने आप से पूछो। आज भी अपने आपसे यह बात अगर सारा देश पूछे तो सभी समस्याओं का सही उत्तर उससे मिल जाएगा। स्वतंत्रता की पचासवीं साल गिरह पर

पत्रकार पूछते हैं कि स्वतंत्रता की उपलब्धि क्या हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहती हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं, स्वतंत्रता, आजादी। आजादी सबसे बड़ी नियामत हैं। इस्लाम ने भी कहा हैं कि गुलाम की इबादत भी कबूल नहीं होती और भारत के शास्त्रकारों ने भी कहा हैं कि स्वतंत्रकः कर्त्ता। जो स्वतंत्र होता हैं वही कर्त्ता होता हैं बाकी सब करण और उपकरण होते हैं। इसलिए इस आजादी की कीमत हमें कम कभी नहीं आंकनी चाहिए।

डेमोक्रेसी के बारे में सोचने के लिए यह विशेष अधिवेशन चल रहा हैं। भारत करी डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र, त्रुटियों, कमियों और खामियों के बावजूद संसार का एक बहुत बड़ा और सफल लोकतंत्र हैं और इस लोकतंत्र पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन इसकी जो त्रुटियां, खामियां हैं उनको दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने सुझाया हैं कि डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर, सत्ता का विकेन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण के सिलसिले में जो पंचायती राज का कदम उठाया गया हैं, वह सही कदम हैं। लेकिन यह नाकाफी हैं। जब तक ग्राम स्वराज की तरफ देश नहीं बढ़ता हैं और जब तक गांवों की ग्राम सभाओं को समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तब तक प्रजातंत्र अधूरा रहेगा। यह जो विचार आज चल रहा हैं, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी पर चल रहा हैं। चाहे पार्लियामेंटरी फार्म हो, चाहे प्रेसीडेंशियल फार्म आफ गवर्नमेंट हों, ये दोनों रिप्रेजेन्टेटिव डेमोक्रेसी के प्रकार हैं। हमें पार्टीसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए। यह तभी संभव हैं, जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और जब ग्राम सभायें सशक्त और समर्थ बनें, गांव-गांव में अपनी योजना बने, अपने आय स्रोतों का निर्माण हो और इस प्रजातंत्र में जनता, जो मालिक हैं, उस मालिक के पास सही सत्ता पहुंच जाए।

इसके साथ ही महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रजातंत्र में जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए आर्थिक और सामाजिक आज़ादी की दिशा में कदम उठाने जरूरी हैं। गांधी जी से पूछा गया था कि आप स्वराज क्यों चाहते हैं, अंग्रेजों को क्यो हटाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम स्वराज इसलिए चाहते हैं कि स्वराज के बिना यह देश दुनिया की सेवा नहीं कर पाएगा और इस देश के गरीबों का उत्थान नहीं हो पाएगा। दुनिया की सेवा के मामले में तो इस देश ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसके लिए हमें गर्व हैं। गरीबों के उत्थान के काम में शासकीय कार्य भी हुए और सबसे जयादा गैर-शासकीय तौर पर कार्य हुए हैं। विनोवा भावे जी ने भूटान आंदोलन के माध्यम से इस देश की सबसे बड़ी समस्या,जमीन की समस्या को छुआ, लाखों एकड़ जमीन हासिल की और बांटी। लेकिन आज भी देश में बहुत से लोग बेजमीन हैं। उनकी तरफ ध्यान खींचना बहुत जरूरी हैं। बेज़मीन को ज़मीन, बेरोजगारों को रोज़गार देना बहुत आवश्यक हैं और साथ साथ बेज़मान को ज़बान भी दिलाना आवश्यक हैं। इसके साथ ही एक बार और मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आखिर यह गुरबत कैसे दूर होगी। क्या सिर्फ हिन्दुस्तान में गुरबन हैं? हमारे पड़ौसी मुल्कों में भी हमारी जैसी गुरबत हैं। हम खर्च करते जा रहे हैं डिफेंस पर, सुरक्षा पर। दोनों मुल्कों में सुरक्षा पर खर्च बढ़ता जा रहा हैं। और गरीबों की हालत खस्ता होती जा रही हैं। क्या 50 सालों के बाद भी नहीं सोचा जा सकता हैं इस पर कि हम मिल कर सोचें और दोस्ती का माहौल बनाए, अमन का माहौल बनाएं। इसमें दोनों मुल्कों की जनता पहल करें। मैं डेलीगेशन ले कर मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला था। जितनी चाह इस तरफ दोस्ती की हैं, उससे कहीं ज्यादा चाह दोस्ती की उस तरफ भी हैं। जो वहां के आवाम का प्यार और मोहब्बत हमें मिली, उसके बारे में क्या कहा जाए। मैं एक पाकिस्तानी शायर की नज़म के कुछ हिस्से सुनाना चाहती हूं।

तुम हमें रोक नहीं सकते
खारदार तारों की बाढ़ बना कर
पत्थरों की दीवारें उठा कर।
जिस्मों को पाबन्द कर सकते हो
मगर ज़हनों को कैद नहीं कर सकते।
हम मुट्ठी भर सर फिरे लोग
सारी जनता की आवाज़ बन जायेंगे
तुम्हारे लगाये हुए
खारदार तारों के जाल को काट कर
अपनी आज़ादी का परवाना लिख लेंगे
अमन और खुशहाली के ख्वाबों की ताबीर पा लेंगे
नफरत की दीवारों के रूख पलट कर
चाहतों के पुल बना लेंगे।

यह पाकिस्तान के आवाम के दिल की बात हैं जो मैंने आपके सामने रखी। दोनों मुल्कों में जब तक सशक्त जन आन्दोलन खड़ा नहीं होता हैं दोस्ती का माहोल बनाने के लिए, तब तक गुरबत को मिटाना संभव नहीं होगा। दोनों मुल्कों के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी हैं कि अमन, दोस्ती और भाईचारे की बात की जाए। इसी के साथ महोदय, मैं ध्यान

खींचना चाहती हूं हमारे देश के महान सपूत डा0 जाकिर हुसैन साहब, जो इस देश के राष्ट्रपति भी बने थे,वे महात्मा गांधी का दिया हुआ, तालीम में सुधार का काम जिन्दगी भर करते रहें। बुनियादी तालीम के लिए उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी लगा दी। लेकिन बद्किस्मती से तालीम में सुधार नहीं हो पाया। मुझे इस समय आचार्य विनोबा जी का वह वचन याद आता हैं जो उन्होंने 15 अगस्त के दिन दिया था आज़ाद भारत में एक क्षण के लिए हम गुलामी का झण्डा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उसको नीचे लाना पड़ा तिरंगा झण्डा फहराया गया। उसी तरह गुलामी की लार्ड मैकाले की तालीम भी, एक क्षण के लिए बर्दाश्त नहीं करनी चाहिये थी। लेकिन दुर्भाग्य से 50 साल बाद भी तालीम में बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ हैं। प्रजातंत्र के लिए बहुत से खतरे जो पैदा होते हैं उसकी वजह या गलत तालीम हैं, उसकी तरफ देश को ध्यान देना बहुत जरूरी हैं। इसी के साथ आम सहमति3 की बात आती हैं। देश पर जब कोई खतरा आता हैं। तो सब एक हो कर देश की सुरक्षा करने के लिए काम करने की बात करते हैं। आज कोई कम खतरे हैं? मुरबत हैं, बेरोज़गारी हैं, जनता के मन में असंतोष हैं। इन सब खतरों को मिटाने के लिए अगर सब मिल कर कन्सेंसस से सब दलों के लोग पार्टी से ऊपर उठ कर काम करें तो देश का माहौल बदल सकता हैं। इसी सिलसिले में विनोबा जी की बात मुझे याद आती हैं, अब सियासत से मसले हल नहीं होगें। रूहानी हलों को हमें ढूंढना होगा और हर मसले का हल ढूंढते समय रूहानियत की तरफ ध्यान देना होगा, जिसको श्री अरविन्दु ने कहा है कि मेंटल लेवल से ऊपर कर सुपरामेंटल लेवल की तरफ जाना होगा तब मसलों का हल ढूंढा जा सकेगा। दुनिया एक हो रही हैं चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे कोई और समस्या हो। दुनिया को मिल कर सोचना पड़ता हैं। ऐसा हालात पैदा हुए हैं कि हम जीयेंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। तो क्या भारत में यह काम सब दल मिलकर नहीं कर सकते हैं?

मीडिया के बारे में जरूर थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि बदकिस्मती से हिन्दुस्तान के मीडिया का रूख निगेटिव ज्यादा हैं। इस मुल्क में अनेकों अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन मीडिया का ध्यान उनकी तरफ जाता ही नहीं और बुराई को खूब पब्लिसाइज किया जाता हैं। इसकी वजह से माहोल भी ऐसा बनता हैं कि लोगों को लगता हैं कि सारे देश में गलत ही काम हो रहा हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं हैं। मीडिया को अपना रूख बदलना चाहिए। पाजिटिव बनाना चाहिए। प्रजातंत्र में जो अच्छे-अच्छे काम एन0जी0ओज़0 की तरफ से हो रहे हैं, दूसरों की तरफ से हो रहे हैं उन सबकी तरफ ध्यान देना चाहिये। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एन0जी0ओज0 को भी सशक्त बनाना जरूरी होगा। वह भी एक बहुत बड़ी इकाई हैं, जो इस देश की जनता को जगाकर, जनता को संगठित करके जनता के द्वारा जनता के पुरूषार्थ को जगाकर इस मुल्क के लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। उनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी हैं। आज हिंदुस्तान का आम आदमी भ्रष्ट नहीं हैं। आम आदमी भला हैं, अच्छा हैं, नेक हैं। कुछ खराबियां ऊपर के तबके में आयी हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह हैं चुनाव की पद्धति। क्या सब मिलकर चुनाव की पद्धति में कुछ परिवर्तन लाने की तरफ ध्यान नहीं दे सकेंगे? चुनाव की पद्धति को बदले बगैर और केवल चुनाव की पद्धति ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के द्वारा दी गयी यह जो पद्धति हैं उसे बदलना होगा- मेरे भाई गाडगिल साहब ने एक मजेदार किस्सा सुनाया था, अभी भी वही सब चल रहा हैं। इसमें बुनियादी परिवर्तन लाए बगैर, अगर हम इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे, तो सफल नहीं हो पाएंगे।

इसी के साथ आखिर में मैं एक बात कहना चाहती हूं कि महात्मा गांधी ने हमें याद दिलाया था, भारत का अपना एक मिशन हैं। वे कहते थे अगर भारत अहिंसा को छोड़ देगा तो वह मेरे सपनों का, मेरे प्यार का भारत नहीं रहेगा। दुनिया के सामने एक अहिंसात्मक जीवन पद्धति पेश करने का मिशन गांधी जी ने हमें दिया था और उसके लिए किस किस्म की मानसिकता चाहिए। भारत के प्रथम मंत्री पंडित नेहरू ने कहा था- अमेरिका के राष्ट्रपति जो द्वितीय विश्वयुद्ध के विजेता सेनापति रहे थे, उनके सम्मान में दिल्ली में आयोजित एक मीटिंग में, आम सभा में नेहरू ने कहा था- Sir, you have come to a country named India which is a very strange country.

महाशय आप एक बड़े अजीबोगरीब देश में आए हैं जिसका नाम हिन्दुस्तान हैं। इस मुल्क में उन लोगों की पूजा नहीं होती, इज्जत नहीं होती हैं, उनके सामने झुका नहीं जाता जो सत्ता के पदों पर आसीन हैं। यह मुल्क उनके सामने नहीं झुकता हैं जिनके पास अपार धन हैं, सम्पत्ति हैं। वह मुल्क उनके सामने नहीं झुकता हैं जिनके हाथ में शस्त्र-शस्त्रास्त्रों का भंडार हैं। फिर उन्होंने कहा कि महाशय, बड़ा अजीब देश हैं यह इंडिया। यह मुल्क उन्हीं के सामने झुकता हैं जो सब कुछ छोड़कर सन्यासी और फकीर बनते हैं। इसको हम याद करें। धन्यवाद।

1.00 P.M.

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Hon. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving mc this opportunity. Sir, millions of our contrymen are deprived of the right to shelter, the right to minimum health services, and the right to basic amenities, which should be provided to each and every citizen by a civilized society. 460 million illiterates of our country are yet to enjoy the freedom of literacy. At least 120 million youths of our country arc yet to enjoy the freedom of having employment.

More than SO million poor agricultural labourers and patriots of our country are yet to enjoy the freedom of having a minimum wage and a legislation in this regard. Millions of teen-agers are yet to enjoy the freedom of having a proper cultural entertainment, sports . .*(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : जस्ट ए सैंकड। अब एक बज रहा हैं, भोजनावकाश का समय हैं, पर आज लगभग 21 वक्ता बचे हुए हैं और 4.00 बजे हमें प्रस्ताव पारित करना हैं। इसलिए अगर आप सहमत हों तो आज भोजनावकाश न लिया जाए?

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया (बिहार) : हां, सस्पेंड कर दीजिए। ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : प्लीज़ कंटीन्यू। ... (**व्यवधान**)

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) : महोदय, ऐसा नहीं हैं कि 4.00 बजे ही प्रस्ताव पारित करना हैं, पहले बोलने वाले बोल लें। ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : आज भोजनावकाश नहीं होगा। प्लीज़ कंटीन्यू।

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया: टाईम लिमिट तो रखी जाए। ... (**व्यवधान**)

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा: हां, टाईम लिमिट रख सकते हैं। ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : अब कोई भी वक्ता दस मिनट से ज्यादा नहीं बोले, 6-7-8 मिनट में समाप्त करें।

SHRI BRATIN SENGUPTA: We have lost a golden opportunity of SO long years to do anything very concrete for the vast sections of our people. All of us must agree that all these things cannot be done in one day or even in a few years. But, the entire direction has not been very implicit and, most importantly, there have been many promises from different authorities and eminent personalities in different documents in the last 50 years. May I humbly suggest: Can't our CrPC be suitably so amended that making a false promise before the nation, as has been done on many occasions, attracts a criminal offence in our country? We have yet to enjoy the right to education, the right to shelter, the right to health, the right to work, the right to proper entertainment, the right to sports and games. But, many people in our society seem to enjoy the right to corruption. It took SO years to :tart an introspection how politicians have amassed wealth disproportionate to their earnings. Now, an introspection has started bow a politician who did net have a significant portion of income before joining politics, has become a rich man, has become a millionaire after joining politics. It is good that introspection has started regarding politicians. But, even after 50 years, I am constrained to say, an introspection has not started as how the big industrialists, the big business houses of this country could multiply their wealth a hundred times, a thousand times, ten thousand times and some people even more than that. They must be having some legal portion of their income. But don't any of them, who have multiplied their wealth to astronomical figures, have any portion of illegitimate income in their custody? Why is it taking time to start introspection regarding many other sections of th" ociety? It is very strange. I teel, introspection is also necessary regarding a concrete action plan to fight out the evil of corruption. Some Commission at some point of time, many days back, seemed to have recommended "Denominations of Indian

currency should not be higher than Ri. 10 in order to prevent corruption". I personally feel that this alone cannot prevent corruption because there are many other avenues and ways of corruption. Some people are reported to be saying these days that even Parliamentary Questions are sometimes sold.

I aas not such But some kind ot* plan should have been made. This Session itself, this historic Session being held to celebrate the fifty years of our independence, this significant Session itself, could have been made more attractive and a more effective one—we could have planned it that way—to really attract the attention of, and inspire, our children, teenagers, - the youth, of the country, by preparing a time-bound action plan regarding the agenda for the nation, to takcle the burning issues before the nation, in the coming fifty years.

Sir, I would take just one or two minutes more, with your kind permission to pay, on behalf of my generation, our respects to the glorious end nobl- martyr of Jalianwala Bagh who laid down their lives in the face of the brutal British tyranny. Let me pay my respects to the martyrs of the Chittagong Armoury Raid; Masterda Surya Sen and others. Let me pay my respects to the heroic fighters of die Jalalabad holocaust. Let me pay my respects to the martyrs of the Goan independence—Dada Rano, the great martyr of Goan Independence, and others. Let me pay my respects to Matangini Hazra and Kartar Singh Sarwa, the great martyrs of Manipur. Let me pay my respects to the martyrs of the Indigo-growers Rebellion; Birsa Munda and other heroes of the Santhal Rebellion and all other tribal rebellions that have taken place during die entire period of the freedom struggle of our country.

Let respects be paid equally to the martyrs of die Kayyur Rebellion, the Sannyasi Rebellion and the Tebba Rebellion and the struggle by many other sections of the society who took an active part in the freedom struggle of our country.

Let me pay my respects to the martyrdom of the heroes of the Hindustan Socialist Republican Army. Let me pay my respects to the martyrdom of Maharaja Vikramjit Singh of Manipur, the Defla heroes of NEFA, and other heroes of the Maratha and Rajput kingdoms, who fought for our freedom.

Let me pay my respects to the sweet memory of our national heroes like Dr. S. Visveswarayya, Dr. Homi J. Bhaba, Dr. C.V. Raman, Dr. Meghnad Saha, Acharya Satyendra Bose, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, Raja Rammohan Roy, Singaraveiu Chettiar, Dcshbandhu Chittaranjan Das, and many other heroes, many other illustrious national heroes, of our freedom struggle whose names are not often repeated, many of whom have not even entered their names in national history.

Finally, I would make an appeal to the Government and to all others concerned that we should bring out a compilation, a comprehensive compilation, which gives a real picture, which gives a real depiction, of our struggle for Independence.

Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल। कृपया समय का ध्यान रखें। आप के 7 मिनट हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप का आभारी हूं कि इस विशेष अधिवेशन में आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महादेय, यह विशेष अधिवेशन आजादी के गत 50 वर्षो के कार्य-कलापों का लेखा-जोखा करने का अवसर हैं। इस अधिवेशन में विद्वान माननीय सदस्यों ने राष्ट्र जीवन के हर पहलू को छुआ हैं, हर समस्या का विवेचन किया हैं। क्या कारण हैं कि सब कुछ सही होते हुए भी राष्ट्र कुछ मामलों में गलत रास्ते पर निकल पड़ा? आज भ्रष्टाचार की बात हो रही हैं, आज जूडिसियल एक्टिविज्म

की बात हो रही हैं। महोदय, हम ने पिछले 50 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, इस की विवेचना करने का यह अवसर हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, आज का विषय भारती लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र का साधारण मान्य अर्थ लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार द्वारा राज करना हैं। जहां तक लोकतंत्र की नीति का प्रश्न हैं, वह स्वाभाविक रूप से इस जनता के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यो की नीति होनी चाहिए महोदय, बहुत से पूर्व वक्ताओं ने आजादी प्राप्ति में हमारे मूर्धन्य नेताओं के नाम प्रथम पंक्ति में लिए और वह उचित भी हैं। परन्तु यह हमारा कर्त्तव्य नहीं हैं। कि हम उन लाखों जाने अनजाने शहीदों को भी याद करें, जिन्होंने आजादी प्राप्ति के पक्ष में बिना किसी आकांक्षा के अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मातृभूमि पर मर मिटने वाले उन शहीदों की चिताओं पर क्या हम वर्ष में एक बार भी दिए जलाते हैं, उन्हें याद करते हैं? आजादी से पूर्व एक कवि की कल्पना थीः

शहीदों की चिताओ पर लगेगे हर बरस मेले। वत्न पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा।

उपसभापति जी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात हैं कि आजादी की खातिर मर मिटने वाले इन दीवानों को हम भूल गए हैं। इसलिए हम यह भी भूल गए हैं कि इस आजादी की कीमत कितनी हैं। इसे प्राप्त करने मे हमने इस धरती के कितने सुन्दर अमूल्य रत्नों को न्यौछावर किया हैं। इसलिए महज रूप में हम यह भूल गए कि हमारी आजादी कितनी अमूल्य हैं। नतीजा यह हुआ कि व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान हो गया।

महोदय, हमारा इतिहास बहुत पुराना हैं। लोकतंत्र इस देश के एक कालखण्ड में पहले भी था और आज भी हैं। आजादी के पश्चात लोकसभा के 11 चुनाव हुए और हम संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाये। हमारी जनसंख्या 96 करोड़ के लगभग हैं। हमारे देश में लोकतंत्र तो हैं, परन्तु क्या सचमुच हमने लोकतंत्र की सही व्याख्या को समझा हैं और उस ढंग से आचरण कर रहे हैं। मुझे लगता हैं कि तकनीकी तौर पर हम लोकतंत्र हैं, परन्तु वास्तविक रूप से आम लोगों के प्रति हम कुछ कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारी 40 प्रतिशत से अधिक आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही हैं। ऐसा क्यों हैं? जो निवेश जनता के हित के लिए, जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए खर्च किया जाता हैं वह जनता तक पहुंचता नहीं हैं। जैसा कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी ने कहा था कि हम एक रूपया जनता के लिए भेजते हैं।

तो वह जनता तक पहुंचते 15 या 19 पैसे मात्र रह जाता हैं। बाकी पैसा कहां जाता हैं और ऐसा क्यों होता हैं? ऐसा तो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मैंने इस संबंध में इसी सदन में एक प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में मुझे बताया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही हैं। वह सूचना मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

महोदय, मुझे लगता हैं कि हम लोग अपनी आत्मा की आवाज को अनुसूची कर रहे हैं। उस स्पंदन के झकझोरों को हम भूल गए, जो सही और गलत की विवेचना करता हैं। नतीजा यह हुआ कि व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान हो गया हैं। सामूहिक, सामाजिक कल्याण गौण हो गया हैं। अब लोकतंत्र क्षेत्रीय-तंत्र और जातीय-तंत्र में बदलता जा रहा हैं क्योंकि कतिपय नेताओं को जनता को गुमराह करने के लिए क्षेत्रीय-तंत्र व जातीय-तंत्र के अलावा कोई अवलंबन दिखाई नहीं देता हैं। यदि सचमुच हम लोग अपने लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो पूरे समाज की मानसिक अवधारणा को बदलना होगा और इसका प्रारंभ देश की सर्वोच्च संस्था में बैठे हम लोगों को अपने जीवन से करना होगा। आज हमारे जीवन की प्राथमिकताएं इस क्रम में हैं —प्रथम व्यक्तिगत, द्वितीय पारिवारिक, तृतीय वे संस्थाएं जिनसे हम जुड़े हैं और चतुर्थ यह राष्ट्र। इस क्रम को बदलकर राष्ट्र को प्रथम प्राथमिकता देनी होगी, जिन संस्थाओं और संस्थानों से हम जुड़े हैं उन्हें परिवार को तीसरे और स्वयं को चौथे स्थान पर रखना होगा तभी हम सचमुच भारतीय लोकतंत्र को बचा पाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास हैं कि केवल सोचने या कल्पना करने मात्र से यह नहीं होगा। इसके लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता होगी। यदि चरित्र नहीं हुआ तो राष्ट्रीय अस्मिता, जो लाखों वर्षो की तपस्या के बाद हमें प्राप्त हुई हैं वह काल के करालगाल में कहीं खो जाएगी। चरित्र निर्माण कोई असम्भव कार्य नहीं हैं, प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल : महोदय, अभी दो मिनट में खत्म करता हूं। यदि राष्ट्रीय जीवन में चरित्र को प्राथमिकता दी जाएगी तो सहज रूप से धीरे-धीरे सारे मसले स्वयं हल जाएंगे। यदि आज हमारा राष्ट्र एक हैं, हम इसे बचा पाए हैं तो वह सब हमारी बची खुची संस्कृति द्वारा प्राप्त चारित्रिक बल के कारण हुआ हैं। जब मैं चरित्र की बात करता हूं तो उसमें बहुत सी बातों का समावेश हैं। केवल शासनतंत्र और कानून के द्वारा हम

लोगों की पाश्विक इच्छाएं दमन नहीं होंगी तो लोकतंत्र का कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए यदि भारतीय लोकतंत्र का कभी उद्धार नही हो सकता। इसलिए यदि भारतीय लोंकतंत्र को बचाना है तो हमें एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना होगा। स्वच्छ समाज बिना चरित्र बल के नहीं बन सकता। आज नहीं तो कल इस अति महत्वपूर्ण विषय पर हमें मिल बैठकर विचार करना होगा। धर्म जाति,व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर यदि हम विचार करेंगे तो भारत का प्रबल राष्ट्र बनने की राह पर चलेगा। ऐसा मेरा विश्वास हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : अब समाप्त कीजिए।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल : मैंने तो सोचा अभी तीन मिनट हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): आपने गलत सोचा, अब समाप्त कीजिए।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल: आज की शिक्षा हमें अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डाक्टर, अच्छे विधिवेता और अच्छे शासक तो देती हैं किन्तु अच्छे इंसान बनाने में यह असफल हैं। समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता हैं और हर व्यक्ति एक प्रबल राष्ट्र की स्वच्छ अवधारणा को लेकर जीवन के रास्ते पर चलेगा तो वह राष्ट्र की हानि को अपनी हानि व राष्ट्र हित को अपना हित समझेगा और गलत काम होने पर उसकी आत्मा उसे कचोटेगी।

इसलिए सभापति जी, मेरा निवेदन हैं कि सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के मानने वाले लोग मिल-बैठकर एक स्वच्छ राष्ट्रीय नीति का निर्माण करें ताकि शिक्षा प्राप्त करने वाला हर बच्चा राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : अग्रवाल जी, अब खत्म कीजिए।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल: मैं खत्म कर रहा हूं। अपने हितों के पोषण के लिए कुछ लोग नए-नए नारे गड़ लेते हैं और जनता में भ्रम पैदा कर अपना स्वर्ण सिद्ध करते हैं। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया हैः-

ऊं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि परवन्तु मां कशिचत् दुःख भावभवेत।।

अर्थात् सभी सुखी हों, सब निरोग हों, सभी समृद्ध हों और कोई दुखी न रहे। हमारी संस्कृति ने वह भी बताया हैः-

उदार चरितानामतु, वसुधैव कुटम्बकम्

अर्थात् जिसका चित्त और चरित्र उदार हैं, उसके लिए सारा संसार ही कुटुम्ब के समान हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका कभी-कभी मिलता हैं। मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

इतिहास इस बात का साक्षी हैं कि हमने हाथों में तलवार लेकर घोड़ों की टापों के नीचे मनुष्य समाज को व धरती को नहीं रौंदा, परन्तु लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। इसके बावजूद वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : अग्रवाल साहब, आप समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी ने कहा था कि कोई ज्यादा समय नहीं लेगा, बहुत से नाम हैं आपकी पार्टी के। इस तरह से तो दूसरे लोग नही बोल पाएंगे।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल : मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसी नीति का निर्माण करें ताकि भारत एक प्रबल जनतांत्रिक राष्ट्र बने, किसी का हक छीनने के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटम्बकम् का नारा गुंजायमान करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारे कार्यो पर गर्व हो और समस्त मानव जाति सुखी और समृद्ध हो।

उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Shri Kartar Singh Duggal. This is his maiden speech. But I request him to be very precise and brief and to restrict himself to the assurance that he has given to me that he would speak only for six or seven minutes. Thank you.

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me a few minutes to address this august House despite severe constraint of time in the Special Session.

Sir, I take this opportunity to congratulate the Prime Minister, Shri Inder Kumar Gujral for deciding upon a panel of nominees for this august House consistent with the true spirit of the Constitu-

tion. He has spread his net wide and invited talent from various fields which I hope will be of great value to this House. 1 am also of the opinion that Shri Gujral has been able to resist the temptation of having a few nondescript talent who might have helped him, but he opted for talent from various fields which 1 think is going to help the country a lot. Sir, there-is no denying the fad that the Prime Minister, Shri Inder Kumar Gujral has a lot of problems before him what with corruption which is rampant in the country and eating into the vitals of our society, what with population which continues to grow unabated and is bursting at the scams. Then, there is violence, brutalisation which is witnessed in the society, men, women and children arc being killed like mosquitoes and flics. Sir, he has to tackle these problems and he wants like-minded people, the people who arc devoted to the causes dear to him share this burden. After all, what he wants is understanding; what he wants is harmony; what he wants is social justice. And, who in this House docs not want this? Wc need to support his hands.

I, as a writer, feel that the writers' community should be involved in it. 1 am, in this context, reminded of an observation made by erstwhile Secretary of the Sahitya Academy, who retired recently. In an interview, given to the Press, he said: Of late, there has been a feeling of irrelevancy in so far as the Indian writer is concerned in the body politic of this country. The more I think about it, the more I think there is a great deal of truth in what he said.

Sir, the circumstances have been conspiring in a way that we overlooked eminent writers who were there in this House I can somehow remember scholars like Dr. Karan Singh. He is, of course, here now, but there was a time when he was dropped out. Then Mr. K. Natwar Singh. He was dropped. Mr. Rafiq Zakaria was dropped. Mrs. Nandini Satpathy, a very sensitive Oriya writer was dropped. I am giving the names of only those who came in touch with me and I can claim their friendship. They were not returned, but what happened in the previous session was that no one of the writers was even nominated in this House with the result that there was a complete black-out. This had resulted in a feeling of frustration What I feel is that the writers' community should be involved. They should be given a sense of participation They should be invited to take part in the National affairs

Sir. it will be a very ungrateful nation, if it forgets the role that the writers played in this country's freedom struggle. Tagore, Sri Aurobindo Ghosh. Bharati. Vallathali, Sarojini Naidu and KM Munshi were great writers, who played their role in the freedom struggle. In this Mouse wc had Suruti Kumar Chattcrjcc, Kaka Saheb Kalckar. Sayycd Abdul Malik from Assam. Wc also had Surinder Mohanty from Orissa, Ramdhari Singh Dinkar from Bihar, Harvanshrai Bachchan, Giani Gurmukh Singh Musafir, Amrita Pritam from Punjab and R.K. Narain from South. They were very eminent people and they played their part. Now, it is time that with the various problems that the country is faced with, we should get the participation of the writers. Given them a sense of belonging, participation and involvement in the problems of the society so that they can play their part. Thank you.

[The Vice Chairman (Shri Sanatan Bisi) in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Shri Narendra Pradhan—absent. Shri Surinder Kumar Singla.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to express my views on this occasion. Sir, it is a rare and historical moment of pride for Indians to celebrate the 50th year of India's independence. We are familiar with the progress which has been made

by India in the last fifty years. It is really noteworthy. The fact of the matter is that India has performed extremely well in all sectors of human activities after independence. Sir, today's topic is 'Parliamentary Democracy.' We feel pleasure that we are functioning under a Parliamentary System of Democracy in this country. The fact that has to be taken into account is, whether the Parliamentary Democracy has functioned or has not functioned in this country. This is a serious matter which should be considered by the Members of Parliament and the legislators of the State Assemblies. The representative character of India's democracy, both in the State Assemblies as well as in Parliament, lacks a democratic content. The Parliament as well as the State Legislatures have to represent the people of the country. Fifty per cent of the electorate do not participate in the elections. Fifty per cent of the electorate who participate in the elections, their representatives are present in both the Houses of Parliament as well as the State Legislatures. If you see the governing elite, I am sorry to say that 70 per cent to 80 per cent of the people are not represented in the Government. This is happening at a time when the country is celebrating the fiftieth year of its independence. You have a coalition Government at the Centre which is not representing the people of India in its entirety. There are 200 MPs in this House. Out of 200 MPs, about 100 MPs belong to the Congress Party. About fifty MPs belong to the CPI(M) and other parties. In fact, the coalition Government does not represent a majority of people. The functioning of democracy in Parliament and the State Legislatures has reached a point where it has produced a unstable and opportunist coalition type of Government. The unfortunate thing is that those who are running the Government, day in and day out say that the coalition Government is going to stay on. The coalition mandate at going to remain in power and it is likely to be repeated. Is it possible to accept this version? Yes, it is. A party of one MP or two MP or ten MPs would definitely want a coalition kind of a set up to repeat. You cannot expect of them to say that the majority party should rule the country.

Sir, the tragedy is that this Coalition-mandate has produced the worst kind of the Government in the country, it is not functioning, and the whole Indian State and society is subjected to the Common Minimum Programme. The Common Minimum Programme is that the Indian people have to be satisfied, whether or not they are actually satisfied, with the Common Minimum Programme that their Government is giving. For them, they are choosing to have the maximum power. And only the other day, I heard one component, one constituent of the Coalition saying that we are under-represented, we would like to have more Ministers in the Cabinet and the Cabinet is going to change! That is the "respect" that the Coalition-mandate is giving to the countrymen; that is the representation, the democracy that the country is going to have through this kind of a Coalition. People are watching all over the country. Sir in this kind of a scenario, I have a few suggestions to make. One is let there be compulsory voting. I know that there are problems of compulsory voting. Once you have issued an identity card to all the citizens of India, there would not be a major problem of enforcing compulsory voting. If you want to have a total representative character of democracy, there is a possibility that some people would not like to vote at all. They would not like to vote in the sense that probably, they would not believe the system to be right or probably they do not approve any candidates and any party. Then let there be a provision for a negative voting, as is happening in many other societies in the world where they are having compulsory voting but also with a right of negative vote, that, you can ensure greater representation. Greater representations are coming and are being

reflected. Sir, I would like to remind that the Constitution has framed a parliamentary form of democracy. Sir, this Draft Committee, which is popularly known as a Drafting Committee, was, in fact, a Scrutiny Committee under Dr. Ambedkar. In that Scrutiny Committee there were nine Members and only one out of the total nine Members was a freedom fighter and all the other eight were non-freedom fighters! Sir, to your surprise, if I reveal further, four Members of that Scrutiny Committee had always been in Europe; they did not deliberate, they did not really participate in the Scrutiny Committee's proceedings. When this matter came, the "draft" was ready. The "draft" came to the Constituent Assembly, and I remember, Sir, that very few people—I repeat "very few people"—supported that Constitution! Very few people supported it, but in a hurry, Pt. Jawaharlal Nehru said, "This is a transition Constitution; I can't and the Constituent Assembly can't bind new generations of India through this Constitution." Sir, Pt. Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister, assured the Constituent Assembly and said, "There is always a need for a new Constitution; systems are changing so fast, new changes are coming up that there is a need to have a new Constituent Assembly;" may be, convert the present Parliament into % new Constituent Assembly to look into whether the parliamentary system in which you function, has produced this kind of a result. Sir, the result is obvious; in 1947 you had a national vote, but it is unfortunate that today what we have in this country is a "caste-vote," a "communal vote," a vote in terms of areas, say, an area vote, a "regional vote." It is a shame that there is no "national vote" today. Is it not a crime that the Constitution or the parliamentary system of India has functioned in the way that no nationalism is going to be left over? Sir, if, under the kind of system, the electoral system that we have, in a constituency, it suits me to declare my caste—and they are a majority—if I can easily get elected, why shouldn't I do this? So, the kind of system that we have in this country only strengthens, perpetuates the casteist forces, the communal forces, the regional forces of narrower loyalities to India. Values to India cannot be narrated. Sir, is this Parliament, which is a product of these forces of electoral system, functioning? It is not. Everyday the Parliament is becoming most irrelevant. I am here for the last five years. I know how Parliamentary authority, which is the final redressal authority, the final power of the people of India, has been flouted and how the Executive part is not bothered about it. Sir, for example, you see how. we conduct a debate in the House. For example, Sir, the Question Hour was designed so that you can test whether the policy is correct or not correct. It is the ground reality. I would like to ask the hon. House whether at any time a Question Hour debate could really result in changing a policy. No. Similarly, Sir, in the. legislative business in the House, legislations are passed by the Parliament binding Indians for centuries to come without debating on the legislative aspects of the legislation. But people come here, make political propaganda speeches according to the party position and the tragedy is that people of this country suffer. The recent exampls that I would like to give you is about the Delhi Rent Control Act.- Sir, in both the House of Parliament, the Delhi Rent Control Act was passed with a voice vote and without discussion. There was no debate. What happened was, when people's pressure was built in Delhi, they came for discussion again. Is that the way the legislature should function; legislating on the issues which is only making Indians to be very litigant than anything else? Is this the way Parliament should function? The Parliament is becoming irrelevant. I am here for the last five years. I do participate in a lot of debates. I don't remember whether those views which were expressed have really become a policy input. No. The Parliament is not really performing the role of a policy

formulator. The Parliament is not performing the role of shaping a policy. The policy document approved by the Cabinet is prepared by the bureaucrats. This is the function of a legislature. The tragedy is the roles arc reversed. Parliament Members arc simply interested in seeming a lot of bureaucratic reshuffle. somebody is interested in changing one office to another and the real role is hijacked by the bureaucracy. Sir, the bureaucracy in the country still has a colonial mindset... My senior colleague, Mr. Gadgil has very well told you how the burcacuracy with a colonial mindset has functioned. Sir, many other people like Shri Ram Gopal narrated stories of bureaucratic lessons to Members of Parliament. I am not entering into that debate. What I am saying is, the bureaucracy, the way it functions—I will give you a small example...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : नहीं-नहीं, आप एक्जाम्पिल नहीं दीजिए। आपने पाइन्ट्स तो बोल दिए हैं।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Being a Member of PAC, I want to tell you an interesting aspect. The Tea Board is constituted for the promotion of tea all over the world. Now this Tea Board was constituted and centres are opened up in five centres like Australia, Sidney, London, New York and other places. Sir, to your surprise it was discussed in our Committee, the PAC that there is a sale of Rs. 40,000 in London and the expenditure is l,8O,0u\O6D. You find another sale is Rs. 65,000 only in New York and the IAS officer who is looking after this is costing the exchequer to the tune of Rs. 2 crores. What is happening is that it is the bureaucracy which is doing all this. Is the bureaucracy really helping the people of India? My whole point is that this colonial mindset has to change. But it is not changing. I think we require a thorough debate on whether there is a need to change the Constitution. My firm belief is that if you want to really produce results... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): This was the first point you made. It is no use repeating the same thing. You have already taken more than ten minutes.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: No, Sir. I have taken only five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): You started at 1.25 p.m. It is 1.42 p.m. Think for yourself.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, I want five minutes more. I will conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I cannot give you any more time. You have made 4-5 points which are very vital.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Only 2-3 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please conclude.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am concluding, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please conclude immediately.

SHRI SURINDER . KUMAR SINGLA: I am concluding, Sir. Whatever is left in terms of functional and representative character of India's parliamentary. democracy is being destroyed sow. A fine balance was created by our Constitution between the Executive, the Judiciary and the Legislature. Now, with the kind of irrelevant Parliament that we have which lacks authority and which is normally embroiled in petty quarrels, the Judiciary is taking upon itself the responsibility of deciding the ftiajrtinnr of our Parliament. The role of PaUfcmcnl is being hijacked by the Jadiciaiy through its despotism and activism.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): You have already

made those points. What more do you have to say? Please take your seat. You have taken more time than you are allowed to take.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, if you disrupt me like this... *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Nobody is disrupting your speech. Don't say like that. You have already covered five areas and they are very vital areas. How many more points do you have?

DR. JAGANNATH MISHRA (Bihar): Sixth and seventh.

THE VICE-CHAIRMAN SHRI SANATAN BISI): We cannot give you more time. Please conclude.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, there has to be a serious attempt by this Parliament to bring forth some legislation on the issue of a PIL which not only asserts the rights of the Government but also the rights of Parliament and for setting a judicial agenda of its own to decide what it has to do and what it has not to do. In fact, the PIL, which is really beyond the Constitution, is not well defined. It depends upon the Judiciary to say whether a particular PIL is admissible or not admissible. This has dangerous portents for the functioning of India's democracy.

The last point I would like to make is that if you want democracy to survive in India, it has to be a growing nation, moving ahead and really meeting the aspirations of the vast majority of the Indians, particularly those in the rural areas. For that, India has to have the most representative character. Let there be a democracy which assures every one of his rights. The fact of the matter is that democracy is just not there. My slogan is: Let there be more democracy, less Government and more governance. If you have this, you will find the Indians satisfying. The way we are functioning is not at all satisfactory. The nexus between politicians and criminals is there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Singla, I cannot give you more time. Please, you have to conclude.

SHRI SURIDER KUMAR SINGLA: Lastly, I would like to say that if we have to move towards the goal of prosperity for all its citizens, then we have to adopt the Presidential form of Government.

My second suggestion is that we have to seriously think about reorganisation of our States. What we have observed is that most of the States have actually taken-off towards achieving greater growth-rates and greater social justice. If you look around, you will find that the States in the western India and the States in the southern India, as also a few States in the northern India, have been able to do so. But there are three States mainly, which are blocking the progress of the entire country and those are Uttar Pradesh, Bihar—Jagannath Mishraji's State—and Madhya Pradesh. For example, if there had been some kind of a reorganisation of the State of Uttar Pradesh, the western U.P. forming one State and the other areas forming other States we would have seen greater growth in U.P. and it would also have been a more controllable State. So, it is tiraeifor instrospection today. We should appoint a States' Reorganisation Commission or we should have some other mechanism so that our States can become more manageable ones.

Sir, I come from the State of Punjab and I can tell you that after reorganisation both, Haryana and Punjab, have progressed faster. Even the State of Himachal Pradesh has gained tremendously from this reorganisation. So, if you have a State with a population of something like three to four million, it is a manageable one. Even a State with thirty or forty million population is a manageable one. Bat it is impossible to manage a State which has a population of

something like ISO million. A smaller State can inject energy in its political leadership and its bureaucracy is easily controllable.

Lastly, I would like to say that the village units, which are totally neglected today, have also to be attened to. Thank you very much.

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक सदन में, इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आज का विषय संसदीय लोकतंत्र विषय हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिन चार विषयों का चयन हमने डिबेट के लिए किया हुआ था, उनमें इस इस आखिरी विषय पर तीन दिन से बहस चल रही हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां हैं और हाल के वर्षो में वे चुनौतियां ज्यादा बढ़ी हैं। महोदय, 1950 से लेकर 1995 तक लोग सभा में सिर्फ चार विश्वास मत प्रस्ताव आए थे। लेकिन 1996 से लेकर 1997 के बीच में, इन डेढ़ सालों में पांच विश्वास पस्ताव आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर यह अंक गणित क्यों बदल गया। महोदय, शुक्रवार को देवगौड़ा जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि " Parllamentary domocracy has become a struggle for power". मगर याद कीजिए कि 13 जून, 1996 को जब भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की संयुक्त सरकार को गिराया गया था तब क्या पावर स्ट्रगल नहीं था? तब मुद्दा धर्म-निरपेक्षता का था। तब मुद्दा साम्प्रदायिकता का था। देव गौड़ा जी ने उस वक्त बोला था, 11 जून को लोक सभा में, मैंने वह भाषण पढ़ा हैं, वह मेरे पास हैं कि मैं इसलिए इस सदन का नेता बनने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं क्योंकि तमाम सेकुलर फोसेंज ने मिलकर मुझे सेकुलर फ्रंट का लीडर बनाया हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की संयुक्त सरकार को इसलिए गिराना जरूरी हैं क्योंकि ये पार्टियां साम्प्रदायिक हैं। महोदय, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हैं कि धर्म-निरपेक्षता क्या हैं, साम्प्रदायिकता क्या हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। महोदय, धर्म-निपेक्षता पर बहस इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस उन तमाम दलों के गठबंधन को समर्थन दे रही हैं जिसके साथ कांग्रेस का कोई राजनैतिक तालमेल नहीं हैं। महोदय, सेकुलरिज्म का हिन्दी शब्द हैं धर्म निपेक्षता। मैं हिन्दी भाषी हूं, हिन्दी पढ़ता हूं, हिन्दी बोलता हूं, हिन्दी लिखता हूं। अब उस हिसाब से अगर मैं धर्म निपेक्षता

aj Tnfea5 3?4 ^?r^ fc fe^ Pw*}ffl ^ # *$$t <rat का शाब्दिक अर्थ ढूंढने के लिए निकलता हूं तो मुझे पता चलता हैं कि वह विचार जो धर्म से निपेक्ष हो जाए। क्या संभव हैं? जिस देश में धर्म की इतनी महत्ता हो, जिस देश में कहा जाता हैं कण कण में भगवान बसते हैं, जिस देश में पत्थरों मे, पेड़ो में, पौधों में, नदियों में, सागर में, हर जगह धर्म समाया हुआ हैं, उस देश में हम धर्म से निपेक्ष नहीं हो सकते। महोदय, मेरे पास स्वामी विवेकानन्द जी की एक किताब हैं। मैं उससे से दो लाइन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानन्द जी ने हिन्दुस्तान में धर्म का क्या महत्व हैं, इस पर दो लाइनें लिखी हैं। Here in this blessd land, the foundation, the backbone, the life centre is the religion and religion alone."

उस देश में कहा जाता हैं कि धर्म निरपेक्ष हो जाइये। गांधी जी ने मरते-मरते कहा "हे राम"। गांधी जी ने कहा कि राम राज्य बनाएंगे। उन्होंने जिस स्वराज्य की कल्पना की थी उसको नाम दिया था राम राज्य। उस राम राज्य में कोई राम जी राज करने के लिए नहीं आने वाले थे उनका मकसद था राम राज्य एक ऐसा राज्य होगा जहां धर्म से उपजी हुई नैतिकता और आचरण का शासन होगा। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं जो हमें एक जीवन पद्धति देता हैं, जीवन दर्शन देता हैं। आत हम बहुत परेशान रहते हैं, आपस में विचार करते रहते हैं कि आखिर राजनीति में इतनी अनैतिकता क्यों आ गई हैं। क्योंकि महोदय, धर्म से जो नैतिकता मिलनी चाहिये, उस नैतिकता को हमने नकार दिया हैं। स्वाभाविक हैं कि राजनीति पर अपराधकर्म और भ्रष्टाचार हावी होगा। इसलिए आज राजनीति पर भ्रष्टाचार और अपराधकर्म हावी हो गया हैं। महोदय, जब हम धर्म की बात करते हैं तो एक तर्क उसको राजनीति में मत आने दीजिये। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जो पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ हैं। हमारे यहां जिस हिन्दू धर्म की बात करते हैं, वह मत पूरा पद्धति नहीं हैं, हम जिस हिन्दुत्व की बात करते हैं वह मात्र पूजा पद्धति नहीं हैं, यह हिन्दू धर्म एक संस्कृति हैं, एक राष्ट्र धर्म हैं। महोदय, इसमें तमाम संप्रदायों का समावेश हो सकता हैं, होता रहा है। यह इस देश की पंरपरा हैं। इसलिए महोदय, मैं आग्रह करना चाहुंगा कि अगर संसदीय लोकतंत्र को आने वाले दिनों में खतरों से बचाना हैं, अनैतिकता और समुदाय से बचाना हैं तो हमें धर्म की जो संवेदनाएं हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा, धर्म के जो मूल्य हैं उनको अपने दिल में

उतारना पड़ेगा। महोदय, हमने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया हैं, नतीजा सामने हैं। इसलिए मेरा सुझाव हैं कि जो धर्म निपेक्षता का राजनीतिक ढकोसला चल रहा हैं, उस ढकोसले को त्याग दीजिये।

महोदय, दूसरा प्रश्न है साम्प्रदायिकता का। साम्प्रदायिकता के नाम पर हमारी शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी को एक किनारे बैठा दिया गया हैं। महोदय, वहां बीच में बैठते हैं एक मुस्लिम लीग के सांसद्। क्या मुस्लिम लीग एक धर्म निपेक्ष पार्टी हैं? जिस पार्टी ने इस देश का विभाजन कराया जिस पार्टी ने पृथक राष्ट्रवाद का फार्मूला दिया, हिन्दुओं के लिए अलग राष्ट्र और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र जिस पार्टी ने धर्म के नाम मजहब के नाम पर देश के दो टुकड़े कर दिये, उस पार्टी को आप अपने साथ बैठाते हैं। जो इस देश में राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, उनको दरकिनार कर देते हैं, कहते हैं कि यह साम्प्रदायिक हैं। महोदय, मेरा सवाल हैं मैं इस सदन से सवाल करना चाहा हूं, मुस्लिम लीग से राजनैतिक समझौता करना साम्प्रदायिकता नहीं हैं तो क्या हैं? जो पार्टिवां और जो नेतागण जामा मस्जिद में जाते हैं और मौलाना के कदमों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों के लिए आप फतवा जारी कीजिये, वह साम्प्रदायिकता नहीं हैं तो क्या हैं? मुम्बई में शिव सेना प्रमुख श्री बालासाहेब ठाकरे जी ने एक अभियान छेड़ा मुम्बई, महाराष्ट्र या हिन्दुस्तान में जहां कहीं भी अवैध रूप से बंगलादेशी और पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन को निकाला जाए, हटाया जाए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हैं। इस मुद्दे पर हमें साम्प्रदायिक कह दिया गया सिर्फ इसलिए कि वह नागरिक मुसलमान थे। महोदय, पहले इस देश को समझाना पड़ेगा, इस देश की सुरक्षा को समझना पड़ेगा और उसके बाद धर्म निरपेक्षता और साम्प्रदायिकता पर बहस करनी पड़ेगी। महोदय, मैं दो तीन दिन पहले एक अखबार पड़ रहा था। अल्पसंयक आयोग के अध्यक्ष का एक बयान आया था एक बहुत अहम सिलसिले में। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अक्सर मुस्लिम क्यों होते हैं? क्या इस देश में अल्पसंख्यक सिख, बौद्ध जैन और पारसी नहीं है। महोदय, इस सदन में जब बहस चल रही थी तो अक्सर वह बात निकलकर आयी कि माइनारिटी पीछे छूट गयी हैं। जब माइनारिटी की बात आती है। तो मुस्लिम समाज की बात आती हैं। मुस्लिम समाज शिक्षा में पीछे हैं,रोजगार में पीछे हैं, अपराधकर्म में आगे बढ़ गया हैं, समृद्धि नहीं मिल रही हैं। मुस्लिम समाज को मैं कहना चाहता हूं अल्पसंख्यक तो सिख समाज भी हैं। वह इतना शिक्षित कैसे हो गया हैं। पंजाब इतना समृद्ध प्रदेश कैसे बन गया हैं। पारसी समाज जो सबसे छोटा अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह इतना शिक्षित वर्ग कैसे हो गया हैं, वह इतना समृद्ध वर्ग कैसे हो गया। महोदय, इसलिए जो एक नारा दिया जाता है कि अल्पसंख्यक सफोकेट हो रहे हैं उनके अंदर असुरक्षा की भावना हैं, यह गलत प्रचार हैं। मैं सदन में आपके माध्यम से वह विचार रखना चाहता हूं कि इस देश में जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भेदभाव होता हैं उस भेदभाव को मिटा दिया जाए। इस देश के आम नागरिक को उसका अधिकार मिलना चाहिए और समान अधिकार मिलना चाहिए। जब तक हम जातियों और सम्प्रदायों के नाम पर इस देश को बांटते रहेंगे तब तक इस देश में कोई भी व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को अमर करें, मजबूत करें तो महोदय जैसे इस देश में एक राष्ट्र हैं, एक राष्ट्रीय घ्वज हैं, एक राष्ट्रीय गीत हैं, उसी तरह से इस देश में एक ही कानून भी लागू करना पड़ेगा। परसनल ला की बात हैं। लेकिन परसनल ला के जो सारे प्रावधान हैं उन प्रावधानों को क्यों नहीं मानते हैं। सिर्फ चार शादियां करने के लिए परसनल ला होगा। चोरी करने के बाद परसनल ला में प्रावधान है कि हाथ काट दिए जाएं तो क्यों नहीं हाथ काटे जाते हैं उनके। आप कहेंगे लोकतंत्र हैं। फिर मानवाधिकारों की बात हैं। लोकतंत्र में उदारता होती हैं। तो लोकतंत्र सिर्फ वहीं पर क्यों होता हैं। हर तरफ लोकतंत्र में कहा गया हैं कि सभी को समान अधिकार, समान न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध यह हैं महोदय कि एक समान नागरिक कानून बनाना चाहिए।

मुस्लिम समाज पिछड़ गया हैं। इसका दुख हैं हमें। लेकिन मुस्लिम समाज क्यों पिछड़ा यह विचारणीय विषय हैं।

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI (Uttar Pradesh): A point of order.

श्री संजय निरूपम : एक मिनट। हमारे पास आलरेडी वक्त बहुत कम हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी : मैं यह समझता था कि यह बहस पार्टी लाइन से ऊपर उठकर होगी ... (**व्यवधान**) मुद्दों पर बात होगी। लेकिन ऐसा मालूम होता हैं ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आप थोड़ा बैठ जाइए। निरूपम जी बैठिए।

• **श्री खान गुफरासन जाहिदी** : ये एकता के विरोध में बात कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : निरूपम जी एक मिनट बैठिए। आप बैठिए।

श्री खान गुफरान जाहिदी : मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ... (**व्यवधान**) मैं समझता था कि ये दलगत रातनीति से हटकर कुछ बात करेंगे ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आप क्यों बोल रहे हैं। लेट भी कंट्रोल द हाउस। डोंट इन्टरफेयर ... (**व्यवधान**)Take my permission first. *Interruptions)* You can raise your point but first you have to take my permission. Do not stand up. *(Interruptions)*

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI: f am seeking your permission] *(Interruptions)* He is vitiating the atmosphere. He is vitiating the discission of five days.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please take your seat. *(Interruptions)* I Will allow you. लेकिन आप खड़े होकर बोलेंगे तो सारा इन्टरफेयरेंस होगा ... (**व्यवधान**) जो संविधान के बारे में बातचीत हैं, कोई मेम्बर बोलेगा या नहीं बोलेगा आप उनको मना नहीं कर सकते हैं।

SHRI KHAN OUFRAN ZAHIDI: He is speaking about *tamvidhan. (Interruptions)*

श्री संजय निरूपम : येस, संविधान की धारा 44 में लिखा हुआ हैं ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आप क्यों बोलते हैं ... (**व्यवधान**)

श्री संजय निरूपम : संविधान पढ़िए। धारा 44 में लिखा हुआ हैं..

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आप उठ जाएंगे तो आई विल नाट एलाउ। आप उठेंगे तो मैं भी आपको एलाऊ नहीं करूंगा When I am controlling the House, why do you speak? *(Interruptions)* I am here to protect. *(Interruptions* आप क्यों उठ रहे हैं ... (**व्यवधान**) आप ज्यादा बड़े इन्टरप्रेटर मत बनिए ... (**व्यवधान**) I am in the Chair. Please go ahead, Mr. Nirupam.

श्री संजय निरूपम :महोदय, जब मैं समान नागरिक कानून की बात कर रहा हूं तो यह असंवैधानिक कतई नहीं हैं। संविधान में जाकर देखिए, धारा 44 में लिखा हुआ हैं, सरकार,राज्य इस बात का प्रवास करेगा कि एक समान नागरिक कानून की व्यवस्था हो। इसलिए मैं पहले अपने माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : माननीय सदस्य नहीं, मेरे को बोलिए।

श्री संजय निरूपम : महोदय, मेरा कहना यह था कि मुस्लिम समाज क्यों पिछड़ गया। मुस्लिम समाज को शिक्षा क्यों नहीं मिली। क्या किसी स्कूल में, किसी कालेज में, किसी यूनिवर्सिटी में बाहर बोर्ड लगा हुआ हैं कि यहां सिर्फ हिंदुओं को दाखिला मिलेगा? क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की हैं कि मुस्लिम समाज को शिक्षा नहीं मिलेगी। उनको नौकरी मिलेगी। कहां लिखा हुआ हैं यह? सच यह हैं कि मुस्लिम समाज को जब तक हम वोट बैंक बनाकर रखेंगे, यह समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं पूरे सदन से वह आग्रह करता हूं,यह अनुरोध करता हूं, कि हमारे देश के मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में शामिल किया जाए ... (**व्यवधान**) यश, क्या आप कुछ बोल रहे थे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आपका तो टाइम हो गया हैं।

श्री संजय निरूपम : नहीं सर। अभी दो तीन बातें और हैं। सर, मैं महाराष्ट्र सरकार पर आना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : तो प्वाइंट्स में बोलिए।

श्री संजय निरूपम : सर, हमें कहा जाता हैं कि हम साम्प्रदायिक हैं, हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं। पिछले ढाई साल से महाराष्ट्र में शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार हैं।

2.00 P.M.

ढाई सालों में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। आज तके किसी मुसलमान को नहीं कहा गया कि तुम नमाज पढ़ने मत जाओ। उनकी मस्जिदों की जे समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान ढूंढा जा रहा हैं। ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : प्वायंट पर बोलिए।

श्री संजय निरूपम: मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि सब से बड़ा सवाल धर्म निपेक्षता और सांप्रदायिकता का हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : वह तो आपने बोल दिया।

श्री संजय निरूपम : महोदय, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। सही मायने में धर्म-निपेक्षता ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : नहीं-नहीं, वह तो आप बोल दिए ... (**व्यवधान**) अब आप और क्या कहना चाहते हैं।

श्री संजय निरूपम : सही मायने में जो धर्म निरपेक्षता का विचार रखा जाता है ... (**व्यवधान**)

The Vice-Chairman (Shri Santan Bisi): That you have lold...*(Interuption)*

श्री संजय निरूपम : उस मामले में हम सब पर खरे उतरे हैं। हमने कहा कि यहां पर ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : नहीं-नहीं वह चीज़ तो आप बोल चुके हैं। उसको आप रिपीट क्यों कर रहे हैं।

श्री संजय निपरूपम : महाराष्ट्र सरकार में जो दो पार्टियां हैं जिनको सांप्रदायिक पार्टियां कहा जाता हैं उन पार्टियों की सरकार में मुस्लिम समाज की अवस्था मैं बता रहा हूं सर, इतना बताने का तो मुझे हक हैं। मैं यही बता रहा हूं कि पिछले ढाई साल में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : हो गया बस। ... (**व्यवधान**)

श्री संजय निरूपम : मैं वही बता रहा हूं... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आप और क्या कहना चाहते हैं? आप प्वायंट् पर बोलिए। ... (**व्यवधान**)

श्री संजय निरूपम : वहां उनके त्यौहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। तो मेरा आग्रह यह हैं कि धर्म-निपेक्षता की जो धारणा आम तौर पर बताई जाती हैं उस धारणा में शायद कोई खोट हैं क्योंकि हम सांप्रदायिक होते तो मुस्लिम समाज वहां सुरक्षित नहीं रहता। आज तक मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने मुंबई में यह नहीं कहा कि हम असुरक्षित हैं। अगर इस देश में मुस्लिम समाज इस समय कहीं सब से ज्सादा सुरक्षित हैं तो वह महाराष्ट्र में हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म-निपेक्षता की धारणा को थोड़ा बदलिए और हम जो धर्म समभाव की धारणा का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं उस भावना को, उस धारणा को समझाना पड़ेगा, उसे पूरे देश में लागू करना पड़ेगा।

महोदय, एक और बात थी कि आजादी के पहले हम जितने राष्ट्रवादी थे, जितना नेशनलिज्म हमारे अंदर था वह अब नहीं रहा। धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा हैं क्यों, महोदय, इस पर विचार करना बहुत जरूरी हैं। 1947 में हमारा देश दो टुकड़ों में बंट गया था, लेकिन 1947 के बाद हमने अपने देश को कई टुकड़ों में बांट दिया। जातियों में बांट दिया, संप्रदायों में बांट दिया। आरक्षण की जरूरत हैं इसलिए व्यक्ति अपनी जातिगत पहचान लेकर खड़ा हो गया हैं। उसे विशेष व्यवस्था चाहिए, उसे विशेष संरक्षण चाहिए। इसलिए व्यक्ति अपनी सांप्रदायिक पहचान लेकर खड़ा हो गया हैं। हमने देश को भाषावार प्रांतों की जो रचना थी उसमें हुआ यह कि हर प्रांत का व्यक्ति पहले अपनी निष्ठा प्रात से जोड़ता हैं, उसके बाद अपने देश में जोड़ पाता हैं। महोदय, यह पूरी व्यवस्था में दोष हैं। इस व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा विचार किया जाए। जो आरक्षण हैं, ठीक हैं, संविधान में भी इसकी व्यवस्था की गई हैं। लेकिन व्यवस्था यह थी कि 15 साल के अंदर सत्ता यह कोशिश करे कि तमाम पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण मिल जाए। वह आरक्षण की व्यवस्था आखिर कब तक चलेगी? अगर यह आरक्षण की व्यवस्था बनी रही तो धीरे-धीरे जो आज दिख रहा हैं वह वोटों की पॉलिटिक्ल बन जाएगी और वोट की पॉलिटिक्ल बन गई हैं। महोदय, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यह हैं कि व्यवस्था चाहे कोई भी हो, उसमें दोष नहीं होता, दोष उस व्यवस्था को चलाने वाले में होता हैं। हम आज संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हो सकता हैं कि कुछ लोगों की राय हो जाए। . (**व्यवधान**)

श्री खान गुफरान जाहिदी : मेरा प्वायंट् ऑफ आर्डर हैं? ... (**व्यवधान**)

श्री संजय निरूपम : सर, ख्वामखाह मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा हैं। ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आपका प्वायंट् ऑफ आर्डर क्या हैं?

श्री खान गुफरान जाहिदी : सर, ये 4-5 विषय जो दिए गए थे, इन पर एक आदमी एक विषय पर सलैक्ट किया गया। यह जो आनरेबल मैंबर हैं यह दो बार इस

मसले पर क्यों बोल चुके हैं इस स्पेशल सैशन में? ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आप क्यों खड़े हैं? ... (**व्यवधान**)

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI: Sir. he has spoken on the second day and now he is speaking on democracy.

श्री संजय निरूपम : मैंने नहीं बोला हैं। ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : वह तो उनकी पार्टी की बात हैं। ... (**व्यवधान**

श्री संजय निरूपम : वह तो इन्फ्रास्ट्रच्कर पर बोला था पहले और इस विषय पर मैंने अभी तक बोला ही नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : नहीं यह तो बात... (**व्यवधान**) संजय जी, सुनिए...(**व्यवधान**) आप क्यों खड़े हो रहे हैं,, यह निर्णय हुआ था... (**व्यवधान**) मैं बोल रहा हूं कि हर मैंम्बर को चांस मिला चाहिए, कोई किस सब्जैक्ट पर बोला या कोई फर्स्ट डे बोला, सैंकड डे बोला या थर्ड डे बोला, उसका मतलब नहीं हैं, लेकिन यह था कि हर मैंम्बर पार्टिसिपेट करेंगे।... (**व्यवधान**) These are the absolute truths. All Members are amenable to all these things...*(Interruptions)*... What more did you want to say?...*(Interruptions)*...

श्री खान गुफरान जाहिदी : आई एम टेलिंग देट एक आदमी को... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : मैं समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया और बोल भी दिया... (**व्यवधान**) संजय जी, प्लीज़ कन्क्लूड।

श्री संय निरूपम : महोदय, सब से बड़ी दुख की बात यह हैं... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : नहीं-नहीं, आप दुख की बात मत कीजिए।

श्री संजय निरूपम : दुख की बात नहीं, बताऊंगा, महोदय, 50 सालों का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं अपने देश की व्यवस्था का तो दुख की बात क्या हैं उस पर भी जरूर विचार होना चाहिए। दुख की बात यह हैं कि हम लोग कभी भी खुल कर धर्म निपेक्षता और सांप्रदायिकता... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : अब वह तो हो गया। उस पर आप कितनी बार बोलेंगे? ... (**व्यवधान**) महोदय, मेरा कहना सिर्फ इतना हैं कि जब तक इस देश में एक कट्टर राष्ट्रवाद फिर से पैदा नहीं होगा तब तक इस देश में कोई भी व्यवस्था

चाहे संसदीय जनतंत्र हो या राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर दी जाए, यह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि राष्ट्रवाद को फिर से स्थापित नहीं करेंगे। महोदय, जब-जब हम हिंदु संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं तो मेरे कहने का मकसद वह कतई नहीं होता कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए... (**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आप वह मत बोलिए। प्लीज कन्क्लूड। बैठ जाइए, हो गया।

श्री संजय निरूपम : आप को जिस पूजा पद्धति में विश्वास रखना हैं, रखिए लेकिन इस देश की एक संस्कृति हैं और उस संस्कृति का नाम हैं हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति और उस संस्कृति की कोख से उपजी है हिंदुत्व की राष्ट्रीयता। आप इस राष्ट्रीयता को स्वीकार कर लीजिए। इस देश में राष्ट्रवाद मजबूत और अमर होकर टिक जाएगा। उस के बाद जैसे जापान...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आप का टाइम हो गया।

श्री संजय निरूपम : मुझे कनक्लूड करने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आप ने कनक्लूड कर लिया।

श्री संजय निरूपम : महोदय, मैं कनक्लूड कर लूंगा तो स्वयं बैठ जाऊंगा। मैं आप का बहुत आदर करता हूं। महोदय, हमारे साथ 1947 में...

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI: He hat been speaking for a long time and he is being allowed...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): No, no, he is not allowed. We are objecting him...*{Interruptions)*...He is concluding.

श्री संजय निरूपम : मैं कनक्लूड कर रहा हूं। जो पैरामीटर्स डिसाइड हुए हैं, उन को मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आप मुझे सम्बोधित करिए।

श्री संजय निरूपम : महोदय, मेरे कहने का अर्थ यह हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे साथ ही एशियन अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कई देश आजाद हुए और तमाम देशों में लोकतंत्र के चिराग जलाए गए। हमारे यहां भी यह चिराग जलाया गया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाकी देशों में तो यह चिराग बुझ गया, हमारे देश मे यह आज भी जल रहा हैं, लेकिन टिमटिमा रहा हैं। जिस तरह के खतरे आज देश में खड़े हो गए हैं, उन खतरों के रहते हो सकता हैं यह चिराग बुझ जाय। अगर इस चिराग को जलाए रखना हैं, इस के प्रकाश को तेज रखना हैं तो निश्चित तौर पर पहले हमें एक राष्ट्रवाद पैदा करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश दास (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आजादी के इस पचावसें वर्ष में इस विशेष सत्र में आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, आज आजादी के पचासवें वर्ष में सब से पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं नमन करना चाहता हूं इस देश के महान सपूतों को, इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन की बदौलत ही आज हम यहां बैठे हैं और अपनी बात रखने जा रहे हैं। मैं नमन करना चाहता हूं इस देश के महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी को जिस के एक आह्वान पर तरह-तरह की विचारधारा के लोगों ने अपने छोटे-छोटे घोंसलों में आग लगा दी और एक बहुत बड़ा अशियाना कांग्रेस और तिरंगे झंडे के तले बनाया। उपसभाध्यक्ष जी, ने केवल जवान बल्कि बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी अपने सिरों पर कफन बांधकर गोरी सरकार की गोली, डंडो की परवाह किए बैगर वह गीत गाते हुए मतवालों की तरह सड़क पर निकल आए;

"कदम-कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा,

ये जिंदगी हैं कौम की, तू कौम पी लुटाए जा"।

महोदय, क्या शख्सियत थी लोगों की जिन के एक आह्वान पर लाठी, गोली और डंडो की परवाह किए बैगर बच्चे भी सड़क पर निकल आए थे। महोदय मुझे गर्व हैं यह कहते हुए कि उन बच्चों में मेरे पिता स्व0 बनारसी दास भी थे जोकि एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और गांधी जी के आह्वान पर निकल पड़े थे। महोदय, देश की आजदी की लड़ाई के समयश जहां इस देश के लोगो के सामने दास्ता की बेड़ियो से आजाद होने का एक महान सपना था, साथ-ही-साथ एक और सपना भी था कि हमारा एक आजाद देश और जिस में भाषा, जाति क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद का कोई स्थान नहीं होगा। ऐसा हमारा एक महान देश होगा, लेकिन आज यह बहुत चिंता का विषय हैं आजादी के इस पचासवें वर्ष में हम इस सदन में अधिकतर इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं भाषा के ऊपर चर्चा करते हैं, क्षेत्रीयवाद पर चर्चा करते हैं और जातिवाद पर चर्चा करते हैं। महोदय, आज हमें कृतसंकल्प होकर निश्चित रूप से इस बारे में एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।

मान्यवर, जनतंत्र का मूल सिद्धांत हैं बहस। यदि बहस का स्तर रचनात्मक हो, बहस का स्तर रचनात्मक हो, बहस का स्तर अच्छा हो तो उसका कोई अर्थ निकलता हैं। मैं बड़ी तकलीफ से कहना चाहता हूं कि आज चाहे कोई सदन हो, चाहे हमारे निचले सदन हों, विधानसभाएं हों, विधान-परिषद हों, चाहे हमारे इस सदन की बात हो, बहस का स्तर जितना उच्च होना चाहिए, उतना आज नहीं रह गया हैं। यदि चवजह हैं कि आज राजनेताओं का और राजनैतिक पार्टियां का वह सम्मान नहीं रह गया हैं, जो पहले होता था। एक जमाना था कि जब लोग खादी पहनकर और गांधी जी की टोपी लगाकर अपने आपको गौरान्वित महसूस करते थे कि वे गांधी जी के अनुयायी हैं। एक जमाना था जब फ्रीडम फाइटर्स का लोग सम्मान किया करते थे। आज तो वैसे ही हमारे देश में फ्रीडम फाइटर्स बहुत कम रह गए हैं, लेकिन जो हैं उनको आज राजनीति से लगभग दूर किया जा रहा हैं या उन्हें राजनीति में आने से रोका जा रहा हैं। मुझे गर्व है कि इस समय एक ही राष्ट्रीय पार्टी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और हमारे अध्यक्ष सीताराम जी केसरी, जो स्वतंत्रता संग्राम सैनानी हैं, जो गांधी जी की नीतियों में विश्वास करने वाले हैं, जिसने देश को एक नई दिशा दिखाई थी।

मान्यवर, मैं आज याद करना चाहता हूं कि इस देश के उस महान व्यक्तित्व को, पंडित जवाहर लाल नेहरू को, जिन्होंने इस देश की आधारशिला पर नियोजित ढंग से रखी थी, पंचशील के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने यहां हमारे देश की विदेश नीति बनाई थी और कर्नल नासिर टीटो के साथ बैठकर शीतबुद्ध के साथ नोन एलाइनमेंट मूवमेंट की नीति निर्धारित की। उसने दिशा दी पूरक एशियाई देशों को, अफ्रीकी दोनों को जिन्होंने हमारे बाद भी आजादी की लड़ाई लड़ी। उसने दिशा दी उन देशों को, जो रूस और अमरीका के खेमे

से अलबग रहकर अपने देश के विकास और अपनी सुरक्षा चाहते थे।

मान्यवर, आज किसी भी जनतंत्र में संस्थाओं का सम्मान लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान सबसे अधिक इम्पोटेंण्ट हैं। हो सकता हैं, कुछ व्यक्ति विशेष गलत हो सकता हैं, मैं गलत हो सकता हूं कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन संस्था का सम्मान और संस्था की गरिमा हर हालत में मेण्टेन होनी चाहिऐं। आज जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही हैं। अभी निर्मला देशपांडे जी कह रही थीं कि संबंध में मीडिया का भी कुछ काफी हद तक निगेटिव रोल हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, दूसरी तरफ जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से भी यह लगातार कोशिश हो रही हैं कि इस देश में जैसे इस सदन की कोई जरूरत ही न हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र तभी तक मजबूत रहेगा, जबकि इस संस्था की गरिमा बनेगी। इसलिए संस्था की गरिमा को बनाने को बनाने के लिए हमको आज दृढ़संकल्प होना पड़ेगा।

मान्यवर, मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक पिछले पचास सालों में कभी इस सदन ने अपनी सीमाओं कों लांघा हो। ऐसे भी बहुत कम अवसर आए हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों में जो इमपीचमेंट के संबंध में हैं, जुडिशियरी के संबंध में कभी इस सदन ने उस अधिकार का उपयोग किया हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले पचास साल में कभी उस अधिकार का उपयोग इस सदन ने किया हो। लेकिन, इन पचास सालों में न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव ने अपनी सीमाओं को लांघा हैं। उन्होंने इस सदन की गरिमा को चोट करने की कोशिश की हैं और उन्होंने इस सदन को कमजोर समझा कि पचास वर्षो में आज तक यह कभी कोई निर्णय नही ले सका, कोई इमपीचमेंट नहीं कर सका। हमने तो पूरा सम्मान किया, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें दृढ़-संकल्प करने की जरूरत हैं, एक शक्ति की जरूरत हैं अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझा जाए। याद रखिए भय बिन होय न प्रीत, यह बहुत जरूरी हैं। मैं अपनी तरफ से यह स्पष्ट करना चाहूंगा। सदन की गरिमा को मेण्टेन करना बहुत जरूरी हैं।

मान्यवर, एक ब्रिटिश एम्पावर थे। उन्होंने संस्थाओं को इतना महत्व दिया कि उन्होंने एक सिंद्धांत दे दिया किंग केन डू नो रोंग, और पूरे विश्व पर उन्होंने राज किया। उसका अर्थ यह नहीं था कि किंग कोई गलत कर ही नहीं सकता या उसके खिलाफ कुछ नहीं करना हैं, वह तो उन्होंने एक कन्सेप्ट दिया कि हमको संस्था की गरिमा को संपूर्ण और उच्च श्रेणी में रखना चाहिए। अभी भाई रामगोपाल यादव जी हमारे बीच में बोल रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने रखे कि किस तरह से बढ़ चढ़कर आज बीस बीस साल तक कोर्ट कचहरियों में लोग चक्कर मारते रहते हैं। आज ऐसे वकील हैं मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन आज वह एक एक पेशी में तीन-तीन लाख रूपए लेते हैं। सारी जिंदगी एक गरीब आदमी 3,000 रूपए नहीं कमा पाता और बड़े-बड़े कई ऐसे वकील हैं जो तीन-तीन लाख रूपए एक पेशी के लेते हैं। कैसे इस देश के गरीब लोगों को न्याय मिलेगा, कैसे इस देश में गरीब लोगों के साथ पूरी तरह से सम्मान व्यक्त किया जाएगा।

मान्यवर, मैं आरक्षण के संबंध में भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मैं आरक्षण के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि शायद ही सदन का कोई ऐसा दिन रहता हो, जब आरक्षण के संबंध में कोई न कोई मुद्दा न उठाया जाता हो। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने 5 या 6 दिन के लिए यह विशेष सदन आहूत किया हैं और देश के सामने आपने हम सबकी भावनाओं को प्रकट करने का मौका दिया हैं, आरक्षण के बारे में आप एक विशेष सदन बुलाइए। आप 33 परसेंट कीजिए, 50 परसेंट कीजिए, 70 परसेंट कीजिए और किनको देना हैं, किनको नहीं देना हैं, इसका भी निर्णय कीजिए, जो चाहे निर्णय लीजिए, लेकिन एक बार इसको तय कीजिए। मेरा सुझाव हैं कि आप इसके लिए एक चार दिन का विशेष सदन बुलाइए और उसके बाद आप बैन लगा दीजिए कि इसके बाद यहां पर इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। मान्यवर, यह देश बहुत महान देश हैं, यहां बहुत महान लीडर्स हुए हैं। स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी 50 वर्ष में 17 साल प्रधान मंत्री रहीं और पूरे देश ने उनका सम्मान करा। हम अमेरिका और इंग्लैंड की बात जरूर करते हैं। अमेरिका में आज तक उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति भी कोई महिला नहीं हुई, न केवल हुई बल्कि वहां पर किसी महिला ने कोई चुनाव भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का नहीं लड़ा इंग्लैंड की डेमोक्रेसी में भी बहुत अधिक समय तक वहां महिला प्रधान मंत्री नहीं रही। यह देश बहुत महान देश हैं। इसलिए आरक्षण के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम आप उसके लिए निर्धारित कीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : आपका टाइम समाप्त हो रहा हैं। आप दो-तीन अच्छे प्वाइंट बोले हैं।

श्री अखिलेश दास : मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा।

सर, मैं 37वें और 74वें संविधान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी का जो सपना था, वह गांव का सपना था, पंचायती राज का सपना था। अभी हमारे भाई लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के अंदर तरक्की हुई हैं। महोदय, वह गांधी जी की फिलास्फी के आधार पर हुई हैं, जिसमें उन्होंने कुटीर उद्योग की फिलासफी को सामने रखा था। आज उस फिलास्फी को सामने रखना पड़ेगा। हम बहुत बड़े-बड़े मल्टी नेशनल और बड़े-बड़े उद्योग लाते हैं, लेकिन अगर वास्तव में हर हाथ को काम देना हैं, अगर गांव-गांव तक काम देना हैं, अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी हटे तो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए कुटीर उद्योगों को हमें आगे लाना होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को, जिन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकाय को और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मैं लखनऊ का मेम्बर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि 73वां और 74वां संशोधन तो अवश्य हुआ हैं लेकिन बहुत कम प्रदेश ऐसे हैं जिनको उसकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। उस दिन टी0एन0 चतुर्वेदी साहब बता रहे थे इस बात को कि 73वें और 74वें संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद भी शायद ही कुछ ऐसे प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश ही ऐसा नहीं और भी बहुत सारे प्रदेश हैं, जहां सिर्फ नाम के लिए 73वां और 74वां संशोधन विधेयक हैं, उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया और उनको कोई शक्तियां भी प्रदान नहीं की गई हैं और यह लालफीताशाही और अफसरशाही के अंदर उलझकर रह गया हैं कि कैसे उनको अधिकार दिए जाएं। गांधी जी का सपना अगर पूरा करना हैं तो उनको अधिकार देना होगा।

मान्यवर, इस देश की जो सबसे बड़ी चुनौती हैं साम्प्रदायिकता और जाति-व्यवस्था, इस बारे में मैं अवश्य कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 50वें वर्ष में हम सभी संकल्प लें कि हम जाति सूचक शब्दों का, जितने हमारे सांसद हैं, प्रयोग नहीं करेंगे, हम सांसद इस बारे में निर्णय लें, तब हम समझा पाएंगे दूसरे देश के लोगों को, जाति व्यवस्था के खिलाफ हम सब मंच से बोल पाएंगे, नहीं तो कोई कहेगा कि आप तो जाति-पाति की बात करते हैं और आप हमें समझाने आए हैं।

मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आजादी के 50वें वर्ष में, महात्मा गांधी की नीतियों को सभी ने सराह और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की हैं, लेकिन बहुत से अवसर ऐसे भी आए हैं जब लोगों ने अनायास ही गांधी की आलोचना करी हैं, उनके खिलाफ बोला हैं। मैं आज यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से संविधान में राष्ट्रगान और राष्ट्र-ध्वज का एक स्थान हैं, उसके खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं हैं, उसी तरीके से राष्ट्रपिता का संविधान में, संशोधन करके, एक स्थान होना चाहिए, जिसमें उसके खिलाफ बोलने का किसी को अधिकार न हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : समाप्त कीजिए हो गया।

श्री अखिलेश दास : मैं समाप्त कर रहा हूं।

मान्यवर, एक बात मैं और कहनाप चाहता हूं कि वह 1942 का समय था, जब देश में असहयोग आन्दोलन की शुरूआत हुई थी, आज इस 50वें वर्ष में एक और आन्दोलन की जरूरत हैं और वह आन्दोलन है सहयोग आन्दोलन। सहयोग इस बात के लिए होना चाहिए कि हम जातीयता को उखाड़ फेंकेंगे। सहयोग इस बात के लिए होना चाहिए कि इस देश में भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका जाए। सहयोग इस बात के लिए होना चाहिए कि इस देश का हर नागरिक शिक्षित हो। सहयोग इस बात के लिए होना चाहिए कि इस देश में कोई बेरोजगार न रहे। सहयोग इस बात के लिए होना चाहिए कि देश से सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंका जाए। हमें याद रखना होगा अपने पुराने महापुरूषों की नीतियों को। नेहरू और गांधी की नीतियों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। श्री गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, भगतसिंह, नेता जी सुभाषचन्द बोस की नीतियों को हमें लागू करना पड़ेगा। इन पंच देवताओं को पूजना पड़ेगा। महोदय, एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं और यह शेर हैं-

"मकुतल में न मस्जिद में न मयखाने में कोई,
अब किसकी अमानत में गमे काटे जहां दें।
शायद कोई इनमें से कफन फाड़कर निकले,
अब आओ शहीदों की मज़ारों पर अज़ा दें"।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया और अपने स्वतंत्रता-संग्राम के शहीदों को नमन करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका दिया। मैं अपने सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, इस सदन के साथ-साथ लोकसभा के साथियों को भी जिन्होंने बिना खाए-पिए, भूखे-प्यासे रहकर सुबह 8-9 बजे तक इस बहस में हिस्सा लेकर

यह साबित कर दिया हैं कि वे देश के प्रति कितने समर्पित हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बुद्धिजीवियों से, लेखकों से और पत्रकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में तो बहुत कुछ छपा हैं कि हम लोग ख्वामख्वाह वहा बहस कर रहे हैं लेकिन वे इस बारे में भी छापे कि सुबह से 4-5 बजे तक न केवल पुरूष बल्कि हमारी महिला साथी भी बिना खाए-पिए हाऊस के अंदर बैठी रहीं। यह हमारे दृढ़-संकल्प का द्योतक हैं और वह बहुत बड़ा ऐचीवमेंट हैं। मैं इस विशेष सत्र को बुलाने के लिए लोकसभा के स्पीकर श्री संगमा साहब को और हमारे चेयरमैन साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, गत 5 दिनों सें संसद में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती बनाने के उपलक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही हैं और इस बात की समीक्षा की जा रही हैं कि इन 50 वर्षो में हमने क्या खोया और क्या पाया। महोदय, मैं उन सांसदों में से हूं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और गुलामी का हमें कोई अनुभव नहीं हैं लेकिन एक बात सत्य है थ्क स्वतंत्रता के उपरांत इस देश ने चहुंमुखी विकास किया हैं। जिस देश में सुई तक नहीं बन्ती थी, आज वहां बड़ी-बड़ी मशीनरी का उत्पादन और निर्यात हो रहा हैं लेकिन यह भी एक राष्ट्र कटु सत्य हैं कि महात्मा गांधी ने हमें जो रास्ता दिखाना था उससे हम भटक गए। विरासत में जो अनमोल चीजें हमें मिली थीं- सत्य और ईमानदारी की भावनाएं, वह धीरे-धीरे लुप्त होती गई। आज हमारे आचरण, हमारी नीयत, हमारे चरित्र में निरंतर गिरावट आती जा रही हैं जो सचमुच एक चिंता का विषय हैं।

महोदय, एक समय था कि जब सफेद टोपी पहनना हम लोग गौरव समझते थे लेकिन धीरे-धीरे आज वह सफेद बर्दी कुछ लोगों की करनी से इतनी बदनाम हो गई हैं कि आज जो देश के नेता हैं, जो सांसद लोग हैं, वे सफेद वर्दी पहनने में संकोच करते हैं। आज कभी-कभी जाने-अनजाने में लोग नेता की तुलना उन व्यक्ति से करते हैं जो सबसे बड़ा समाज विरोधी हैं। हम कभी गांव में जाकर कहते हैं कि अमुक कार्य के लिए पैसे दिए गए थे, उस कार्य का क्या हुआ तो लोग कहते हैं कि हमारे यहा भी एक नेता हैं, वह कुछ होने नहीं देता। अर्थात पहले नेता का नाम बहुत आदर से लिया जाता था आज नेता वह कहलाता हैं जो समाज-विरोधी हैं। महोदय, आज भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ी बीमारी बन गई हैं और लगता हैं कि लोगों ने भ्रष्टाचार से समझौता करना शुरू कर दिया हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी घर में बेटी देता हैं तो वर के माता-पिता से पूछता हैं कि नौकरी तो ठीक हैं, वेतन तो मिलता हैं लेकिन ऊपर की कमाई कितनी हैं, वह बताओ। ऊपर की कमाई के ऊपर बेटी दी जाती हैं। मंत्री आज कोई गड़बड़ करता हैं, कुछ दिन तो वह चर्चा का विषय बनता हैं लेकिन अंततोगत्वा लोग क्या कहते हैं कि अगर मंत्री ने कुछ खाया भी तो सरकार का खाया हमारा क्या खाया। इसलिए खाते तो सब हैं। अगर मंत्री काम करने वाला हैं, खाता हैं तो खाता रहे हम इसका समर्थन करेंगे। महोदय, यह सोच इस देश के लिए खतरनाक हैं। महोदय, हमें इस बात के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चिन्तन करना होगा कि आखिर चरित्र-निर्माण कैसे हो। आज इस चीज की आवश्यकता हैं कि स्कूलों में कम-से-कम नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर दें ताकि आने वाली पीढ़ियां इन बीजों से बच सके। महोदय, मैं समझता हूं कि असंतुलित विकास से भी कभी-कभी उग्रवाद की उत्पत्ति होती हैं। मैं एक पहाड़ी प्रांत से संबंध रखता हूं इसलिए उस तरफ आपका ध्यान अवश्य ले जाना चाहूंगा। इस देश का जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वह सारे कुल क्षेत्रफल का एक बटे पांच भाग हैं। क्षेत्रफल में पहाड़ी प्रान्त बहुत बड़ा हैं। लेकिन वह हमारा दुर्भाग्य हैं या सौभाग्य हैं कि अब जनसंख्या पर हम जाते हैं तो कुल सारे देश की केवल 6 प्रतिशत जनसंख्या हमारी हैं। इसलिए इन बड़े-बड़े सदनों में आकर वहां के हमारे प्रतिनिधियों की आवाज दब जाती हैं क्योंकि प्रजातंत्र में मजॉरिटी इज अथॉरिटी। महोदय, वहीं से हमारी समस्या शुरू हो जाती हैं कि आबाद से अगर हम तुलना करें तो हम बहुत कम हैं, क्षेत्रफल से तुलना करें तो बहुत ज्यादा हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बात कही थी कि यह जो पहाड़ों में प्रकृति की गोद में बसे हुए लोग हैं वह हमेशा खुश रहतें हैं, नाचना और गाना उनकी संस्कृति हैं। महोदय, यह सत्यता हैं कि अगर यह नाचना और गाना हमारी संस्कृति नहीं होती तो विकट परिस्थितियों मे हम लोग रहते हैं तो हम लोग घुट-घुट कर मर जाते। हमारे उन क्षेत्रों में लोग हिमपात को देखने आते हैं, उससे आनंद लेते हैं। लेकिन जब वह हिमपात होता हैं, जब हिमखंड टूटता हैं तो हमारी जान जानती हैं कि हम कैसे गुजारा करते हैं। महोदय, हमारी समस्या मैदानी क्षेत्रों से भिन्न हैं। मैदानी क्षेत्रों में अगर एक लाख रूपये में एक किलोमीटर सड़क नहीं बन सकती। हमारी अपनी समस्याएं हैं इसलिए मैं नम्र निवेदन करना

स्तर पर इन पहाड़ों के विकास के लिए अलग से बोर्ड का गठन होना चाहिये। योजना आयोग को इस बात पर विचार करना चाहिये कि जबकि अलग से हमारे लिए इस किस्म के बोर्ड का गठन नहीं होगा तब तक संतुलित विकास नहीं होगा। वही कारण हैं कि वह लोग गॉड फिअरिंग लोग कहलाते हैं। हमारी ऐसी संस्कृति हैं कि हम नाच-गाने में प्रसन्न रहते हैं। आज धीरे-धीरे वह उग्रवाद की तरफ बड़ रहे हैं। अगर अछूता रहा हैं तो केवल मात्र आज हिमाचल प्रदेश है और अब उत्तरांचल में भी थोड़ी-थोड़ी शुरूआत हो गई हैं। महोदय, इसलिए आवश्यक हैं कि हमारी जो भिन्नता हैं उसको ध्यान में रखते हुए, हमारी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग से बोर्ड का गठन किया जाए। वहा तक कि जो ग्रामीण विकास के लिए पैसा जाता हैं वह पैसा भी जनसंख्या के आधार पर जाता हैं। उसका परिणाम क्या हैं जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो भी पैसा पहाड़ी प्रांतों में जाता हैं उससे एक भी भवन का निर्माण नहीं होता। 20 हजार में हम कैसे निर्माण करें और कहा जाता हैं कि आपकी जनसंख्या कम हैं। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या हमें छूट दी जाएगी कि हम अपनी आबादी बढ़ाए? महोदय हम जंगलों से घिरे हैं। हम भी चाहते हैं कि वह प्रदेश आत्मनिर्भर बने। इसको कुदरत ने बहुत कुछ दिया है इसको कुदरत ने ऐसा पानी दिया हैं जो बिजली पैदा कर सकता हैं, हमको कुदरत ने ऐसा पत्थर दिया है जो सीमेंट बना सकता हैं हमको सौन्दर्य ऐसा दिया जिसको देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं। वन सम्पदा ऐसी दी हैं जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन हमारी हालात यह हैं कि अगर हम जंगलों से घिरे हैं वहां सड़क बनाना चाहते हैं और हम श्रमदान भी करना चाहते हैं तो अनुमति भारत सरकार से लेनी पड़ेगी क्योंकि लैड प्रिज्वेंशन एक्ट हैं। अब यह लैड प्रिजवेंशन एक्ट जहां जंगल बड़ेगे तारे सारे देश का पर्यावरण सुद्दढ़ रहेगा,स्वस्थ रहेगा। लेकिन क्या यह ठेकेदारी सिर्फ कुछ पहाड़ में बसे लोगों की हैं?

हमारे गांव में कभी सड़क नहीं आएगी क्योंकि जंगल कटने के बाद ही सड़कें बननी हैं। वह निश्चित है कि सड़के हमारे लिए जीपन की रेखा हैं और जब तक पहाड़ों में सड़कें नहीं बनेंगी, हम विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए सड़कों के लिए और इस प्रकार की चीजों के लिए विकास बोर्ड बने ताकि अलग से हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। महोदय पंडित जवाहर लाल नेहरू की बात कही जा रही थी। स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हालत यह हो गयी हैं भ्रष्टाचार की कि यहां से, दिल्ली से जब एक रूपया चलता हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप यह रिपीट कर रहे हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री महेश्वर सिंह : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। जब रूपया यहां से चलता हैं तो घिसते-घिसते 15 पैसे वहां पहुंचते हैं। आज केन्द्र और प्रान्तों की दूरी इतनी बढ़ गयी हैं कि रूपया भी चलते-चलते घिस जाता हैं। लेकिन वे उसका समाधान नहीं कर सके यह उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा हैं। महोदय, बोलने को तो बहुत कुछ था लेकिन समय का अभाव है। इसलिए आपने जो मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं लेकिन इस बात पर फिर जोर देना चाहूंगा कि पहाड़ों के विकास के लिए एक बोर्ड का गठन अवश्य केन्द्रीय स्तर पर किया जाए ताकि वहां भी चहुँमुखी विकास हो जाए। महोदय, आज 50 वर्षो के बाद भी कभी-कभी वहां के लोग यह कहते हैं कि इससे तो वह ब्रिटिश राज ही अच्छा था कि मि-से-कम रेल तो वहां पहुंची थी और आज हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता हैं। हमें लोगों की यह धारणा तोड़नी होगी और वहां पर विकास कार्य करने होंगे। यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम देश की आज़ादी की पंचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके लिए मैं लोक सभा स्पीकर श्री संगामा साहब और राज्य सभा के सभापति को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया हैं कि आजादी के बाद हमने देश में क्या काम किये और क्या नहीं किए, इसका लेखा-जोखा हम यहां कर सकें। इसी में हमने अपने अगले प्रोग्राम भी बनाने हैं कि देश में आगे क्या का होने चाहिए। महोदय, वह महान शहीद,वह महान देशभक्त जिनकी वजह से यह देश आजाद हुआ महारानी लक्ष्मीबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, शहीद भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, वीर सावरकर ऐसे ऐसे महान देशभक्तों ने और फ्रीडम फाइटर्स् ने देश की आजादी को मजबूर होना पड़ा और इस देश को आजादी देनी पड़ी।

खा-खाकर आज़ादी की कस्में,
सतलुज पर अदा की थी रस्में,

इसके नूरे-नज़र भगत सिंह राजगुरू,
याद करता हैं जिनको जमाना,
पेशवा जिसको दुनिया ने माना।।

इस ढंग से आजादी लीग गयी। आजादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ी। महोदय, मैं कुछ पंजाब के ऐसे महान देशभक्तों की अगर यहां पर बात करूं जलियांवाला बाग में 1278 लोग जब शहीद किये गये, जनरल डायर के हुक्म से किए गये तो सारा देश कांप उठा। देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले अगर देश में 129 लोग हैग हुए तो मुझे अपने पंजाब पर और अपने हिंन्दुस्तान पर मान हैं कि उनमें 91 पंजाबी थे। ऐसे-ऐसे मूवमेंट हुए, नामधारी मूवमेंट हुए। मलेरकोटला में नामधारियों को जब गोले के सामने रखकर, तोप के सामने रखकर मारा जा रहा था तो 12 साल का एक बच्चा जो तोप के सामने नहीं आ सकता था, उसको इंटे लगाकर ऊचां करके शहीद किया गया था।

चाहे शहीद ऊधम सिंह की बात की जाए, चाहे करतार सिंह सराबा की बात की जाए। देश को आजादी प्राप्त कराने के लिए हमने और हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आज हम उन कुर्बानियों का सत्कार 50 साल बाद कर रहे हैं। आज हम उसी आजादी के बारे में सोच रहें हैं। उस आजादी को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने जगह-जगह पर जाकर बहुत काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उस आजादी के लिए हमने क्या काम किए हैं? अभी मेरे भाई श्री महेश्वर सिंह बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस देश में सुई नहीं बनती थीं, आज बहुत बड़ी मशीनें बन रही हैं। हमारे देश ने बहुत उन्नति की हैं। यहां पर डेम बने हैं, यहां पर नहरें बनी हैं और हमने बड़ी-बड़ी मशीनें बनाई हैं जिनकी हम दूसरे देशों में सप्लाई कर रहें हैं। इसलिए हमारा देश बहुत उन्नति कर चुका हैं। हमें प्रसन्नता हैं कि आजादी के बाद हमारे देश से बहस को सुन रहा हूं, इसमें काफी निराशाजनक बातें भी बताई जा रही हैं। अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे, वह कह रहे थे कि जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे उनमें डेमोक्रेसी खत्म हो गई हैं लेकिन इस भारतवर्ष में डेमोक्रेसी टिमटिमा रही हैं। मैं यह नहीं मानता हूं। यहां की डेमोक्रेसी, भारतवर्ष की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हैं। यहां पर अलग-अलग जातियां, अलग-अलग धर्म अलग-अलग बोलियां हैं फिर भी हम सब एक हैं, हम सब हिन्दुस्तानी हैं, अपनी मंजिल एक हैं।

"बिखरे-बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिला एक हैं"।

हम एक दुसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। कभी-कभी ऐसी बातें आ जाती हैं, कभी-कभी जातिवाद की बातें आ जाती हैं, लेकिन इस देश के लोग डेमोक्रेसी को समझते हैं। हम सब ने मिलजुलकर काम करना हैं मुझे याद है जब पाकिस्तान ने 1965 में वार की थी तो पंजाब के लोगों ने, इस हिन्दुस्तान के लोगों ने किस तरह से पाकिस्तान का मुकाबला किया था। हमें चाइना की वार याद हैं, हमें 1971 की वार याद हैं जब पाकिस्तान ने पंजाब में हमारे ऊपर हमला किया था और इस देश के सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के वे लड़ाइयां लड़ी थीं। हम कभी अलग नहीं हुए हैं। यह हमारे देश की यूनिट हैं, जो हमारे महापुरूषों ने कायम की हैं और जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमें दी हैं। यह बात ठीक हैं कि जब देश आजाद हुआ तो देश कर आबादी 35 करोड़ थी और आज 95 करोड़ हैं। मुझे वह दिन भी याद हैं जब 1975 में स्वर्गीय संजय गांधी ने देश को पांच पाइंट्स प्रोग्राम दिया था। उसमें पापुलेशन, पंचायत ग्रीन रिब्यूलेशन, स्त्री जाति आदि के बारे में था और यह प्रोग्राम देश में चला थ्ङ्गङ्ग प्श्रन्तु आगे सब पार्टियों ने पापुलेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले भी इस संसद में भाषण दिया था और मैंने कहा था कि सब पार्टियों को इस मामले में इकट्ठा हो जाना चाहिए। यह ऐ नेशनल इश्यु हैं, पापुलेशन एक नेशनल इश्यु हैं और हम सब पार्टियों को एक हो कर के काम करना चाहिए। हम सारे मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को और राज्यों के विधायकों को अपनी-अपनी कांस्टीट्अंसी में जाकर के इसके बारे में काम करना चाहिए।

आज अगर हम कृषि के बारे में सोंचे तो क्या कृषि के उत्पादन में कोई कमी आई हैं? कृषि के क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत आगे बढ़ा हैं। हमारे देश के फारमर्स ने बहुत उन्नति की हैं। हम 35 करोड़ से 95 करोड़ हो गए हैं और हमारे फारमर्स ने इतना अनाज पैदा करके दिया हैं कि अब हमारा देश अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो गया हैं। हमें फारमर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे न्यू टेक्रालाजी देनी चाहिए। आज देश में हजारों-लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हैं

जिससे हम अन-इम्पलायइमेंट को दूर कर सकते हैं। आज अन-इम्पलाइमेंट टेररिज्म का एक बहुत2 बड़ा कारण बन चुका हैं। जो बच्चा पढ़-लिख गया हैं उसको हम रोजगार नहीं दे पाते। कृषि के साधनों से हम उसको रोजगार दे सकते हैं। यह टेरिरिज्म आज सारे देश में फैल चुका हैं। इसकी वजह से पंजाब ने बहुत दुख भोगा हैं। अभी-अभी बीस हजार से ऊपर कुर्बानियां दी हैं और इसके साथ-साथ ईस्ट ने भी बहुत दुख भोगा हैं और

कश्मीर ने भी बहुत दुख भोगा हैं। पंजाब के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि गुजराल साहब ने अभी यहां के लिए 8500 करोड़ रूपये माफ किए जोकि केवल पंजाब की लड़ाई नहीं थी बल्कि यह सारे देश की लड़ाई थी। मैं आदरणीय सीताराम केसरी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बारे में गुजराल साहब से कहा, हम सारे मेम्बर पार्लियामेंट, उनसे मिले थे और सब पार्टियों के सदस्यों ने भी कहा था। महोदय, आपको याद होगा इस संसद में मैंने तीन बार अपने भाषण में कहा था कि यह लड़ाई सारे देश की लड़ाई हैं इसलिए यह पैसा देश को देना चाहिए। आज अगर 8500 करोड़ रूपया माफ हुआ है तो यह देश की लड़ाई के लिए माफ हुआ हैं। हमारे देश की तरक्की और उन्नति के लिए वह एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इस टेरेरिज्म को पंजाब में हम लोग नहीं लाए थे, इस देश के लोग नहीं लाये थे बल्कि वे लाये थे जिन्होंने 1965 में हमारे देश पर हमला किया, जिन्होंने 1971 में हमारे देश पर हमला किया। वे हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए टेरेरिज्म लाये थे।

इस देश की गरीबी और जो इस देश के 36 प्रतिशत लोग गरीब हैं, उनके लिए हमें सोचना चाहिये। हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये, उनके रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिये। हमें उन बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये जिनके लिये 40 स्कूलों की बिल्डिंग्स नहीं हैं। तथा 75 हजार स्कूल नहीं हैं, जो कि पेपरों पर हैं, ध्यान देना चाहिये। हमें उन साढ़े चार करोड़ बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये जो फैक्ट्रियां में काम करते हैं। हमने सोचा था कि आजादी के बाद 14 साल का बच्चा फ्री एज्युकेशन लेगा लेकिन यहां पर पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट ही नहीं हैं, ऐसी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये। हमें हैल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। मैं गुजराल साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने राज्य सभा के लिए 9 सांसदों को नोमिनेट करवाया हैं जिनमें कुलदीप नैयर, करतार सिंह दुग्गल और निर्मला देश पांडे जैसे आदमी हैं। इनके अलावा मेरे अन्य दोस्त, मित्र भी आये हैं जो बड़े ही अच्छे हैं। लेकिन हमें आर्टिस्टों की तरफ ध्यान देना चाहिये। दुनिया में भारत की संसकृति बड़ी अच्छी मानी जाती हैं। आर्टिस्टों में प्रमुखतः भीमसेन जोशी, अलह अबकर जैसे लोगों का भी नाम हैं। इसी तरह खिलाड़ियों की तरफ भी ध्यान देना होगा। मुझे बहुत दुख होता हैं कि 1982 से लेकर 1997 तक कोई एवार्ड नहीं दिया गया। अभी राष्ट्रपति भवन में एवार्ड फंक्शन हुआ जिसमें राजीव खेल एवार्ड, रत्नाकार एवार्ड, द्रोणाचार्य एवार्ड, अर्जुन एवार्ड और मौलाना अबुल कलाम एवार्ड कई सालों के बाद दिये गये।

एक और दुख की बात यह हैं कि ले0 कर्नल सुबानन्द राव जी जिनकी डेथ हो गई थी, जो 1988 से 95 तक देश का नाम ऊपर ले जाते रहे, उनके जीते जी हमने उनको एवार्ड नहीं दिया और इतना समय हो गया। एक बच्चा जो 81 में पैदा हुआ उसको हमने एवार्ड दे दिया। हमें चाहिए कि इस देश में मिलखा सिंह जैसे आदमी भी आगे लायें। हम उनको भी राज्य सभा में लाते तथा अजीत पाल जैसे व्यक्ति को भी लाते। मैं चाहता था कि ऐसे जो प्लेयर हैं उनको इसमें लाते ताकि हमारा देश खेलों में उन्नति कर सके, गेम्स में हम आगे बढ़ सके। बहुत सी बातें हैं, वाइस चेयरमैन साहब, आपका इशारा हो रहा हैं कि मैं बहुत लम्बा न बोलूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम सब भारतवर्ष में इस ढंग से उन्नति करें और ऐसा काम करते जाएं कि दुनिया में, इस भारत में जो महात्मा गांधी ने, जो जवाहर लाल नेहरू ने अपना और देश का नाम ऊंचा किया, उस तरह से हम देश में काम करें। टेरेरिज्म में ऐसे लोग आए जो अभी तकम जेलों में बैठे हैं। इस चीज को देखना चाहिए कि वे जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने देश में निहत्थों को मारा हैं। अगर कोई सरकार उनको जेलों से निकाल कर चेयरमैन बना देगी तो क्या यह अपराधीकरण नहीं होगा? इस तरह की बात देश के लिए बहुत खसतरनाक हैं। भ्रष्टाचार इसी से फैल रहा हैं। इलेक्शन इसीलिए महंगे हो रहे हैं। इन सब बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमें उन पार्टियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कट्टर बातें करते हैं। इस देश में यह नहीं होगा कि राम बिलरस पासवान जी को रोका जाए कि वे महाराष्ट्र में नहीं जा सकते। यह बात बहुत गलत हैं। यह बात भी नहीं होनी चासहिए कि एक प्रदेश का चीफ मिनिस्टर दूसरे प्रदेश में जाकर एक-एक लाख रूपया दे इसलिए कि वह दलित हैं और उनके साथ ज्यादतीं हुई हैं। यह इस प्रदेश को सोचना चाहिए। पूरा हमारा भारत एक हैं। भारत की उन्नति के लिए हमें रास्ता सोचना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं क्षमा चाहता हूं जयहिन्द।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Sir, We are in the midst of the Golden Jubilee year of our Independence. It is indeed the Golden Jubulee of our democracy. At this juncture it is only appropriate that an appraisal of our polity, its operational dynamics and some of the problem areas is made.

It is our good fortune that when we emerged independent, we had the benefit of a galaxy of outstanding leaders who were fully conscious of the enormity of the tasks before them and who were equally definitive about the path we should chart out for ourselves. I pay tributes to all Members of the Constituent Assembly. Their painstaking efforts provided India with the basic legal and ethical framework for progress and development.

As it has emerged, the Constitution incorporates some of the salient features of the British, Irish, French, South African and American Constitutions while at the same time displaying a distinctive Indian approach based on its ethos and values.

Our Constitution is not merely a political document which provides the framework and institutions for democratic governance—our Parliament, the Executive and the Judiciary. It provides a framework for the economic and social emancipation of society and particularly the poor, the under-privileged and the down-trodden.

If I am permitted to be very precise, the core of the commitment to a social revolution lies in Parts III and IV of the Constitution, in the Fundamental Rights and on the • Directive Principles of State Policy. As hat been aptly described, these are the conscience of the constitution. It is of profound import that the fundamental rights arc enforceable by the courts of law. Article 32 of the Constitution guarantees the implementation of these rights. This, to my mind, is a very crucial safeguard aginst excesses by the executive authority and, therefore, cast* a very heavy responsibility on our judiciary, a vital pillar of our democratic structure, to ensure that the fundamental human rights and freedoms are guaranteed. It has been proved beyond doubt that "the working of a Constitution docs not depend wholly upon the nature of the constitution. The factor on which the working of the organs of the State depends is the people and the political parties they set up as their instruments to carry out their wishes and their politics."

If we look at the nations around us, we can rightly be proud of our resilient and living Constitution which has adapted over .time to changing circumstances, needs I and requirements. Indeed, it has become a model for Constitutions in other countries.

A very important feature of our Constitution enshrined in Art. 1 is that India is a Union of States. Indeed, ours is a unique system of federation with a manifest unitary character. It is a cooperative federalism whereby there is a harmonious interaction and relationship between the Union and the States and among the States for the common good. There have, however, been persistent demands from several quarters for more autonomy to the States, especially financial autonomy or financial devolution. Those oppposed to this view hold that a strong bias in favour of the Union is essential if we are to preserve and protect the unity and integrity of the country. In this context, it is pertinent to observe that the use and alleged misuse or abuse of Art, 356 of the Constitution came in for scathing attack as also the role of several Governors in political crises-situations or even in fomenting such crises.

It is heartening to observe that the Centre has been alive to the changing demands of the situations and exigencies of times, though the States at times feel that it is not doing enough to harmonise the situation.

In the actual operation of the democratic set-up, I wish to highlight that elections are in a sense the barometer of democracy and political parties and contestant* the lifeline of elections. It is through the conduct of elections that the principles of consent and representation are articulated and realised. As very aptly said, elections periodically accord

legitimacy to the political system. In such a scenario, it appears rather imperative that the electors exercise their right to vote in a free, fair and transparent manner. And holding of such elections periodically becomes a *sine qua non* of democracy.

I would wish to highlight before this august House that the successful conduct of eleven general elections to the Lok Sabha and many more to the State legislatures and other representative bodies has proved beyond doubt the inherent democratic ethos of the Indian electorate.

I come to another distinctive feature of the Indian political system, namely, the multiplicity of political parties and groups. The multiparty system of the early years with a predominant single party soon gave way to genuine political plurality in the wake of the changing political climate and equations. There has also been an awakening of the regional aspirations on regional, linguistic and cultural lines and this has led to the emergence of new political groupings.

In such a scenario, what is striking in the series of developments in the past few years is a realignment of political forces. Simultaneously, these development have thrown up a host of other factors too—the possibility of hung Parliaments, the constitutional predicament the President finds himself in the emerging situations, the perspectives of regional parties who join the coalition at the Centre, political instability and its impact on national development and the nation's unity and integrity. A section of political opinion, concerned at recent developments, has even suggested the need for a national government at the Centre.

In recent times, particularly, there has been a widespread concern over the direction our political system is taking. Citizens of the country have been alarmed at the increasingly large number of reports appearing regularly on the alleged criminalisation of politics and lack of probity among the political leadership.

Political leaders themselves are feeling distressed at the turn of events and have effectively voiced the need to cleanse the system of undesirable elements. If we look at the situation as it exists today, cleansing politics necessarily entails cleansing electoral process too. Comprehensive electoral reforms are advocated as one option. Transparency in all sections of the Government is also advocated by many as a way of clearing many suspicions. Therefore, right to information is being advocated and demanded vociferously.

In the end, I would appeal to all sections of the House to join hands to strengthen the democratic process and achieve the dreams and visions of our founding fathers.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Shri V.P. Duraisamy—not present. Shri Sharief-Ud-Din Shariq—not present. Shri Suresh Keswani.

SHRI SURESH A. KESWANI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this interesting subject.

This has been a very interesting debate during the past one week. I have heard so many speakers both here in the Rajya Sabha and on TV and have also read the synopsis of the speeches delivered. I also visisted the Rajya Sabha gallery in the Lok Sabha and heard some interesting speeches.

My impression is that most of us here and in the Lok Sabha are conscious of the state of affairs of the country both at the State's level as also at the national level. Most of us are not satisfied with what we are seeing and experiencing today at the end of 5C years of independence and our experiment with parliamentary democracy. So, many of us are disillusioned and I wonder whether some

of us look like children who build statues of snow and weep to see them melt.

At the end of fifty years, it would have been incredible if we had not halted to ponder over our losses and gains and examined and re-examined whether we had chosen a correct delivery system for ourselves, or was there a possibility that there was a mis-match between the delivery system chosen by our founding fathers and ourselves and our real requirement.

The objective of Dr. Babasahcb Ambedkar and his wot thy colleagues in the Constituent Assembly was clearly to build a free welfare state which could secure distributive justice for all. They had marathon debates at the end of which we gave ourselves a Constitution. Before we could complete fifty years of the Constitution, we have effective nearly eighty amendments. There is already a serious

3.00 P.M.

debate going on whether we need some more amendments which could assure or ensure stability of the Union Government which has experienced instability whenever there has not been a majority gained by any single political party. We have experimented with coalitions on two earlier occasions, but none of us seems satisfied.

Our Constitution, though marginally modified by these amendments, still retains its basic character and structure intact, primarily because the checks and balances cxpcrcisc by three wings in which our founding fathers had distributed and separated the power, namely, the Legislature, the Executive and the Judiciary. How have these three wings performed? How have they conducted themselves during the last SO years is something which is open to the public scurtiny.

In this House, we will have to first examine how did the legislature of which we all of us here are Members and its progeny the executive' behave before we talk about the judiciary. To my mind, the litmus test of the legislature lies in finding our how decently and correctly did the political parties deal with the dissent. Did they try to humiliate and crush the dissent? Did they redicule or discredit the dissent or did they exhibit a spirit of healthy respect and sense of accommodation and appreciation of dissenting opinions? Did they use all kinds of the means to gag the opponents and injure the political adversaries or did the political parties help to build healthy traditions, respecting all shades of dissenting opinions? I would leave it to the Members to decide how has been our conduct. So much has been said in both the Houses of Parliament on what has transpired.

The second test lies in finding out how did we deal with minorities and less developed classes. Did we secure real justice for all without the differences of classes, castes, religions, creeds or sexes? Were wc providing extra support to the underprivileged sections? If we had done that, would there have been need for these changes or would there have been so much of outcry from economically backward classes? The third test would be by finding out whether we supported the merit while building the political parties or did we pack them with dumb followers and oportunists and have the political parties acted as an instrument for social awakening and did these parties imbibe and inculcate the sense of values in the society?

Similarly, for the executive wing, the test would be, did the governments govern wisely or govern at all, or was their time lost in political trivialities leaving the governance to bureaucrats? Did their Governments secure social and distributive justice for all or were we being guided by the bureaucrats in this respect also? Did the Governments manage the scarce resources of this poor nation wisely and directed the public sayings in genuinely productive areas or have they been 'the dream merchants' perennially keeping their audiences busy with prorudces? Did they five us an open and honest administration or did they

express their helplessness? Did they manage the law and order machinery to strengthen the confidence of the people in their Government or was the fear of the unknown allowed to be lurking in every street or every walk of life? Similarly, judiciary will have to be examined before our enquiry is complete. Trie Keshavanand Bharti case stands out as a milestone under which the basic structure theory was enshrined by the judiciary which sought to control the powers of the Parliament to effect the amendments to the Constitution. The purpose of my submission today is not to commence a debate on whether judiciary was right or wrong or whether they had the power to limit the functions of the Parliament. This will have to be done on some other occasion. The short point that emerges is that we need to enquire whether the three wings, legislature, executive and judiciary, have enshrined the dictum that nobody gives you power and you will have to grab it? have they knowingly or otherwise established the principle of "fiw aft ?n31, 3fl ^ to ?" Do wc as a nation realise the consequences that can flow from such an eventuality? Can we stop people from concluding that much of the mess that we sec around ourselves may have originated from the manner in which the executive, the legislature and now the judiciary may have conducted themselves? Can anyone seriously refute the charge that the suffering caused by the pulls and counter pulls on the delivery-system have been so cnoromous that the Parliamentary democracy has failed to deliver to this country all that was in the mind* of me founding fathers? Therefore, the charge that there is a mismatch between the delivery system and the people and their aspirations cannot be possibly refuted. What is the future of parliamentary democracy? Wc have held elections on eleven occasions. There does not appear to be a great enthusiasm to go for the twelfth one because everyone has apprehensions. Everyone is waling for a better climate. We had three Prime Ministers in one and-a-half years, two from Rajya Sabha, who had no support of the public mandate. The ruling group of parties had not sought the public mandate as a coalition. The Government of today is the creation of an opportunistic alliance of various political parties who have agreed to a common minimum programme. This government is there by default because no political party has the courage to force the election just yet. All arc waiting for each other. The interests of the poorest of the poor arc, in the meantime, being sacrificed. Half a dozen State Governments have forfeited their right to remain in the office for the reasons that arc so well known and so obvious that yet everyone is staying put holding on to their dear chairs oblivious to the fast deteriorating economic conditon of the masses on the one side and the law and order situation on (he other. The tensions on the borders arc mounting. Who has to defend this country against cross border terrorism? Who is to protect the Constitution and the parliamentary democracy? Docs it really have a great deal of future? Is this not the time to reconstitute the Constituent Assembly which can, perhaps, once again recognise the States and make them into smaller adminstrativcly convenient units with no more than two per cent of the members of Lok Sabha assigned to anyone of the State? Have the linguistic States not outlived their utility? Is this also not the time to increase the strength of the Lok Sabha and the Rajya Sabha and provide at least one Lok Sabha member for at least 1.25 million people ami one Raff a Sabha member for at least 2.S Million people? That means, there will be at least aver 169 members in the Lok Sabha ami 400 members in the Rajya Sabha to provide representation to the population of close to one billion people. Unless we are able to find a way to overcome caste conflicts and fire our elections from the influences of religion, caste and now sex, we are unlikely to be able to protect and foster parliamentary democracy in India.

This is the most opportune time to also take a cold and hard look at the global geo-political relatics and the unfolding scenario in and around our region. At the same time, is this not the time to reexamine our treatment of the minorities? Have we given a rightful place to Muslims while distributing party tickets or even jobs to them? The Prime Minister referred to the sufferings of Punjabis because of partition in his speech from the Red Fort. Why did he forget the suffering caused to Muslims? He did not even mention the suffering caused to Sindhis who lost their homeland and all political rights. Sindhis have won economic freedom in the last fifty years by the dint of hard work. Have they no right to political existence just because they have no homeland? These are the issues which we must address before we are able to take a decision on the future of democracy in India. If democracy is going to be a delivery system which secures for us the distributive justice, we will have to seriously ponder over these issues.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for the time given to me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Hon. Members, I have to inform that the Prime Minister will be summing up the discussion at 4.30 P.M.

श्री चुन्नी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आजादी की पचासवीं सालगिरह के अवसर पर मैं भारत के तमाम शहीदों और उन रहनुमाओं को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया और जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं।

माननीय, उपसंभाध्यक्ष महोदय, भारत के इस लोकतंत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सर्वप्रथम बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर ने 20 नवंबर, 1930 को लूदन राउंड टेबल कांफ्रेन्स की पांचवी मीटिंग में अपने भाषण द्वारा जो स्पष्ट किया, उसे मैं कोट करता हूं—"The point of view I will try to put as briefly as I can. It is this that the bureaucratic form of Government in India should be replaced by a Government which will be a Government of the people, by the people and for the people. This statement of the view of the depressed classes, I am sure, will be received with some surprise in certain quarters. The tie that bounds the Depressed Classes to the British has been of a unique character. The Depressed Classes welcomed the British as their deliverers from age long tyranny and oppression by the orthodox Hindus. They fought their battles against the Hindus, the Mussalmans and the Sikhs and won for them this great Empire of India. The British on their side, assumed the role of trustees for the depressed classes. In view of such an intimate relationship between the parties, this change in the attitude of the depressed classes towards British Rule in India is undoubtedly a most momentous phenomenon. But the reasons for this change of attitude are not far to seek. We have not taken this decision simply because we wish to throw in our lot with the majority. Indeed, as you know, there is not much love lost between the majority and the particular minority I represent. Ours is an independent decision. We have judged of the existing administration solely in the light of our own circumstances and wc have found it wanting in some of the most essentia] elements of a good Government. When we compare our present position with the one which it was our lot to bear in Indian society of the prc-British days, we find that, instead of marching on, we are only marking time. Before the British, we were in the loathsome condition due to our untouchability. Has the British Government done anything to remove it? Before the British, we could not enter the temple. Can we enter now? Before the British, we were denied entry into the police force. Does the British Government admit us in the force? Before the British, we were not allowed to serve in the Military. Is that career

now open to us? To none of these questions, can we give an affirmative answer."

सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने डिपरेस्ट लोगों के हित के लिए यह लड़ाई 1930 से लड़ी और निरंतर अपने जीवन काल में वे इस लड़ाई को लड़ते रहे और उन्होंने संविधान दिया। संविधान में उन्होंने व्यवस्था दी थी कि अनुसूचित जाति जनजाति का उत्थान हो, विकास हो और इसके लिए उन्होंने 10 साल का समय दिया था। यहां हर दस साल पर सरकारें आई और वह समय का प्रावधान बराबर बढ़ाया जाता रहा। क्यों ऐसा किया गया? दलितों के उत्थान के लिए क्या किया गया, इस पर मैं बाद मैं बताऊंगा लेकिन बार-बार दस साल का समय बढ़ाकर इस वर्ग को वहां के लोगों ने वोट बैंक समझा और इसलिए आज तक उनकी कोई तरक्की नहीं हुई सर, आज लगभग 20 करोड़ की आबादी इस वर्ग की देश में है, जिनमें से शिक्षित केवल 3 प्रतिशत हैं, अर्थात् **सैकड़ा** पीछे 97 आदमी आज भी इस वर्ग का अशिक्षित हैं। सैकड़ा पीछे चार आदमी ऐसे हैं, जो दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मुहैया कर पाते हैं और सैकड़ा पीछे 96 आदमी आज भी भुखमरी के कगार पर हैं। परसों के अखबार में उड़ीसा में महिला आयोग की रिपोर्ट में कहा गया हैं कि अनुसूचित जाति की 85 प्रतिशत महिलाएं और लड़कियां वैश्यावृत्ति करके अपना जीवनयापन करती हैं। 50 साल में इस देश में आबादी के 1/5 हिस्से वालों को यही मिला हैं भुखमरी, अशिक्षा और जानवरों से बद्तर जीवन आज गरीबों में पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं हैं। जिस तालाब में गांव के जानवर पानी पीते हैं, उसी तालाब में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोग नहाते हैं, पानी पीते हैं और उसी पानी का खाना बनाने में भी प्रयोग करते है। मेरा आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना है कि 50 साल बीत गए लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। मैंने पढ़ा कि पहली योजना से 8वीं योजना तक 1,15,000 करोड़ रूपए इस वर्ग के उत्थान के लिए खर्च किए गए,लेकिन क्या वही उत्थान हैं? 50 वर्षो में इस वर्ग के लोगों के साथ किया गया और इसका कारण हैं इच्छा-शक्ति में कमी, नीतियों में कहीं न कहीं त्रुटि। आपको आश्चर्य होगा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नौकेरियों में आरक्षण सन् 55 से आया, 42 साल बीत गए, आज भी न तो केन्द्र की नौकरियों में और न प्रदेश की नौकरियों में आरक्षण की पूर्ति हुई। जाहिर हैं कि आरक्षण की नीति में कहीं न कहीं कोई कमी हैं और इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। हम आज आत्मालोचन कर रहे हैं, आज समय हैं कि इन नीतियों पर भी हम सोचें, इनकी विवेचना करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के पीछे यह मंशा नही थी कि सारे देश में एक सुपर क्लाम शेडयूल्ड कास्ट का बनकर रह जाए और वही आरक्षण की सुविधा ले, बल्कि वे चाहते थे कि इसका लाभ प्रत्येक आदमी को मिले। आज गांव के किसान के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को नौकरियों में आरक्षण की यह सुविधा नहीं मिल रही हैं। कारण यह है कि उनके माता-पिता अपने जेवर बेंचकर, अपना पेट काटकर उनको पढ़ाते हैं।..... बी0एस0सी0 और एम0एस0सी0 तक की डिग्री दिलाते हैं लेकिन वे कंपीटीशन में नहीं आ पाते। इसलिए इस नीति में भी कहीं न कहीं खामी जरूर हैं। जो मंशा बाबा साहब की थी कि देश के गरीब लोगों तक यह सुविधा पहुंचे, वह नहीं पहुंच पाई हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध हैं और इस देश के रहनुमाओं से मेरी अपील हैं कि एक-चौथाई आबादी को सामाजिक सम्मान,राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक विकास मे भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में जब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक यह राष्ट्र कमजोर रहेगा और इस तरह के कमजोर राष्ट्र पर कभी भी कोई बड़ी मुसीबत आ सकती हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से अपील हैं कि इन वर्गों के कल्याण के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए अथवा जो नीति बनी हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और इनके हित और आर्थिक विकास के लिए ईमानदारी और निष्ठा से उसका पालन करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आभारी हूं आपका कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल (1) की ओर सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा हैं कि India that is Bharat, shall be a Union of States', और हिंदी में इसका रूपांतर हैं कि " भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा"।

महोदय, मेरा ख्याल हैं कि 50 साल की आबादी के बाद अब हमें "इंडिया" शब्द को नमस्कार करना चाहिए और "भारत" शब्द को परिभाषित करना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। हमारे देश का नाम "भारत" होना

चाहिए और संविधान में हमें कहना चाहिए कि "भारत राज्यों का संघ होगा"। मैं पूरे सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे पार्टी लाईन से ऊपर उठें और यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए। यह हमारी आज़ादी के 50 सालों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि हम इस "इंडिया" शब्द से छुटकारा पा लेंगे, इस इंग्लिसाईज्ड शब्द से छुटकारा पा लेंगे।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा के स्पीकर महोदय ने बड़ी पुस्तिका निकाली हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उस पुस्तिका का नाम हैं "भारतीय संसदीय लोकतंत्र के 50 वर्ष"। उसमें जो पहला वाक्य हैं, वह यह हैं कि "हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति की आंख के आंसू पोंछने की नहीं हैं। हो सकता हैं हम इतना कुछ न कर पाएं किंतु जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा"। पंडित नेहरू ने ये शब्द कहे थे। उनके ये शब्द इस पुस्तक के सूत्र हैं और मैं इसी सूत्र के आधार पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

महोदय, हमारे संसदीय लोकतंत्र के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय हमने इसको आज़ाद होते हुए देखा था और आज़ादी के साथ ही भारत के पार्टीशन को भी देखा था। एक तरफ हम लोग जश्न मना रहे थे रात मे, दूसरी ट्रेनों में लोग भरकर जा रहे थे और उधर से ट्रेनों में घायल लोग और बहुत से मृत व्यक्तियों के शव आ रहे थे। हमारे भारत के कुशल नेतृत्व ने इन सबको संभाला। हमारे देश में लाखों शरणार्थी आएं, और नेताओं ने उनके आंसू पौछें और 50 साल के उपरांत हमारी यह उपलब्धि रही कि भारत देश से शरणार्थी नाम का शब्द एलिमिनेट हो गया। हमारे देश में कोई भी शरणार्थी नहीं है। पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंस मना रहा हैं यहां से जो लोग गए वह मुहाजिर कहलाए और आज भी वह मुहाजिर शब्द प्रचलित हैं। यह उनकी उपलब्धि हैं। हमने शरणार्थी शब्द की समस्या को खत्म कर दिया हैं यह हमारी उपलब्धि रही। हमार दूसरी उपलब्धि हैं कि शायद भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जो 500 स्टेट का भारत में विलय होना हैं जिसकी तुलना संसार में शायद कहीं नहीं मिली। एक उचित ढंग से सरदार बल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को भारत में विलय कराया औ अफसोस यह हैं कि केवल एक स्टेट रह गया जो अभी तक हमारे लिए नासूर बना हुआ हैं।

हमारे देश ने अपवनी इन समस्याओं को सुलझाने के लिए डेमोक्रेटिक रास्ते को चुना और चुनने के पश्चात लोगों को आंसू पौंछने के जो प्रयास किए उसमें सफलता भी मिली और असफलता भी। जहां तक राजनैतिक चेतना और सामाजिक चेतना की बात हैं उसमें जनता को सहारा मिला लेकिन सामाजिक न्याय और आर्थिक मुद्दों पर हमें काफी निराशा हाथ लगी, जो अपेक्षाएं थीं वह पूरी नहीं हुई । प्रशासनिक स्तर पर दलितों के, गरीबों के आर्थिक स्वभाव को, आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 45 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में रही, वह आरक्षण को पूरा नहीं कर पाई और 45 वर्ष के शासन में 45 हजार रिक्त स्थान दिखाई पड़े जिसके भरने के लिए हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अथक प्रयास किया और उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को स्पेशल अभियान चला करके इनको भर्ती करने का प्रयास किया और जब 1992-93 में इसको रिव्यू किया गया तब साढ़े **सत्रह** हजार की वेंकेसी रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिवेंशन इन प्रमोशन खत्म कर दिया था। लेकिन उसको भारतीय संसद ने बड़े कम समय में हमारे केसरी जी ने, हमारी संसद ने दो महीने के अंदर ही संविधान में संशोधन किया और रिजवेंशन इन प्रमोशन को कायम रखा। यह एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही है इस संसद की और हमारी पिछली सरकार की। मान्यवर, अनुसूचित जाति, दलितों, पीड़ितों और शोषितों के लिए सरकार ने बहुत से प्रोग्राम बनाए, बहुत से कार्यक्रम बनाए और छठी पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक 20 हजार करोड़ रूपए इनके उत्थान के लिए खर्च किए। अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या बीस करोड़ हैं और बीस करोड़ की आबादी के लिए 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसमें लगातार वृद्धि हो रही हैं। लेकिन जब हम गांवों में जाते हैं और देखते हैं कि दलितों के नाम पर सारे गांव का उत्थान हुआ है, बिजली लगी हैं लेकिन जहां से दलित बस्ती शुरू होती हैं, वहीं से विकास का काम अवरूद्ध हो जाता हैं और वहां पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। अगर हुआ भी हैं तो नाममात्र को। पूरे गांव को अगर थ्री फेस की बिजली दी गई हैं तो दलित बस्ती के लिए सिंगिल फेस की बिजली दी गई हैं जिससे वह तरक्की नहीं कर सके। सोनपुर और मिर्जापुर के जो गांव हैं उनमें नल सैंक्शन हैं लेकिन लगा कहीं और हैं। कुंआ उनके लिए सैंक्शन है पर खुदा कहीं और हैं, बिजली उनके नाम से सैंक्शन हैं, पूरा गांव बिजली से भरा पड़ा हैं लेकिन उनके गांव में बिजली नहीं हैं। कनौरा का गांव हैं। पहलं अनुसूचित जाति की बस्ती पड़ती हैं, बाद में जनरल जाति की बस्ती पड़ती हैं और बगल में पिछड़ी

जाति की बस्ती पड़ती हैं। न तो अनुसूचित जाति की बस्ती में बिजली दी गयी हैं, न पिछड़ी जाति को बिजली दी गयी हैं पर बीच में रहने वालों को बिजली दी गयी हैं। महोदय, इम्प्लीमेंटेशन की जो कठोर नीति हैं, उसको देखने की बात हैं कि हरिजनों के नाम पर किए गये विकास का लाभ न पिछड़ों को मिला, न हरिजनों को मिला। वह मिला तो केवल जनरल कास्ट के लोगों को, जो बीच में रह रहे हैं। इन सब चीजों में सुधार करने की आवश्यकता हैं। एक करोड़ रूपया जो हम लोगों को दिया जाता हैं वह वास्तव में कम हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। जो विकास की बातें की जा रही हैं, वह सारे विकास के रूपये दूसरे कामों में खर्च हो रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर उतने खर्च नहीं हुए जितनी अपेक्षा थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

श्री लक्खीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वत्रत्रता की पचासवीं स्वर्ण जसंती के अवसर परद प्रत्येक देशवासी का गौरवान्वित होना स्वाभाविक हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां हमारा सर 50 वर्षो में सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया में चलाने के लिए गोरवान्वित हैं वही यह आत्मनिरीक्षण का भी समय हैं। पचास वर्षो की अवधि बिताने के बाद हमने क्या सोचा था और हम कहां पहुंचे हैं, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत हैं। लोकतंत्र चुनाव करके हम स्वत्रत्रतापूर्वक सरकार चलाएं खाली उतने से ही परिपूर्ण नहीं होता। आज भी चुनाव के संबंध में क्या हम इस बात को नहीं मानेंगे कि चुनाव में धनबल, बाहुबल और जातीयता के जोर से लोग चुनकर आते हैं? जब तक चुनाव में इस प्रकार का सुधार नहीं होगा बाहुबल, धनबल और जातिवाद को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक क्या सच्चे प्रतिनिधि, जमीन से जुड़े हुए आदमी संसद में अपने लोगों की आवाज बुलन्द करने आ सकेगे? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि न केवल चुनाव में सुधार की आवश्यकता हैं बल्कि धीरे-धीरे पांच दिन की बहस में हम सबने इस बात को स्वीकार किया हैं और यह बात सामने आयी हैं कि आज तेजी से राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा हैं और अपराधीकरण के बढ़ते धीरे-धीरे यह स्थिति आ गयी हैं, अनेक वक्ताओं ने भी कहा और हम लोग भी यह महसूस करते हैं कि जनता का राजनीतिज्ञों के प्रति विश्वास खत्म हो गया हैं। राजनीतिज्ञों को अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। इसके लिए हम चाहे दूसरी किसी भी व्यवस्था को दोष दें, जैसा अनेक वक्ताओं ने कहा हैं, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक लोग देश के नेतृत्व के शीर्ष पद पर होते हैं और इनके आचरण का प्रभाव सारी जनता पर पड़ता हैं। जिस प्रकार से अगर गंगोत्री से गंदा पानी आ जाए तो गंगा जी में साफ पानी नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता यह हैं कि क्योंकि देश का नेतृत्व राजनैतिक व्यक्ति करते है इसलिए सबसे पहले निर्मल चरित्र और सारा सुधार राजनीतिक दलों से होना चाहिए। हमने दुर्भाग्य से पिछले अनेक वर्षो में राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ा दिया है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह हैं कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की हैं कि हम कानून के राज्यों की तो बात करते हैं लेकिन क्या हमने नौकरशाही का भी धीरे-धीरे राजनीतिकरण नहीं कर दिया?जो **न्झैकौरशाही** संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो नौकरशाही देश के कानून और व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थो के कारण उसका राजनीतिक उपयोग कर चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो हमने धीरे-धीरे नौकरशाही का भी राजनीतिकरण कर दिया हैं। इसके कारण भी आज गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता। इसी प्रकार से मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद हमने अपने अधिकारों पर तो बहुत जोर दिया लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कि अधिकारों के साथ हमारे कर्त्तव्य भी जुड़े हुए हैं। अगर हम अधिकारों के साथ अपने कर्त्तव्यों पर जोर नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि हमको अधिकार पाने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार से उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा समय मेरे पास नहीं हैं किन्तु मैं कुछ संक्षिप्त बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

50 वर्ष पहले लोगों ने क्या-क्या सपने संजोये थे जब आजादी हमें मिली थी। आजादी के वक्त लोगों के चेहरों पर लाली थी, एक उन्माद था। गरीबों को उम्मीद थी कि हमारी झोपड़ी तक भी विकास की रोशनी पहुंचेगी लेकिन क्या आप इन 50 वर्षो में उन तक रोशनी पहुंचा सके हैं? पचास वर्ष गुजर जाने के बाद आज भी 32 करोड़ लोगों का गरीबी की रेखा से नीचे होना हमारे लिए वास्तव में शर्म की बात हैं ऐसा मैं मानकर चलता हूं। हम गांधी जी का नाम लेते हैं और लेना भी चाहिए। वे इस देश के महान योद्धा थे, राष्ट्रपिता हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी के पद-चिन्हों पर क्या हमने चलने की चेष्टा की हैं? गांधी जी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ। हम तो उदारीकरण के नाम पर विदेश की तरफ भाग रहे हैं और विदेशियों को भारत में बुला रहे हैं। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज गांव को ईकाई

मानकर उसका विकास प्रारम्भ किया जाए। हमने तो गांवों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया हैं और उसका प्रतिफल यह हुआ कि गांव उजड़ते चले गए और शहर भी बेढंगे तरीके से झुग्गी-झौपड़ियों की समस्या से ग्रस्त होते चले गए हैं। हमने पिछले 50 वर्षो में गांवों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया हैं। गांधी जी तो बहुत सी बातें कहते थे। गांधी जी चाहते थे कि शराबबन्दी हो, लेकिन क्या हम शराबबन्दी की तरफ बढ़ रहे हैं? हम गांधी जी के आदर्शो पर चलने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। खाली गांधी जी के नाम की माला जपने से देश का विकास नहीं हो सकता हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आम नागरिकों के लिए पांच मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक शिक्षा, दूसरी चिकित्सा, तीसरे पीने का शुद्ध पानी, चौथे छोटे-मोटे उद्योगों के लिए बिजली और पांचवा सड़क। लेकिन क्या हम इन पांचों चीजों को गांवों में मुहैया कर सके हैं? मैं आपको एक-दो उदाहरण और देना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं हैं।

महोदय, मध्य प्रदेश में शिक्षा का इतना बुरा हाल हैं कि मध्य प्रदेश के 16 हजार गांवों में प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं, मैं हाईस्कूल और कालेज की बात नहीं कर रहा हूं। आज भी वहां पर 16 हजार गांवों में प्राइमरी स्कूल्स नहीं है। आप ही बताइये कि जिस प्रदेश में आधी के लगभग आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हो तो उनके बच्चे किस प्रकार से अपना और देश का विकास कर सकेंगे और किस प्रकार से उन तक आजादी की रोशनी पहुंच सकेगी?

महोदय, उसी प्रकार से पानी का हाल हैं। आज भी मध्य प्रदेश के हजारों गांवों में पीने को शुद्ध जल नहीं मिलता हैं। मेरे पूर्व वक्ता चुन्नी लाल जी ने बताया कि पानी के अभाव में लोग तालाब के पानी में ही नहाते हैं, उसके पानी को पीते हैं और उसी के पानी में खाना बताते हैं। यह हजारों गांवों की दुर्दशा हैं। मैं चिकित्सा की बात कहना चाहता हूं। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आदिवासी इलाकों में, जिनके नाम पर सरकार करोड़ो रूपया खर्च करती हैं, आज भी सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर जिलों में प्रत्येक वर्ष मलेरिया की बीमारी से हजारों लोग चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं। वहां पर मलेरिया की बीमारी का इलाज़ नहीं होता हैं। पिछले वर्ष भी सरगुजा में ढाई-तीन सौ आदमी मलेरिया के बुखार के शिकार हुए। ऐसा पीने के लिए शुद्ध जल न मिलने के कारण और चिकित्सा की उचित व्यवस्था न होने के कारण होता हैं। तो क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं हैं कि आजादी के पचास साल बाद भी हमारे आदिवासी बन्धु, हमारे गरीब बन्धु या तो पीने के पानी के अभाव में या चिकित्सा के अभाव में अपने प्राण त्याग दें और हम बड़ी-बड़ी तरक्की और विकास की बातें करें?

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं आर्थिक असमानता की बात कहता हूं। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और मैं उस पर कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। माननीय प्रणव मुखर्जी साहब ने उस पर काफी लम्बा भाषण दिया हैं। मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस देश का गरीब एक ओर अपने बच्चों को 12 रूपये लीटर का दूध नहीं पिला सकता हैं जबकि दूसरी ओर इस देश में एक ऐसा वर्ग हैं जो अपने बच्चे को 12 रूपये लीटर मिनरल वाटर पिला रहा हैं। इस प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में निर्मित हुई हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार और कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमने चार-पांच दिन काफी विश्लेषण किया हैं और मैं समझता हूं कि सारे विश्लेषण के आधार पर हम एक बार फिर से आत्म-चिंतन करें। यह वर्ष हमारे आत्म चिन्तन का वर्ष हैं और हम उस पर विचार करके अगर कुछ कार्य ईमानदारी के साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। इस में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश में चाहे किसी भी पार्टी का राज हो, यह तो एक अलग **जनत** का अधिकार हैं। इस देश में इतनी क्षमता हैं कि यह देश सारी दुनिया में एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर सकता हैं। इस देश में कृषि के योग्य बढ़िया जमीन हैं, इस देश में पानी के लिए अनेक नदियां हैं, पर्याप्त जल हैं। फारेस्ट हैं, खनिज हैं, वायु हैं, परमेश्वर द्वारा इतना देने के बाद प्रतिभाएं हैं जिसकी हम कदर नहीं करते हैं, जिसके कारण लोग विदेशों में पलायन करते हैं। यहां किसी बात मे कमी नहीं हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मेर मन में कई बार खटकता हैं वह यह हैं कि हमारी आजादी 1947 में आई। जापान 1945 मे पराभूत हुआ। जापान पर दो साल पहले अणु बम का प्रयोग हुआ था, एटम बम का प्रयोग हुआ था जिससे दो बड़े शहरों और लाखों की आबादी का विनाश हो गया था। वह जापान जो पराभूत राष्ट्र था आज अमरीका से आर्थिक स्थिति में होड़ लेने की चेष्टा कर रहा हैं। हमारे पास किस बात की कमी हैं कि 50 साल के बाद भी हम तीन लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और आज भी हमारे वित्त मंत्री दे दे राम, दिला दे राम करते कर्जा मांगे घूम रहे हैं, किस बात की कमी हैं? इस बात की कमी हैं कि हमारे देश की प्रतिभाओं को यहां ठीक प्रकार से अवसर नहीं

मिलता। मैं दो तीन छोटी-छोटी बातों का सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

सबसे पहले मैंने कहा कि जहां हम अधिकारियों की बात करते हैं, अधिकारों के साथ कर्त्तव्य भी जुड़े हुए हैं। कर्त्तव्यों के ऊपर भी हमें जोर देना चाहिये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव नियमों में व्यापक सुधार किया जाये जिससे इस देश की जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जिसके पास चाहे धन हो, चाहे न हो, बाहुबल, जातीयता इन सबसे परे हटकर जो देश के लिए समर्पित हो,देश के लिए चिंतन करता हो, इस प्रकार के सुधार करके निर्वाचित हो सके, यह हमको सुनिश्चित करना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर लम्बा-चौड़ा नहीं बोलना चाहता। मुझे आपने टोक दिया हैं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बातें तो बहुत हो गई हैं। इसको करने की आवश्यकता नहीं हैं। इस भ्रष्टाचार को ईमानदारी व कठोरता से समाप्त करना चाहिये। यह भ्रष्टाचार हमारे शरीर में घुन का काम कर रहा हैं। एक रूपया केन्द्र से भेजे और 15 पैसे ही पहुंच पाते हों, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जायें और इसके कारण विदेशों से जो कर्जा आया हैं। अगर धन का सही उपयोग होता तो हमारी यह दुर्दशा नहीं होती। भ्रष्टाचार को ईमानदारी और कठोरता से समाप्त करना चाहिये।

मैं अपनी आखरी बात कहकर समाप्त करूंगा कि योजना इस प्रकार से बनाई जाये कि गांवों को एक इकाई माना जाए। उनकी मूलभूत अवश्यकताओं पर विचार किया जाए कि क्या कारण हैं कि इस देश की 75 प्रतिशत आबादी जो गांव में रहती हैं, आज भी पानी के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, छोट- छोटी समस्याओं के लिए बारहमासी सड़क के लिए तरस रही हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आज हम गांधी जी की बात पर चलें। जो उन्होंने ग्राम स्वराज का सपना दिया था ग्राम स्वराज का नारा दिया था, हम गांव को इकाई मानकर और मूलभूत 5 चीजें जैसी मैंने कहीं पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और सड़क प्रतयेक गांव को हम मुहैया कराकर हम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाए। महोदय, मुझे इस बात में कोई शक नहीं हैं कि भारत की आम जनता को आजादी की पहली किरण, आजादी के विकास की रोशनी उनकी झोपड़ियों तक पहुंचाने में सक्षम हो सकेगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मौलाना हबीबुर्ररहमान नोमानी (नाम निर्देशित): मैं इस मौके पर जो आज का मौजू है उस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जमहूरी निजाम, हिन्दुस्तान की जमहूरियत इस काबिल हैं कि उस पर फख्र किया जाए। देश का बंटवारा हुआ, एक एकसा पाकिस्तान बना उसने कहा कि हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। नारा जरूर दिया लेकिन इस्लामी हुकूमत की बात कायम नहीं की। उस जमाने की जो कम्चुनल पार्टी थी उसके दबाव के बावजूद भी हिन्दुस्तान के रहनुमाओं ने हिन्दुस्तान को सेक्युलर और जमहूरी मुल्क बनाया। इस मुल्क के अन्दर बिला इम्तियाज,मजहब, जात-बिरादरी सब को बराबर का हक दिया। महल में रहने वाला आदमी और आसमान की छत के नीचे सोने वाला आदमी दोनों को बराबर हक मिला। **मसाबात** कायम की गई और वही वजह है कि आज 50 वर्ष के बाद बहुत सारी चीजें न होने के बाद भी, कमी होने के बाद भी हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि आज हमारी जम्हूरियत की जड़ बहुत मजबूत हैं। हिन्दुस्तान की जम्हूरी डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हैं। बहुत से लोग बात करते हैं मुख्यधारा की। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खसूसियत यही हैं कि यहां अनेकता में एकता हैं। मुख्यधारा का नाम देकर, इसकी दुहाई देकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हमारे शिव सेना के भाई बोल रहे थे, हम तो इसमें यकीन नहीं रखते लेकिन पुनर्जन्म के अकीदे के अंदर आप यकीन रखतं हैं। क्या होती हैं अकलियत की भावना, क्या होती हैं अकलियत की बेएतमादी, अगर भगवान मरने के बाद आपको पुनर्जन्म दे तो किसी अकलियत के घर में आप पैदा हो जाए और आपको पिछले जन्म की बातें याद रहे तो फिर आपको महसूस होगा कि उस जन्म में हमारी क्या मानसिकता थी और आज क्या है। लेकिन शायद इसमें समय लगेगा। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। 1995 में चटगांव में, जब बंगलादेश नहीं बना था, वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था तो हमारे गोरखपुर के वजीर श्री इस्तफा हुसैन अंसारी के बड़े भाई अल्ताफ साहब चटगांव गए। वह होटल में खाना खा रहे थे। एक दम हंगामा हुआ कि हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया। वह खड़े हो गए और पसीने में डूब गए। घबराहट उन पर तारी हो गई लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि वह पाकिस्तान में हैं। तब पसीना पोंछकर आराम से बैठकर वह खाना खाने लगे। यह जो घबराहट थी यह हिन्दुस्तान के मुसलमान की थी और फिर उनके अंदर एतमाद तब पैदा होता हैं जब वह इस बात को महसूस करते हैं कि वह पाकिस्तान के अंदर हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मुख्य धारा के नाम पर अगर कोई यह समझता हैं कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों को अपने में जज्ब करने का मौका मिलेगा तो यह उनकी भूल हैं। हमको वफादारी देखनी होगी। मुल्क के हम लोग चफादार हैं। हम कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की चाहे आजादी की लड़ाई हो और चाहे हिन्दुस्तान पर जब भी आजादी की लड़ाई हो और चाहे हिन्दुस्तान पर जब भी आजादी के बाद बाहरी हमला हुआ, तो देश के सम्मान की बात हो या देश की रक्षा करने की बात या उसके हिफाजत का सवाल हो, मुसलमान कभी पीछे नहीं रहा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने दिलो-दिमाग में बुसअत पैदा करें और सब को साथ लेकर चलने के लिए खुद जियो और दूसरे को जीने दो की बात पर चलेंगे तो मुल्क मजबूत होगा। लेंकिन संकीर्णता के इस भाव से मुख्यधारा का नाम लेकर किसी को मिटाने की कोशिश करना, इससे देश मजबूत नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में भी बुनकर आगे आगे थे। कांग्रेस के आजादी के प्रस्ताव से पहले कलकत्ता के अंदर मोमिन कान्फ्रेस के झंडे के नीचे मुनअकिद इजलास में हिन्दुस्तान की आजादी का मुतालबा किया गया था, यह सब को मालूम हैं। हिन्दुस्तान में अंगेज हाकिम बनकर नहीं आए थे, व्यापारी बनकर आए थे जब वे आए थे तो हिन्दुस्तान के अंदर सबसे बड़ा व्यापार कपड़े का व्यापार था और हैंडलूम का कपड़ा था, करघे का कपड़ा था उसका निर्यात, उसका एक्सपोर्ट होता था। यह वह दौर था जब लंकाशायर और मानचिस्टर में मशीनें लग चुकी थी, पावर लूम लग चुके थे और मिलों में काम शुरू हो चुका था और उन मिलों ने कपड़ा उगलना शुरू कर दिया था। उन्होंने सोचा कि हिन्छफस्तान बड़ा मुल्क हैं, करोड़ों का मुल्क हैं और यह बहुत बड़ी मंडी बन सकती हैं। क्योंकि वह व्यापारी थे। व्यापारी बन कर के आए थे तो सब से पहले उन्होंने निशाना बुनकरों को बनाया। हमारे किसी साथी ने कहा था कि यह बात सही हैं कि बुनकरों के अंगूठे कटवाए गए। यह बात सही हैं कि सारे बुनकर जो बहुत अच्छे कारीगर थे और उनको लालच दे कर कि चलो इंग्लैंड हम तुम को बहुत बड़ी तनख्वाह देंगे ले जा कर के उनको समुद्र में डुबो दिया गया था। वही वजह थी कि हिन्दुसतान के बुनकर अंगेजों को अपना दुश्मन नम्बर एक मानते थे। जब मुस्लिम लीग की आंधी चल रही थी तो कांग्रेस के साथ शाना-बशाना हो कर के कंधें से कंधा मिला कर के यह तबका चलता था। मैं जिस परिवार से आता हूं मेरे वालिदे बुजुर्गवार कट्टर नेशनलिस्ट थे, आलमेदीन थे और कहते थे कि अंग्रेजी पढ़ना हराम हैं। अंग्रजी ज़बान से उनको नफरत नहीं थी नफरत तो इस बात से थी कि उस जमान में जो लोग पढ़ते थे नौकरी के लिए पढ़ते थे अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए पढ़ते थे वह यह कहते थे कि हमें अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी हैं, हम भूखे रह सकते हैं, नंगे रह सकते हैं लेकिन अंगेजी पढ़ कर अंगेजों की गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजी पढ़ कर अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा मुल्क आजाद हुआ। 1947 में उन्होंने यह कहा कि अब अंगेजी पढ़नी चाहिये, पढ़ना जरूरी है इसलिए कि अब देश की सेवा करनी हैं। मैं आज कहता हूं मेरा चौथा भाई एम0टेक0 है जो भटकल इंजीनियरिंग कालेज में प्रोफेसर हैं। मेरा छठा भाई मोंहम्मद अजहर नोमानी, 1965 में उसको कहा गया कि आपको कश्मीर में जाना होगा। आई0पी0एस0 में 100 अफसरों की लिस्ट में सिर्फ तीन मुसलमान थे। उसको बतायश गया कि रिपोर्ट यह आई हैं कि आप ही नेशनलिस्ट परिवार से आते हैं और कश्मीर के अन्दर नेशनलिस्ट परिवार के नौजवान को भेजना हैं, इसलिए आपको भेज रहे हैं। उसने अब्बा से यह बासत कही तो उन्होंने कहा कि बेशक तुम कश्मीर में जाओ और वहां जा कर तुम्हे खिदमत करनी हैं। बाकी बातों को बीच में छोड़ कर मैं कहना चाहता हूं कि जब बगावत हुई अभी पिछले दिनों कश्मीर के अन्दर हमारे शारिक साहब बैठे हैं, जानते होंगे उनको अडिशनल डायरेक्ट जनरल (पुलिस) बना कर के भेजा गया। उनके जाने के दो दिन के अन्दर ही उन्होंने बगावत को फरो कर दिया जो बगावत महीनों से फरो नहीं हो रही थी, खत्म नहीं हो रही थी। दो दिन के अन्द खत्म कर दिया। 24 अप्रैल, 1993 में गये थे और ऐसे चक्त में जब उनको चार जुलाई को डायरेक्टर जनरल (पुलिस) का चार्ज लेना था लेकिन 3 जुलाई को उनको दोबारा हार्ट अटैक हुआ और वह इस दुनिया से चल बसे। आज उनकी कब्र भी श्रीनगर के अन्दर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य धारा में होने का पैमाना क्या हैं, मुल्क की वफादारी का क्या पैमाना हैं? लेकिन मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि बुनकरों में दो तरह के लोग हैं एक जो नार्थ में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं (**समय की घंटी**) लेकिन उनकी शक्ल सूरत अलग और नाम इस्तफा और मुस्तफा की तरह और साऊथ में जो बुनकर हैं उनकी शक्ल दुसरी हैं। मुझे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि साऊथ के बुनकरों के मुकाबले में नार्थ के बुनकरों को नजर-अंदाज किया जाता हैं। वह बुनकर जो फनकार हैं जिसकी उंगलियों में फन हैं आज वह बुनकर और

बुनकर का बेटा सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर हैं, पत्थर और ईंट तोड़ने के लिए मजबूर हैं। आज 70 फीसदी करघे बंद हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि यह हाल उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन बिहार के भी ज्यादा बुनकर तबाह हैं। मैं चाहता हूं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। sमैं यह चाहता हूं कि उनके सूत और रेशम के मसले को हल किया जाए। अगर हिन्दुस्तान के अन्दर जरूरत के लिए फाइन किस्म का रेशम नहीं मिलता हैं और बनारस के बुनकर आन्दोलित होते हैं, शार्टेज भी हैं, हफ्ते के अन्दर तीन-तीन, चार-चार सौ रूपये कीमत बढ़ जाती हैं। फी किलो तो बाहर से रेशम मंगाया जाए।

कितनी बड़ी दौलत है यह हिंदुस्तान की। आप इससे अंदाज लगाइए कि तकरीबन 70 अरब रूपए का माल विदेश जाता है, एक्सपोर्ट होता हैं और हिंदुस्तान को जरे मुबादला फोरन एक्सचेंज मिलती हैं। हैंडलूम के ऊपर डेढ़ करोड़ से ज्यादा आदमी काम करते हैं। पावरलूम के ऊपर 55-70 लाख से ज्यादा आदमी काम करते हैं। मिलों के लिए सब कुछ दिया जाता हैं। अरबों और खरबों रूप्या खर्च किया जाता हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बुनकरों के लिए, कितना खर्च किया जाता हैं? मैं चाहता हूं कि 50वीं सालगिरह जब मनायी जा रही हैं तो हिंदुस्तान के इन सपूतों को भी निगाह में रखा जाए जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ी से बड़ी कुरबानियां दी हैं। अभी हमारा गोरखपुर हैं, चोरी-चोरा का किस्सा हैं। उसमें कौन था सबसे आगे झंडा लेकर अब्दुल्लाह अंसारी था। हजारों लोग उस लड़ाई में शमिल थे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज के इस मौके पर हम तमाम शहीदों को याद करते हैं। उनके सामने अपना सिर झुकाते हैं। उनको सलाम करते हैं और उनको नजराने अकीदत पेश करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

†**مولانا حبیب الرحمن نعمانی"نامزد":** میں اس موقع پر جو آج کا موضوع ہے اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا جمہوری نظام۔ہندوستان کی جمہوریت اس قابل ہے کہ اس پر فخر کیا جائے۔ دیس کا بٹوارہ ہوا۔ ایک ایسا پاکستان بنا۔ اسنے کہا کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرینگے۔ نعرہ ضرور دیا لیکن اسلامی حکومت قائم نہیں کی۔اس زمانے کی جو کمیونل پارٹی تھی اسکے دباؤ کے باوجود بھی ہندوستان کے رہناماؤں نے اس ہندوستان کو سیکولر اور جمہوری ملک بنایا۔ اس ملک کے اندر بلا امتیاز مزہب۔ذات۔برادری۔ سبکو برابر کا حق دیا۔ محل میں رہنے والا آدمی اور آسمان کی چھت کے نیچے سونے والا آدمی دونوں کو برابر حق ملا۔ مساوات قائم کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ آج پچاس سال کے بعد بہت ساری چیزیں نہ ہونے کے بعد بھی کمی ہونے کے بعد بھی ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری جوہوریت کی جڑ بہت مضبوط ہے۔ ہندوستان کی جمہوری ڈیموکریسی بہت مضبوط ہے۔ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں مکھیہ دھارا کی۔ اسکے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ یہاں انیکتا میں ایکتا ہے مکھیہ دھارا کا نام دیکر اسکی دھائی دیکر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے شیو سینا کے بھائی بول رہے تھے۔ ہم تو اسمیں یقین نہیں

†[ ]Transliteration in Arabic Script

آپ سبھا ادھیکش مہودے۔ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ مکھیے دھارا کے نام پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اکثیریت کو۔ اقلیتوں کو اپنے میں جزب کرنے کا موقع ملیگا تو یہ انکی بھول ہے ہمکو وفاداری دیکھنی ہوگی۔ ملک کے ہم لوگ وفادار ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی چاہے آزادی کی لڑائی ہو اور چاہے ہندوستان پر جب بھی آزادی کےبعد باہری حملہ ہو تو دیش کے سمان کی بات ہو یا دیش کی رکشا کرنے کی بات ہو یا اسکی حفاظت کا سوال ہو۔ مسلمان کبھی پیچھے نہیں رہا۔ اسلئے میں آپکو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ میں وسبت پیداکریں اور سبکو ساتھ لیکر چلنے کیلئے خود جیئو اور دوسروں کو جینے دو کی بات پر چلیں گے تو ملک مضبوط ہوگا۔ لیکن سنکیرنتا کے اس بھاؤ سے مکھیے دھارا کا نام لیکر کسی کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ اس سے دیش مضبوط نہیں ہوگا۔

اپ سبھا ادھیکش مہودے۔ میں ایک اور بات کی طرف آپکا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں بھی بنکر آگے آگئے تھے۔ کانگریس کی آزادی کے پرستاؤ سے پہلے کلکتہ کے اندر "مومن کانفرنس"

رکھتے لیکن پنر جنم کے عقیدے کے اندر آپ یقین رکھتے ہیں۔کیا ہوتی ہے اقلیت کی بھاونا۔کیا ہوتی ہے اقلیت کی بے اعتمادی ۔اگر بھگوان مرنے کے بعد آپکو پنر جنم دے اور آپکو پچھلے جنم کی باتیں یاد رہیں تو کسی اقلیت کے گھر میں آپ پیدا ہو جائیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس جنم میں ہماری کیا مانسکتا تھی اور آج کیا ہے۔ لیکن شاید اسمیں وقت لگے گا۔میں ایک واقعہ آپکو سنا نا چاہتا ہوں۔ ۱۹۶۵ میں چٹگام میں جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا۔ وہ پوروی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا تو ہمارے گو رکھپور کے وزیر شری اصطفی احسین انصاری کے بڑے بھائی اصطفی الطاف صاحب چٹگام گئے وہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دم ہنگامہ ہوا کہ ہندو و مسلم دنگا ہو گیا وہ کھڑے ہو گئے اور پسینے میں ڈوب گئے۔ گھبراہت ان پر طاری ہوگئی لیکن پھر انھیں خیال آیا کہ وہ پاکستان میں ہیں۔ تب پسینہ پونچکر آرام سے بیٹھکر وہ کھانا کھانے لگے یہ جو گھبراہٹ تھی یہ ہندوستان کے مسلمان کی تھی اور پھر انکے اندر اعتماد تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر تھے۔

مانتے تھے۔ جب مسلم لیگ کی آندھی چل رہی تھی تو کانگریس کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کے کندھے سے کندھا ملاکر کے یہ طبقہ چلتا تھا۔ میں جس پریوار سے آتا ہوں میرے والد بزرگوار کٹر نیشنلسٹ تھے، عالم دین تھے اور کہتے تھے کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے۔ انگریزی زبان سے انکو نفرت نہیں تھی۔ نفرت تو اس بات سے تھی کہ اس زمانے میں جو لوگ پڑھتے تھے نوکری کے لئے پڑھتے تھے۔انگریزوں کی غلامی کرنے کیلئے پڑھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں انگریزوں کی غلامی نہیں کرنی ہے۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں ننگے رہ سکتے ہیں لیکن انگریزی پڑھکر انگریزوں کی غلامی نہیں کرینگے۔ لیکن جیسے ہی ہمارا ملک آزاد ہوا ۱۹۴۷ میں انھوں نے کہا کہ اب انگریزی پڑھنی چاہئے۔ پڑھنا ضروری ہے اسلئے کہ اب دیش کی سیوا کرنی ہے۔ میں آج کہتا ہوں۔ میرا چوتھا بھائی ایم۔ایٹ۔ ہے جو بھٹکل انجینئرنگ کالج میں پروفیسر ہے۔ میرا چھٹا بھائی محمد ازہر نعامی، ۱۹۶۵ میں اسکو کہا گیا کی آپکو کشمیر میں جانا ہوگا۔ آئی-پی-ایس۔ میں ۱۰۰ افسروں کی لسٹ میں صرف تین مسلمان تھے اسکو بتایا گیا کہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ آپ ہی نیشنلسٹ پریوار سے آتے ہے جھنڈے کے نیچے منعقد اجلاس میں ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ سبکو معلوم ہے۔ ہندوستان میں انگریز حاکم بن کر نہیں آئے تھے ویاپاری بنکر آئے تھے جب وہ آئے تھے تو ہندوستان کے اندر سب سے بڑا ویاپار کپڑے کا ویاپار تھا اور جو ہینڈ لوم کا کپڑا تھا کرگھے کا کپڑا تھا اسکے "نریات" اسکا "ایکسپورٹ" ہوتا تھا یہ وہ دور تھا جب لنکا شایر اور مانچیسٹر میں مشینیں لگ چکی تھیں۔ پاور لوم لگ چکے تھے اور ملوں میں کام ہو چکا تھا اور ان ملوں نے کپڑا اگلنا شروع کر دیا تھا۔ انھوں نے سوچا کہ ہندوستان بڑا ملک ہے۔ کروڑوں کا ملک ہے اور یہ بہت بڑی منڈی بن سکتی ہے کیونکہ وہ بیوپاری تھے۔ ویاپاری بن کر کے آئے تھے تو سب سے پہلے انھوں نے نشانہ بنکروں کو بنایا۔ ہمارے کسی ساتھی نے کہا تھا کہ یہ بات صحیح ہے کہ بنکروں کے انگوٹھے کٹوائے گئے۔ یہ بات صحیح ہے کہ سارے بنکر جو بہت اچھے کاری گر تھے انکو لالچ دے کر کہ چلو انگلینڈ ہم تم کو بہت بڑی تنخواہ دینگے۔ لے جاکر کے انکو سمندر میں ڈبو دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے بنکر انگریزوں کو اپنا دشمن نمبر ایک

ہیں اور کشمیر کے اندر نیشنلسٹ پریوار کے نوجوان کو بھیجنا ہے اسلئے آپکو بھیج رہے ہیں اسنے ابا سے یہ بات کہی تو انھوں نے کہا کہ بے شک تم کشمیر میں جاؤ اور وہاں جاکر تمہیں خدمت کرنی ہے۔ باقی باتوں کو بیچ میں چھوڑکر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بغاوت ہوئی ابھی پچھے دنوں کشمیر کے اندر ہمارے شارق صاحب بیٹھے ہیں۔جانتے ہو گے انکو ایڈشنل ڈائرکٹر جنرل آف پولیس بناکر کے بھیجا گیا۔ انکے جانے کے دودن کے اندر ہی انہوں نے بغاوت کو فرو کر دیا جو بغاوت مہینوں سے فرو نہیں ہو رہی تھی۔ختم نہیں ہو رہی تھی۔ختم نہیں ہو رہی تھی۔ دودن کے اندر ختم کر دیا۔ ۲۴ اپریل ۱۹۹۳ میں گئے تھے۔ اور بڑے وقت میں جب انکو ۴ جولائی کو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا چارج لینا تھا لیکن ۳ جولائی کی انکو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔آج انکی قبر بھی سری نگر کے اندر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مکھے دھرا میں ہونے کا پیانہ کیا ہے۔ ملک وفاداری کا کیا پیانہ ہے۔ لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بنکروں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک جو نارتھ میں رہتے ہیں۔ بہار میں رہتے ہیں۔ اتر پردیش

میں رہتے ہیں...."وقت کی کھنٹی" لیکن انکی صورت وشکل الگ اور نام اصطفی اور مسطفی کی طرح اور ساؤتھ میں جو بنکر ہیں انکی شکل دوسری ہے۔ مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ساؤتھ کے بنکروں کے مقابلے میں نارتھ کے بنکروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ وہ بنکر جو فنکار ہے جسکی انگلیوں میں فن ہے آج وہ بنکر کا بیٹا سڑکوں پر کام کرنے کے لئے مجبور ہیں پتھر اور اینٹ توڑنے کیلئے مجبور ہے۔آج ۷۰ فیصدی کرگھے بند ہیں۔میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حال اتر پردیش میں ہے۔ لیکن بہار کے بھی زیادہ بنکر تباہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ انکی طرف توجہ دی جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انکے سوت اور ریشم کے مسئلے کو حل کیا جائے اگر ہندوستان کے اندر ضرورت کیلئے فائن قسم کا ریشم نہیں ملتا ہے اور بنارس کے بنکر آندولت ہوتے ہیں۔ شارٹیج بھی ہے۔ ہفتہ کے اندر تین تین چار چار سو روپئے قیمت بڑھ جاتی ہے فی کلو۔ تو باہر سے ریشم منگایا جائے۔کتنی بڑی دولت ہے یہ ہندوستان کی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ تقریبا ۷۰ ارب روپئے کا مال ودیش جاتا ہے ایکسپورٹ ہوتا

ہے اور ہندوستان کو جو زر مبادلہ فارن ایکسچینج ملتا ہے۔ ہینڈلوم کے اوپر ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ آدمی کام کرتے ہیں پاورلوم کے اوپر ۵۵۔۷۰ لاکھ سے زیادہ آدمی کام کرتے ہیں۔ ملوں کے اندر دس سے پندرہ لاکھ آدمی کام کرتے ہیں۔ملوں کے لئے سب کچھ دیا جاتا ہے۔ اربوں کھربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنکروں کیلئے۔ان پاورلوم بنکروں کیلئے۔ہینڈلوم کے ورکروں کیلئے کتنا خرچ کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ۵۰ ویں سالگرہ جب منائی جا رہی ہے تو ہندوستان کے ان سپوتوں کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جنہوں نے دیش کی آزادی کیلئے بڑی سے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ابھی ہمارا گورکھپور ہے "چورا چوری" کا قصہ ہے اسمیں کون تھا سب سے آگے جھنڈا لیکر عبداللہ انصاری تھا۔ہزاروں لوگ اس لڑائی میں شامل تھے۔ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے اس موقع پر ہم تمام شہیدوں کو یاد کرتے ہیں اسکے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ انکو سلام کرتے ہیں اور انکو نزرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔

श्री मोहिन्दर सिंह (पंजाब): वाईस चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ऐसे शुभ अवसर पर वक्त दिया हैं। हम आजादी के 50 साल में अपना स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। यह स्पेशल इजलास इसलिए किया गया है ताकि 50 साल की आजादी के बाद हमने क्या खोया, क्या पाया इसको देख सकें।

मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूं जिन शहीदों ने अपनी अटल जवानी, अपनी एज आजादी को प्राप्त करने के लिए देश में कुरबान कर दी जैसे सरदार प्रताप सिंह, शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चन्द्रशेखर आज़ाद,सुखदेव राजगुरू और अन्य नौजवान। अपनी कुरबानी देकर इन्होंने इस देश की आजादी प्राप्त की। डेमोक्रेसी और लोकराज्य हमें दिलाया। इस आजादी से पहले सरकार में कोई भी हिस्सेदारी पंचायत से लेकर लोक सभा तक हमारे भारतीय लोगों की नहीं थी। लेकिन डेमोक्रेसी आने के बाद, उन लोगों की कुरबानी के बाद यहां पर हम पंचायत से लेकर लोक सभा तक पहुंचे हैं और अपनी सरकार बनायी हैं। पंचायत में भी हमारी डेमोक्रेसी बनी हैं और लोग अपना वोट देकर पांच साल तक अपनी सहमति से ग्राम में अपना कामकाज करते हैं, हमारा ख्याल था कि गरीबी, बेरोजगार,अनपढ़ता, सेहत की संभान और बाकी छुआछूत आदि के बाद खत्म हो जाएंगे। दुख की बात है कि आज 50 साल के बाद भी देश के अंदर छुआछूत और गरीबी उसी तरह से गलियों में घूम रही हैं। गरीबी उसी तरह से हर सतह पर अपने मुकाम पर हैं।

आजादी के बाद बहुत ही हिम्मत के साथ बहुत से लोग डाक्टर बने हैं, इंजीनियर बने और उसके बाद काफी लोग साइंटिस्ट भी बने हैं। इनके लिए भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन इनको अब भी रोजगार नहीं मिल रहा हैं। सरकारी नौकरियों में कहीं जगह नहीं मिल रही हैं। वे बेचारे, ऐसा होता हैं कि भागकर बाहर जाते हैं और बाहर जाकर उनको नौकरी मिलती हैं। अपने देश के लोगों से प्राप्त नहीं कर सके हैं इसलिए मजबूर होकर वे बाहर जाते हैं। बाहर जाकर वे अपना रोजगार लेते हैं। यहां पर उनके रोजगार के लिए कोई वसीले नहीं हैं, उन्हें किसी किस्म की प्राप्ति नहीं होती। हमने देश के अंदर एक कानून बनाया हैं कि देश के लोगों शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स जिनको कहते हैं, की गरीबी दूर करनी हैं। लेकिन आज 50 साल के बाद कानून के आधार पर जो रिजवेशन बनायी हैं, आज

कानून के आधार पर उन लोगों का जो रिजरवेशन बैकलाग हैं उसको हम पूरा नहीं कर सकें हैं। अब उनके लिए जो रूपया सैन्टर से आता हैं वह भी उनको समय पर नहीं मिलता। उनको किताबों के लिए, जो डाक्टर हैं, जो वकील हैं उनके लिए जो रूपया मिलता हैं वह भी सरकार उनको समय पर नहीं दे रही हैं। यह डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इन पचास सालों में यदि लोगों की गरीबी और छुआछूत दूर नहीं कर सके तो उसके बाद क्या करेंगे।

4.00 P.M.

(**उपसभापति महोदया पीठासीन हुई**)

मेरी आपसे यह प्रार्थना हैं कि उन लोगों की गरीबी दूर करने के लिए जो छोटे-छोटे धंधे हैं जैसे हौजरी का काम हैं सिलाई मशीन का काम है और नट-बोल्ट आदि का काम है ऐसे धंधे उन गरीबों के लिए खुलने चाहिए और उसके लिए सहूलियतें मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि बेघर लोगों के लिए मकान देंगे लेकिन अभी तक वे लोग आसमान के साए तले जमीन पर सोते हैं। जमीन ही उनका बिस्तर हैं। अभी तक उन लोगों को मकान नहीं मिले और वे सड़कों पर सो रहे हैं, कहते है कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सी स्कीमें बनाई गई हैं। लेकिन उनको चैक अप करने का सरकार ने कोई वसीला नहीं बनाया है कि सरकार देख सकते कि जो रियायतें उनके लिए दी गई हैं वे ठीक-ठाक से उनको मिल रही हैं या नहीं। आजादी के इन पचास वर्षो के बाद भी उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया हैं। देहातों में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको राशनकार्ड नही मिल पाए, मकान नहीं मिल पाए और उनके साथ बलात्कार तक हो रहे हैं। उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा हैं। उनके केस तक दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। हम आजाद तो हो गए लेकिन गरीब और गरीब बन रहा हैं। गरीबों के साथ छुआछूत और नफरत की जा रही हैं। उनको घरों में पानी मिल रहा हैं और दबाइयां नहीं मिल रही हैं। हरिजनों को आगे लाने का महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था वह भी पूरा नहीं हो रहा हैं। अब भी वे लोग पखाना साफ करते हैं अभी तक उनका किसा चेंज नहीं हुआ। गंदा उठाने की प्रथा अभी तक बरकरार हैं। कानून तो बना दिया लेकिन उस कानून पर कोई अमल नहीं हो रहा हैं। .... (**व्यवधान**)

उपसभापति कल्याण जी, आज जरा अपनी बात खत्म करें।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: जाति-पात होने के बाद देश की ताकत बिखर रही हैं, तकसीम हो रही हैं। यदि हम जाति-पात रोकेगे और छुआछूत खत्म करेंगे तो मैं समझता हूं कि देश और मजबूत होगा। पहले से हमारा पंजाब ऐसा हैं जिसने हमेशा हिन्दुस्तान के लिए खुराक दी हैं, आजादी को बरकरार रखने के लिए सब से ज्यादा कुर्बानी दी हैं और तीनजंगे हमने लड़ी हैं। उसके बावजूद हमने सरकार से दियासलाई तक की मांग नहीं की, कोई चीज़ नहीं मांगी, लेकिन सरकार ने फिर भी पंजाब की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी। अनाज, सिलाई की मशीन और टैक्सटाइल आदि सब कुछ पंजाब ने दिया हैं लेकिन अफसोस की बात हैं कि पंजाब के सन्नतकारों पर कई टैक्स लगे हुए हैं और अफसोस तथा दुख की बात हैं कि उनकी बात मानी जा रही हैं। उनके लिए कोई रियायते नहीं दी जा रही हैं। जिन शहीदों नक शहीदियां देकर आजादी प्राप्त की हैं, आज उन फ्रीडम फाइटरों को किसी किस्म की जो सहूलियत दी जा रही हैं वह उन तक पहुंच नहीं रही हैं। उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दे रहा हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो देश की एक बुनियाद होते हैं, जो देश के लिए एक मजबूत दीवार होते हैं आज उनको भी पंजाब में ऐसी कोई सहूलियत नहीं जिससे कि उनमें उत्साह पैदा हो सके और वे लोगों के सामने आ सकें। उत्साह पैदा हो सके और वे लोगों के सामने आ सकें। उनके लिए अगर हम उन लेखकों को, साईटिस्टों को और सन्नतकारों को डेमोक्रेसी में कोई रियायत नहीं देंगे तो देश कमजोर होगा। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जाति-पाति से छुटकारा दिलाना चाहिए, छुआछूत को खत्म करना चाहिए, लेखकों, साईटिस्टों और देशभक्तों के परिवारों का हमें सम्मान करना चाहिए। उनको पहल देनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमने इस आजाद देश में डेमोक्रेसी बहाल की हैं, छुआछूत खत्म की हैं।

उपसभापति महोदया, आज देश में दलित लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजवेंशन का जो बैकलॉग हैं, वह उन के लिए बहुत धोखा हैं। उन के साथ इस मामले में बेइंसाफी हो रही हैं।

उपसभापति : कल्याण जी, आप समाप्त कीजिए। मुझे लास्ट स्पीकर श्री कटारिया को बुलाना हैं। चैयरमैन साहब आने वाले हैं।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : मैडम, मैं दो शब्द कहकर आप से इजाजत लूगां-

फले-फूले यह आजाद देश भारत हमारा,

जिगरे खून देकर हम ने यह उगाया"। जय हिंद।

श्री वीरेन्द्र कवारिया (पंजाब): डिप्टी-चैयरमेन साहिबा, आजादी के इस 50वीं सालगिरह पर स्पीकर लोक सभा और चैयरमेन राज्य सभा ने यह विशेष सत्र बुलाकर उन शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करने का

मौका दिया, इस के लिए हम उन के मशरूक हैं। आज आजादी की 50वीं सालगिरह पर सब से पहले हम उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश की आजादी केलिए कुर्बानियां दीं और जिन की कुर्बानियों से देश आजाद हुआ।

आज हमें भगत सिंह याद आते हैं, राजगुरू बाद आते हैं, सुखदेव भी याद आते हैं, 1857 के तात्या टोपे, रानी झांसी, जलियांबाला बाग के शहीद, उक्का नहर के वे शहीद जोकि तोपों से उड़ा दिए गए, 1942 की हिंदुस्तान की आजादी की वह जंग नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने देश से बाहर जाकर लड़ी, आई0एन0ए0 के शहीद, काकोरी केस के शहीद गदर बाबे और कालापानी की जेलों में अपनी जानें कुर्बान करने वाले वह सारे शहीद हमें याद आते हैं और हम उन शहीदों को अपनी खिराजे अकीदत, अपना सलाम पेश करते हैं। देश उन के सामने अकीदत से अपना सिर झुकाता हैं। डिप्टी-चैयरमेन साहिबा, करतार सिंह सराबा भी मर गए, ऊधम सिंह भी मर गए, मदन लाल ढींगरा मर गए, असफाक उल्ला मर गए। राम प्रसाद बिस्मिल भी "सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में हैं" यह गीत गाकर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। यह सब शहीद अपनी जानों पर खेल गए।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए)

चैयरमेन साहब, हिंदुस्तान शहीदों की धरती हैं। दुनिया की तारीख में कभी ऐसी शहादत कहीं लोगों ने नहीं दी। हर इंसान मौत से डरता हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भगत सिंह जैसे शहीद हुए, करतार सिंह सराबा जैस शहीद हुए जिन्होंने मौत को लब्बेक कहकर पुकारा। "आओ मौत मेरे गले लग जाओ, ताकि हम कुर्बान हो जाएं" हिंदुस्तान की मिट्टी पर ऐसे हजारों भगत सिंह, करतार सिंह सराबा और ऊधम सिंह जैसे शहीद पैदा हों ताकि देश उन की शहादत से लबरेज होकर उन की शहादत से मुतास्सिर होकर, यह देश आजाद हो। चैयरमेन साहब, मैं आप की वसातत से आज उन शहीदों को जहां सलाम पेश करना चाहता हूं, वहीं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस आजादी के लिए हिंदुस्तान के उन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक हिंदुस्तान के किसी बशर की आंख में आंसू हैं, मैं हिन्दुस्तान को आजाद नहीं समझूगां लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि 50 साल गुजरने के बाद भी हिंदुस्तान में उन बशरों की तादाद ज्यादा हैं जिनकी आंखों में आज भी आंसू है। लगता ऐसा हैं कि शायद हमारे शहीदों का खून सस्ता हो गया हैं। आज

50 साल के बाद हमें लेखा-जोखा करना हैं, अपनी बैंलेस सीट बनानी हैं कि क्या वह ख्वाब जिन की ताबीर के लिए उन शहीदों ने कुर्बानियां दी थीं, अपनी जान की बाजी लगायी थी, जेल की सलाखों के पीछे गए थे, हजारो घर बर्बाद हुए थे, पंजाब और बंगाल की तकसीम हुई थी और लाशों से भरी हुई रेलगाड़िया मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। वह लोग जो महल, कोठियों के मालिक थे, उनको रिफ्यूजी कैम्पों में मैंने देखा हैं। किसी की बेटी उधर रह गई, किसी की बहन इधर रह गई। करोड़ो इंसान बेघर हो गए। रिश्तेदारों का पता ही नहीं। आज भी उनकी माएं उनको याद करके रोती हैं। उनको पता नहीं उनकी बेटियां कहां हैं। कुर्बानियों की भी कोई हद होती हैं। आज जहां मैं उन शहीदों को सलाम करना चाहता हूं वहां यह भी कहना चाहता हूं कि जिस वतन की आजादी के लिए जिस सुनहरे हिन्दुस्तान के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी, आज इस हिंदुस्तान की गरीब की आंखों में आंसू हैं। आज भी यहां अनपढ़ता हैं, आज भी यहां गरीबी हैं, आज भी हम पढ़ते हैं कि शेडयूल्ड ट्राइब और शेडयूल्ड कास्ट को उनके हक नहीं मिलते हैं। कानून की किताब में तो हमने लिख दिया हैं कि सब इंसान बराबर हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों के दिल की जो किताब है उस पर अभी भी भेदभाव हैं। आज भी तजहब के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता हैं। आज भी कारूट-पोलिकटक्स की जाती हैं, करप्शन का बोलबाला हैं। हालत यह हैं कि जो गरीब हैं जो अपनी मेहनत मजदेरी से पढ़कर आगे आते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलतीं और नौकरियां नीलाम भी की जाती हैं। आज लीडर और लेड में जो रिश्ता हैं, डेमोक्रेसी इसके ऊपर खड़ी हैं। It is a way of life.

चेयरमैन साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमारे जो इलेक्शन होते हैं वह किस तरह से होते हैं? किस तरीके से उसमें पैसे का इस्तेमाल किया जाता हैं । must say that our democracy is not functioning efficiently and effectively आज जासे हमारी लीडीशिप हैं चह जाती है आवाम के बीच जब इलेक्शन होते हैं, लेनि जो लोग कहते हैं कि हम लोगों के खिदमतनुसार हैं, हम लोंगों के सवेंण्ट हैं, लोगों के सेवक हैं, जब वह एम0पी0 बन जाते हैं या मिनिस्टर बन जाते हैं तो वह तो एअर कंडीशनर कमरे में बैठते हैं और जो हमारे मालिक हैं जो वोटर हैं वह बाहर खड़े उनका इंतजार करते हैं। आज हमारी फंक्शनिंग की यह हालत हैं कि अगर किसी पार्लियामेंट मैम्बर को या मिनिस्टर को

मिलना हो तों उसके कितने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनके जो पी0ए0 साहब होते हैं उनसे कितनी ही बार गुजारिश करनी पड़ती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को इंपलीमेंट किया जा सकता हैं, इफेक्टिव तौर पर उसको कैसे बनाया जा सकता हैं?

चेयरमैन साहब, मैं आपकी मार्फत दो-तीन चीजें कहना चाहता हूं। अगर इस डेमोक्रेसी को, जिसको कहते हैं कि This is the best form of Government. इसको इफेक्टिव बनाना हैं, तो लोगों को इलेक्शन के वक्त नहीं बल्कि इसको वे आफ लाइफ बनाना पड़ेगा। आज हमारे कंस्टीट्यूशन में 75 दफा अमेंडमेंट हो चुकी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस कंस्टीटूयूशन की एक कंप्रिहेन्सव स्टडी करनी चाहिए, और उसमें तरसीम की जाए। आप बेशक पार्लियामेंट फॉर्म आफ गवर्नमेंट बनाइए, लेकिन जब तक पोलिटिकल विल नहीं हैं उस कंस्टीट्यंशन को इंपलीमेंट करने के लिए इस डेमोक्रेसी का कोई फायदा होने नहीं जा रहा हैं।

चेयरमैन साहब, मैं आज आपकी खिदमत में यह कहना चाहता हूं कि आज भी हिन्दुस्तान में करोड़ो बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, आज भी हिन्दुस्तान में ऐसे गरीब लोग हैं जिन्होंने नए कपड़े पहनकर नहीं देखे हैं, आज भी हिन्दुस्तान में ऐसे लोग हैं।जो पावरटी लाइन से बहुत नीचे रहते हैं और उन्होंने जिन्दगी का कोई सुख आराम नहीं देखा हैं। जो नक्ले हमारे शहीदों ने बनाए थे। जो ख्वाब हमारे देश के वीरों ने देखें थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दीं, आज उन ख्वाबों की ताबीर के लिए कोई इफेक्टिव स्टफ बनाने की जरूरत हैं। आज पचास साल की आजादी के बाद अगर हिन्दुस्तान में ऐसे करोड़ों इंसान हैं, जिनको अपनी जिंदगी में कभी खुशियां नसीब नहीं हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें कुछ नकुछ अभी और इस देश के लिए करना हैं।

चेयरमैन साहब, आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, कहने को तो हम कहते हैं कि हमने गरीब को, पिछड़े हुए इंसानों को, कुचले हुए इंसानों को, दबे हुए इंसानों को, जो सदियों से दबे हुए थे इस डेमोक्रेसी के माध्यम से ऊंचा उठाना हैं, लेकिन जो भी हिन्दुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनका अगर इंसाफ के लिए तराजू झुकता हैं तो वह गरीब के लिए नहीं झुकता, अमीर के लिए झुकता हैं। यह प्रो-पूअर नहीं हैं, यह प्रो-रिच एडमिनिस्ट्रेशन हैं।

I

और इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस ब्यूरोक्रेसी को जब तक आप प्रो पूअर नहीं बनाएंगे, आपका कांस्टीटयूशन हो, आपके डायरेक्ट प्रिंसिपल हों,आप इम्पलीमेंट नहीं कर सकते।

चेयरमैन साहब, हिन्दुस्तान की तरक्की के आंकड़े बहुत हैं, डेवलमेंट बहुत हुई हैं बड़ें बड़े कारखाने , सड़कें, इंडस्ट्री, ग्रीन रिवेल्यूशन, साइंस एंड टेक्रोलॉजी, इसमें तो बराबर तरक्की हुई हैं, लेनि हेल्थ एंड एजुकेशन का जहां तक सवाल हैं, उसमें आता आदमी को अभी दिक्कतें हैं आज करप्शन इतनी बढ़ गई हैं कि आपको जन्म या मौत का सर्टिफिकेट लेना हो, राश कार्ड बनवाना हो, नौकरी लेनी हो, अस्पताल में भर्ती होना हों, स्कूल में दाखिला लेना हो या कोई और काम कराना हो, बगैर पैसा दिए किसी जगह इंसाफ नहीं ले सकते, इसके बिना आज डे-टु-डे लाइफ की जो चीजें हैं वे नहीं मिलती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यह करप्शन हैं, जब तक पोलिटिक्स में क्रिमिनल लोग आते हैं और वे आम लोगों की सुध-बुध नहीं लेते हैं, यह डेमोक्रेसी नहीं चल सकती हैं। Democracy is for the people, people are not for the democracy. The democracy must take its shape for the welfare of the people which is missing in the present 50 साल के बाद सब कुछ पाने के बाद, इतनी तरक्की करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है गरीब आदमी के आंसू पोंछने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए,उसकी हेल्थ के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसके बच्चों के उत्थान के लिए और इसके लिए हमारा पार्लियामेंट है, इसको और ज्यादा ताकतवर बनाने की जरूरत हैं, हमारा जो कांस्टीट्यूशन हैं, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की जरूरत हैं। जिस तरीके से आपने यह सैशन बुलाया हैं, मैं आपकी खिदमत में यह कहना चाहता हूं कि, it is a very good practice. It should continue. We must meet every year for a few days and discuss fearlessly, across the party lines, as to what is good for the country and we must implement that.

चेयरमैन साहब, पापुलेशन कंट्रोल करने के बारे में बहुत प्रापेगंडा किया गया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी डेवलपमेंट हैं, यह पापुलेशन ग्रोथ उस सारी डेवलपमेंट को बेकार कर रही हैं, सबको खा रही हैं। हमारी प्रापेगंडे के बावजूद, इश्तिहारों के बावजूद रेडियो-टी0वी0 में इतने प्रापेगंडे के बावजूद जिन

लोगों को पापुलेशन पर कंट्राल करना चाहिए, इसे कम करना चाहिए, मुझे यह कहने में कोई तअम्मुल नहीं हैं कि उनके बच्चोंमें, पापुलेशन में कोई कमी नहीं हो रही हैं,जो बैल टू-डू सैक्शन हैं, वहां पापुलेशन कंट्रोल हो रहा हैं, लेकिन जहां बेतहाशा बच्चे पैदा होते हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही हैं और उनके ऊपर कोई इफेक्टिव मैज़र्स नहीं लिए जा रहे तो मेरा आपके माध्यम से यह कहना हैं कि उनके ऊपर कोई इफेक्टिव मैज़र्स ऐसे लिए जाएं जिनसे कि पापुलेशन पर कंट्रोल किया जा सके। narrowreligious consideration, supremacy of black money, crisis of confidence, crisis of leadership आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, अगर हमने इन बेसिक चीजों को, जिन पर डेमोक्रेसी खड़ी हैं, अगर इन चीजों में हम सुधार नहीं कर पाए तो मेरा ख्याल है कि यह डेमोक्रेसी का एक दुखद दिन होगा।

सबसे आखिर मे मैं उन सब शहीदों को फिर सलाम करता हूं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हिन्दुस्तान आजाद हुआ, हम डेमोक्रेटिक मुल्क बने हैं। आज हिन्दुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन इस डेमोक्रेसी को और मज़बूत बनाने के लिए we must do something.I thank you very much for giving me the time. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

†**شری ویریندر کٹاریہ "پنجاب" ڈپٹی چیئر مین صاحب۔** آزادی کی ۵۰ ویں سالگرہ پر اسپیکر لوک سبھا۔اور چیئر مین راجیہ سبھا نے یہ وشیش ستر بلا کر ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا۔ اسکے لئے ہم انکے مشکور ہیں۔آج آزادی کی ۵۰ ویں سالگرہ پر سب سے پہلے ہم ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جنھوں نے دیش کی آزادی کیلئے قربانیاں دی ہیں اور جنکی قربانیوں سے دیش آزاد ہوا۔

آج ہمیں بھگت سنگھ یاد آتے ہیں۔ راج گرو یاد آتے ہیں۔ سکھ دیو یاد آتے ہیں ۱۸۸۷ کے تاتیاٹوپے ۔ رانی جھانسی ۔جلیاں والا باغ کے شہید۔ اگانہر کے وہ شہید جو کے توپوں سے اڑادئے گئے تھے۔ ۱۹۴۲کی ھندوستان کی آزادی کی وہ جنگ جوکہ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے دیش سے باہر جاکر لڑی تھی۔ آئی ۔این۔اے۔ کے شہید۔ کاکوری کیس کے شہید۔ غدر بابے اور کالا پانی کی جیلوں میں اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ سارے شہید ہمیں یاد آتے ہیں اور ہم ان شہیدوں کو اپنا خراج عقیدت۔اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ دیش انکے سامنے عقیدت سے اپنا سر جھاتا ہے۔ڈپٹ چیئرمین صاحب۔ کرتار سنگھ سرابھا بھی مر گئے۔ اودھم سنگھ بھی مر گئے۔ مدن لال ڈھینگرہ مر گئے۔ اشفاق اللہ مر گئے۔رام پرساد بسمل بھی۔...

"سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دلمیں ہے دیکھنا

ہے زور کنتا بازوئے قاتل میں ہے"

یہ گیت گاکر پھانسی کے تختے پر چڑھ

---

t[ ]Transliteration in Arabic Script

گئے۔ یہ سب شہید اپنی جانوں پر کھیل گئے۔

"سبھاپتی پیٹھاسین ہوئے"۔

چیئر مین صاحب۔ ہندوستان شہیدوں کی دھرتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی شہادت کہیں لوگوں نے نہیں دی۔ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں بھگت سنگھ جیسے شہید ہوئے۔ کرتار سنگھ سراپا جیسے شہید ہوئے جنھوں نے موت کو لبیک کہکر پکارا آؤ موت میرے گلے لگ جاؤ تاکہ ہم قربان ہو جاءیں ہندوستان کی مٹی پر پڑےسے ہزاروں بھگت سنگھ۔ کرتار سنگھ سراپا اور اودھم سنگھ جیسے شہید پیدا ہوں۔ تاکہ دیش انکی شہادت سے لبریز ہوکر انکی شہادت سے متاثر ہوکر یہ دیش آزاد ہو۔ چیئر مین صاحب۔ میں آپکی وساطت سے ان شہیدوں کو جہاں سلام پیش کرتا ہوں وہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس آزادی کیلئے ہندوستان کے ان شہیدوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ کسی بشر کی آنکھ میں آنسو ہیں تو میں ہندوستان کو آزاد نہیں سمجھونگا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ۵۰ سال گزر

گئے اسکے بعد بھی ہندوستان میں ان بشروں کی تعداد زیادہ ہے جنکی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ شاید ہمارے شہیدوں کا خون سستا ہوگیا ہے۔ آج پچاس سال کے بعد ہمیں لیکھا جوکھا کرنا ہے۔ اپنی بیلنس شیٹ بنانی ہے کہ کیا وہ خواب جنکی تعبیر کیلئے ان شہیدوں نے بانیاد دی تھی۔ اپنی جان کی بازی لگائی تھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے تھے۔ ہزاروں گھر برباد ہو تھے پنجاب اور بنگال کی تقسیم ہوئی تھی اور لحشوں سے بھری ریل گاڑیاں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ وہ لوگ جو محل اور کوٹھیوں کے مالک تھے انکو رفیوجی کیمپوں میں نے دیکھا ہے۔ کسی کی بیٹی ادھر رہ گئی کسی کی بہن ادھر رہ گئی کروڑوں انسان ہے بے گھر ہو گئے۔ رشتہ داروں کا پتہ ہی نہیں۔ آج بھی انکی مائیں انکو یاد کرکے روتی ہیں انکو پتہ نہیں کہ انکی بیٹیاں کہاں ہیں۔ قربانیوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آج جہاں میں ان شہیدوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں وہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس وطن کی آزادی کیلئے جس سنہرے ہندوستان کیلئے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں آج اس ہندوستان

کے فریب کی آنکھوں میں آنسوں ہیں۔ آج بھی یہاں "ان پڑھتا ہے" آج بھی یہاں غریبی ہے آج بھی ہم پڑھتے ہیں کہ شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ کو انکے حق نہیں ملتے ہیں۔ قانون کی کتاب میں تو ہم نے لکھ دیا ہے کہ سب انسان برابر ہیں لیکن ھندوستان کے لوگوں کی دل کی جو کتاب ہے اس پر بھی ابھی بھی بھید بھاؤ ہے۔ آج بھی مزہب کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی کاسٹ پولیٹکس کی جاتی ہے۔ کرپشن کا بول بالا ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو غریب ہیں جو اپنی محنت مزدوری سے پڑھکر آگے آتے ہیں انکو نوکریاں نہیں ملتی اور نوکریاں نیلام بھی کی جاتی ہیں آج لیڈر اور لیڈ میں جو رشتہ ہے ڈیموکریسی اسکے اوپر کھڑی ہے "اٹ از اے اوے آف لائف"۔

چیئر مین صاحب۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں کس طریقہ سے اسمیں پیسہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کس طریقہ سے شراب کا استعمال کیا جاتا ہے۔:

I must say that our democracy is not functioning efficiently and effectively-

آج ڈیموکریسی کو افیکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہماری لیڈشپ ہے، وہ جاتی ہے عوام کے بیچ۔ جب الیکشل ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خدمت گزار ہیں۔ ہم لوگوں کے نوکر ہیں۔ لوگوں کے سیوک ہیں۔ جب وہ ایم۔پی۔ بن جاتے ہیں یا منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ تو "ایئرکنڈیشنڈ" کمرے میں بیٹھتے ہیں اور جو ہمارے مالک ہیں جو ووٹرس ہیں وہ باہر کھڑے انکا انتظار کرتے ہیں آج ہماری فنکشنگ کی یہ حانت ہے کہ اگر کسی پارلیمنٹ ممبر کو یا منسٹر کو ملنا ہو تو اسکے کتنے ہی چکر لگانے پڑتے ہیں اور انکے جو ایم۔پی۔ صاحب ہوتے ہیں انسے کتنی ہی بار گزارس کرنی پڑتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقہ سے ہماری ڈیموکریسی کو املیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ افیکٹیو طور پر اسکو کیسے بنایا جا سکتا ہے۔

چیر مین صاحب میں آپکی معرفت دوتین چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر اس ڈیموکریسی کو جسکو کہتے ہیں کہ "دس از دی بسٹ فارم آف گورنمنٹ" اسکو افیکٹیو بنانا ہے تو لوگوں کو الیکشن کے وقت نہیں بلکہ آف لائن اسکو بنانا

اسٹف بنانے کی ضرورت ہے۔آج ۵۰ سال کی آزادی کے بعد اگر ھندوستان میں پڑے کروڑوں انسان ہیں جنکو اپنی زندگی میں کبھی خوشیاں نصیب نہیں ہوئیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ابھی اور اس دیش کے لئے کرنا ہے۔

چیئر مین صاحب۔آج ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے غریب کو۔ بچھڑے ہوئے انسانوں کو۔ کچلے ہوئے انسانوں کو۔دبے ہوئے انسانوں کو۔ جو سوبے سے دبے ہوئے تھے۔ اس ڈیموکریسی کے مادھیم سے اوپر اٹھانا ہے۔لیکن جو بھی ھندوستان کی ایڈمنسٹریشن ہے انکا اگر انسان کیلئے ترازو جھکتا ہے تو وہ غریب کیلئے نہیں جھکتا۔امیر کے لئے جھکتا ہے۔یہ پروپوور نہیں ہے۔ یہ "پرو ریچ" ایڈ منسٹریشن ہے۔ اور اس ایڈمنسٹریشن کو۔ اس بیوروکریسی کو بیوروکریسی کو جبتک پروپوور نہیں بنا ئیں گے۔ آپ کا کانسٹی ٹیوشن ہو۔ آپکے ڈائریکٹیو پرنسپل ہوں۔ آپ امپلی منٹ نہیں کر سکتے۔

چیئر مین صاحب۔ ھندوستان کی ترقی کے آنکڑے بہت ہیں۔ کڈیولپمنٹ پڑے گا۔ آج ہمارے کانسی ٹیوشن میں ۷۵ دفعہ امنڈمنٹ ہو چکی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کانسٹی ٹیوشن کی ایک "کمپری ھینسیو" اسٹڈی کرنی چاہئے اور اسمیں ترمیم کی جائے آپ بے شک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنپائیے۔ پریسیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ بنپائیے۔ لیکن جب تک پولیٹیکل بل نہیں ہے اس کانسٹی ٹیوشن کو امپلی منٹ کرنے کیلئے۔ اسے ڈیموکریسی کا کوئی فائدہ ہونے نہیں جا رہا ہے۔

چیئر مین صاحب۔ میں آج آپکی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ھندوستان میں کروڑوں بچے پڑے ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔آج بھی ھندوستان میں پڑے غریب لوگ ہیں جنھوں نے نئے کپڑے پہن کر نہیں دیکھے ہیں آج بھی ھندوستان میں پڑے لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے بہت نیچے رہتے ہیں اور انھوں نے زندگی کا کوئی سکھ کوئی آرام نہیں دیکھا ہے۔ جو نقشے ہمارے شہیدوں نے بنائے تھے۔جو خواب ہمارے دیش کے ویروں نے دیکھے تھے۔جنھوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں آج ان خوابوں کی تعمیر کیلئے کوئی افیکٹیو

بہت ہوگئی ہے۔ بڑے بڑے کارخانے سڑکیں انڈسٹری ۔گرین ریوولیوشن ۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسمیں تو برابر ترقی ہوئی ہے لیکن ھیلتھ انیڈ اجوکیشن کا جہاں تک سوال ہے اسمیں عام آدمی کو ابھی دقتیں ہیں۔ آج کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپکو جنم یا موت کا سرٹیفکٹ لینا ہو۔ راشن کارڈ بنوانا ہو۔ نوکری لینا ہو۔اسپتال میں بھرتی ہونا ہو اسکول میں داخلہ لینا ہو۔ یاکوئی اور کام کرانا ہو۔ بغیر پیسہ دئے آپ کسی جگہ اسکے بنا انصاف نہیں لے سکتے۔ آج "ڈےتھوڈے لائف" کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ملتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جبتک یہ کرپشن ہے۔ جبتک پالیٹکس میں کرمنل لوگ آتے ہیں اور وہ عام لوگوں کی شدھ بدھ نہیں لیتے ہیں یہ ڈیموکریسی نہیں چل سکتی ہے:

Democracy is for the people, people are not for the democracy. The democracy must take its shape for the welfare of the people .which is missing in the present day life.

۵۰ سال کے بعد ۔ سب کچھ پانے کے بعد۔ انکی ترقی کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ غریب آدمی کے آنسو پوچھنے کے لئے اسکو انصاف دلانے کیلئے اسکی ھیلتھ کیلئے۔اسکی ایجوکیشن کیلئے۔ اسکے بچوں کے استھان کیلئے اور اسکے لئے ہمارا جو ڈیموکریٹک سیٹ آپ ہے۔ ہماری پارلیمنٹ ہے اسکو زیادہ طاقتور بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو کانسٹی ٹیوشن ہےاسکو زیادہ افیکٹیو بنانے کی ضرورت ہے۔ جس طریقہ سے آپ نے یہ سیشن بلایا ہے میں آپکی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ:

It is a very good practice. It should continue. We must meet every year for a few days and discuss fearlessly, across the party lines, as to what is good for the country and we must implement that.

چیئر مین صاحب پا پولیشن کنٹرول کرنے کے بارے میں بہت پروپیگنڈہ کیا گیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ۔ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے یہ "پاپولیشن گروتھ " اس ساری ڈیولپمنٹ کو بےکار کر رہی ہے۔ سبکو کھا رہی ہے۔ ہمارے اتنے پروپیگنڈے کے باوجود۔ اشتہاروں کے باوجود۔ ریڈیو ٹی وی میں اتنے پروپیگنڈے کے باوجود جن لوگوں کو پاپولیشن پر کنٹرول کرنا چاہئے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ انکے بچوں میں ۔پاپولیشن میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے جو "ویلتھوڈو سیکشن"

ہے وہاں "پا پولیشن کنٹرول" ہورہا ہے۔ لیکن جہاں بے تحاشہ بچے پیدا ہوتے ہیں انکی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور انکے اوپر کوئی "افیکٹیو میزس" نہیں لئے جا رہے ہیں۔ تو میرا آپکے مادھیم سے یہ کہنا ہے کہ انکے اوپر کوئی "افیکٹیو میزرس" پڑسے لئے جائیں جن سے کہ پا پولیشن پر کنٹرول کیا جا سکے:

Narrow religious consideration, supremacy of black money, crisis of confidence, crisis of leadership.

آج ہم ۲۱ ویں صدی میں جا رہے ہیں اگر ہم نے ان بیسک چیزوں کو جن پر ڈیموکریسی کھڑی ہے اگر ان چیزوں میں ہم سدھار نہیں کرپا رہے ہے تو میرا خیال ہےکہ یہ ڈیموکریسی کا ایک دکھد دن ہوگا۔

سب سے آخر میں میں ان سب شہیدوں کو پھر سلام کرتا ہوں جنکی قربانیاں کی بدولت ہندوستان آزاد ہوا۔ ہم ڈیموکریٹک ملک بنے ہیں۔ آج ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے لیکن اس ڈیموکریسی کو اور مضبوط بنانے کیلئے

We must do something. 1 thank you very much for giving me the time.

آپکا بہت بہت شکریہ۔

MR. CHAIRMAN: Ms. Margaret Alva.

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka)'.Sir, it has been suggested that since the hon. Prime Minister is going to speak now, we may not speak.

MR. CHAIRMAN: Dr. Najma Heptulla.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA (Maharashtra): Wc spoke so much even the mike system has failed. Sir, I do not want to take much time of the House but as required, as I was the mover of the resolution, under the Rules of Procedure and Conduct Rule No. 154, I am just making two or three points as the mover of the resolution.

Since then, 146 Members have participated in the debate, spread over six days. I know, if we had continued, the rest of the Members would have also spoken. In the other House Mr. Speaker said, "Anybody who wants to speak can lay his speech on the Table of the House. It will become part of the proceedings." I had requested that the Members of our House should rise above their narrow political considerations and speak for the country's benefit and for the betterment of the people. I must say over here that we have watched and you have also watched that Members of Parliament have spoken on issues, concerning the nation, like population, education, environment, poverty, health and so on and so forth, rising above their party affiliations, We also appreciated the development in our country in infrastructure, economy, the contribution , of our scientists and technologists and the laudable contribution of our Armed Forces.

Sir, I would like to mention only two points here. There is a direct relation between population and poverty. When we speak about poverty, it means unemployment. It is a major problem before the country. I must say over here that the poorest among the poor are women, the most uneducated among the

uneducated are women, the most deprived of the deprived are women. I have been very sincerely watching and

reading the proceedings of the House. I found very few members addressing themselves to the problem of women and to the commitment of different political parties, which is enshrined in our Constitution. I was really anguished today, Mr. Prime Minister you are present here, I know that you are committed to the cause of women, that not many Members spoke about the plight of women and the commitment you all have made voluntarily to give to women their rightful position as enshrined in our Constitution, and also the commitment you all have made that you will give them position in decision and policy-making. Are women not a part of our constituencies? Do they not represent them? Do they not constitute SO per cent of the population of this country? Have they not a right to participate in the decision making and also a responsibility which they should have in implementing all the decisions, which they take with all of you? On the first day Mr. Speaker said, "We need a second freedom." Yes, we need a second freedom, that is, freedom from poverty, freedom from illiteracy, freedom from unemployment and so many other things. I feel, we need another battle, it is not the first, second or third, but till women get their rightful position and till that time we will keep on asking and will keep on fighting, whichever way it happens... *(Interruptions)...* Never mind...*(Interruptions)...*We will keep on doing it. As Parliamentarians we should address ourselves to the important ideas which have been postulated. I think, the largest number of Members of Parliament have spoken in the discussion on Parliamentary Democracy, during the last three days. Sixty Members spoke on it. Sir, with an experience of 17 years in this House, out of which 11 years in the Chair, I feel anguished that the most important time after the Question Hour is spent on issues which could be taken up at the level of Panchayats or Zila Parishads or Assemblies. I know they are important issues, but we have a three-tier system in our country. These issues could be discussed very easily at those places Parliament can not have any redressal for such issues. Redressal of those grievances can be done there. But somewhere there is some mistake. Somewhere, there is some failure on the part of the authority concerned. That is why Members of Parliament have to come and ask; they have to come and request the Chair; they have to make a demand. That is why we have the Zero Hour submissions. Special Mentions, etc.

Sir, the important job of Parliament is to legislate. But how much time do we spend on enacting legislations? I have noticed that many a time, due to paucity of time, we have not been able to even discuss many important Bills. Many important legislations which were going to affect millions of people in the country have been passed by voice vote in the House. Therefore, we have to address ourselves to this problem. 1 am not going to say that the Members should come into the Well of the House, or, they should not come into the Well of the House, or, they should or should not raise slogans. That is for you all to decide. But I, as a Member of this House, as the Presiding Officer of this House, feel that we should address ourselves more to the legislative aspect, which is the basic responsibility of Parliament.

A lot is being said about the criminalisation of politics, or, politicisation of crime — whichever way you put it. A glass is half-full, or, it is half-empty. It is being said that the political parties themselves should not field such persons; as was said by Shri Indrajit Gupta in the other House. The Election Commission has also issued some order in this regard. But I feel that even if the political parties put up people of character, the final judges would be the electorate; the final judges would be

the people of this country. Why don't they use their discretion and not elect those people whom they think are wrong, whom they think should not be elected? Nobody, Sir, in this House, come to take oath with a bomb or a gun or a rifle. He comes with a piece of paper; he comes to the House with the notification from the Election Commission declaring that- he has been duly elected. Finally, it is the people of the country who elect them.

Therefore, why should we not appeal to the people of this country to reject such people who are of doubtful character, even if such candidates have been put up by the different political parties; whatever the party might be?

As Parliamentarians, we have been talking a lot. I have been sitting here in the House. A number of Members have been talking about the judiciary. We have been talking about the judiciary in our earlier discussions. Yes; Sir. I think, somewhere, we must have failed in our duty. When we keep a vacuum, naturally, somebody would come into it. If there is a vacuum, water would flow in. Perhaps, Parliament has not done its duty. Perhaps, we have not made the Government accountable. Perhaps, we have not done our duty in seeing that the Government comes and answers, before the House. That is why the people have gone to the courts for the redressal of their grievances. Earlier, they used to go to the press. The press highlighted their grievances very well, but the press could not redress their problems; their grievances. That is how the judiciary has come into the picture. The mistake is ours. If we take our responsibility seriously, I am quite sure, Sir, the spirit of the Constitution can be maintained very well, as it was done in the early days of our Independence.

As far as the press is concerned, I would like to mcntioa one thing over here. I feel, the press—this is, perhaps, because the space is less in the newspapers—gives headlines only when there is some acrimony in the House, when there is some kind of a noise in the House. Otherwise, the newspapers say: so and so also spoke. I remember Mr. Jaipal Reddy telling me once. He was, at that time, sitting here; in the Opposition. He spoke for forty minutes on the Budget. He came and complained to me. He said: 'I spoke for forty minutes, for which I had to spend forty hours; but I did not get even forty lines in the news—papers'.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Four lines.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: It is a tragedy. Hon. Members spend a lot of time. They burn their midnight oil. They come here. They speak. They contribute. They want somebody to notice it. But Sir, I am sorry to say. The only thing which comes is the speeches of Ministers. It is, perhaps, because it is a printed speech. Perhaps, it is distributed by one of his personal assistants or secretaries. Therefore, it finds a place in the newspapers.

I would like to make a suggestion here to the press. At least, when we arc talking so much about the press, why should not the newspapers have two pages of supplement—for the Lok Sabha and the Rajya Sabha when the Session is on so that, at least, what the Members speak is reported in the newspapers?

Sir, there was a time, I am sure, when you were a Member of Parliament, when you spoke in the House, the newspapers had reported it. Today, the newspapers say something. The Members of Parliament refer to it in the House. Fine. Newspapers have adopted a very good attitude of investigative journalism. But I feel that when they raise issues in newspapers and we refer to them in the House, at least what has been raised in the. House and the response of the Government should be reported in the newspapers. Nothing comes. Nothing is reported even in the Government media. It is neither on the television nor on the radio.

We are lucky that this six-day session is being transmitted. Simultaneously two channels are transmitting the proceedings of both Rajya Sabha and the Lok Sabha. I do not know how many people have seen it, but I am quite sure that many would have seen it. Many people are going to make comments, good or bad. At least they know that their representatives are doing something, that they are speaking something and that they are contributing something towards our democracy.

Today we are concluding this session. I am very happy that under your Chairmanship we will be passing the Resolution. Standing over here and speaking in this Special Session on the eve of completion of 50 years of India's Independence, the Golden Jubilee, I find myself a privileged and proud person. But sometimes I feel that we have lost our direction somewhere and that we have lost our priority. When I go out in Delhi, I see at every circle at least SO banners announcing "SO Years of India's Independence." I see on every bus and every Government vehicle a beautifully printed *Tiranga Jhanda* or a design of the tricolour Flag. I see in every newspaper beautiful smiling faces of my colleagues from this House and the other House. I feel very happy about it. I see hundreds and thousands of posters pasted around in cities, not only in Delhi but in every other place. I see very much expensive booklets being printed. I do not know how many hundreds or thousands or crores of rupees has been allocated for this Celebration. It is fine.

When our freedom fighters were fighting the battle of freedom, they did not fight it with money. They had no money. I remember in my house there used to be a little *ghada.* Both times, when my mother was asking our cook to make *rotis,* she was saying, "Take one *muthi* of *atts* and put it into the *ghada."* That was collected by people for fighting the freedom struggle. That is how the freedom struggle was fought, not with money.

I sometimes feel that we have lost our direction. I feel that we have spent a lot on this Celebration. Each banner's cloth could have covered the *nangi* body, naked body, of a little child in a slum. All the paper which is being used for the posters and the very expensive stationery could have been used to give to school children somewhere exercise books with a stamp of 50 years of India's Independence, and they could have said, "yes, we have completed 50 years of our Independence. We got these note-books in which we can write and remember it." With one shower, all these posters are going to be thrown away, blown away, in the sand or dust. With all the money we are spending, could we not have many hospitals? Mrs. Renuka Chowdhury is crying for then. Instead of having *chira-gan* in all our important cities, could we not have opened one school in the name of 50 years of our Independence? These are the questions we have to address ourselves.

Okay, we are spending our time over here in the House. We are going to celebrate it for the whole year. But what are we going to do in real sense up to 2045? We may not be here by then. Maybe, our progenies will sit over here. Are we going to leave something for them? This is the question. As our forefathers did it, as our freedom fighters did it, I have a great hope that we can also do it. But there is the question of direction. There is the question of determination. There is the question of commitment.

I feel that when we pass this Resolution over here, it should not be just words. It should not be just signatures-There should be our commitment along with it. Then, I am sure we will be able to say something. Then, we will bow our head, not in shame before our leaders, but in respect before our leaders who laid down their lives for the freedom of the country.

Thank you, Sir giving me this opportunity.

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): सभापति जी, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने आज मुझे फिर से बोलने का मौका दिया हैं। दो दिन पहले जब यहां डिबेट चल रही थी हिन्दुस्तान की विदेश नीति के मुताल्लिक,जिन हालात में हमने विदेश नीति बनाई थी तो हिन्दुस्तान का ताल्लुक उस संसार से था और आज है तो मैंने उस वक्त किसी हद तक अपने नुक्त-ए-नजर को आपके सामने रखा था। आज यह मेरा सौभाग्य हैं कि आपने मुझे फिर से मौका दिया हैं यहां आने की बात करने का लेकिन बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह हैं कि मैं आपको और आपके नाते इस सारे सदन को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात की कि हमने पिछले एक हफ्ता खासकर के यहां भी और दूसरे हाउस में भी, हम सब ने बैठकर के, मिलकर के अपनी रोजमर्रा की बातों से ऊपर उठकर के पार्टी मवाद से पार्टी के हितों से ऊपर उठकर के हमने अपने देश के ऊपर एक नजर डाली हैं। उन चीजों पर नजर डाली हैं जो हमने 50 वर्षो में उपलब्धियां हासिल की हैं, उन चीजों पर नजर डाली हैं जिनके मुताल्लिक हमारा ख्याल था कि शायद हम जिक्र कर पाते तो अच्छा होता और यह मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी मुल्क, कोई भी देश,कोई भी कौम जिसमें यह हिम्मत हो कि वह इस तरह से अपने अन्दर झांक सके, अपने दामन के अन्दर मुंह डालकर के अपने आप से पूछ सके कि मैंने क्या दिया है, मैने क्या लिया है, मैंने क्या पाया हैं, मैंने क्या खोया हैं? चाहे बात व्यक्ति की हो, चाहे बात देश की हो, यह उस वक्त एक हिम्मत बहुत कम लोगों में होती हैं। मुझे खुशी इस बात की हैं कि यहां भी मैंने जब बैठकर के बातें सुनी और दूसरे सदन में भी, तो मुझे इस बात की एक नई किस्म की रोशनी मिली कि हम लोग किस तरह आज भी उस स्प्रिट में, जिस स्प्रिट में आजादी का संघर्ष लड़ा गया था, हम अपने आप से ऊपर उठ सकते हैं। उठने के साथ-साथ हमने मुल्क में उन चीजों की तरफ गौर किया, उन हालात पर गौर किया, जिन हालात में मुल्क ने एक संघर्ष लड़ा था बहुत बड़े साम्राज्य के खिलाफ। एक ऐसा संघर्ष जो दुनिया में अपनी किस्म का एक नया संघर्ष था। उसमें गांधी जी का नेतृत्व था, गांधी जी की सोच थी, उन्होंने दुनिया को एक नया रूप दे दिया। मैने उस दिन भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं और यह मैंने 15 अगस्त को भी कहा था कि आजादी हमको किसी ने दी नहीं थी, हमने ली थी अपवने संघर्ष से, अपनी हिम्मत से, अपनी कुर्बानियों से और उन लोगों के खासकर योगदान से जो अपनी जान पर खेल गए और मुल्क को आजाद करवाया। मुझे खुशी है कि आज हम सब बैठकर के उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

सभापति जी, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं आपको और स्पीकर साहब को,इस सदन को और उस सदन को कि यह नई किस्म का दृश्य हमने पिछले एक हफ्ते में देखा हैं। अगर यह एक बुनियाद बन जाए हमारे आगे के सोचने की, तो इससे बहुत फायदा देश को भी हो सकता हैं और इसको हम अपवने आप खुद महसूस कर रहे हैं। कुछ बातें तो हमें इसमें आम सदन की बातें मिलीं थीं कि हमें अपने रोजमर्रा के व्यवहार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो ठीक है, अच्छा है वह तो करना ही चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात यह भी थी कि हमने अपनी पालिसियां कैसे बनाई, किन चीजों की बुनियाद के ऊपर पालिसियां बनाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम पालिसियों को नई बनाने की बात सोचते हैं तो हमे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस चीज को हिन्दुस्तान कहते हैं, हिन्दुस्तान है क्या? कई दफा कई लोगों ने कहा था जब देश आजाद हुआ था कि यह मुल्क बहुत दिन टिकने वाला नही हैं। टिकने वाला इसलिए नहीं है कि यहां भांति-भांति की बोलियां हैं,और कोई चावल खाता हैं, कोई धोती पहनता है, कोई पायजामा पहनता हैं। यं लोग कैसे इकट्ठे किया, सभापति जी, आप तो गांधी जी को मुझसे ज्यादा बेहतर पढ़े हुए हैं,वह यह कि गांधी जी ने हमको एक ही बात समझाई, वह यह है कि हमारी विभिन्नता में एकता हैं। हम अलग-अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग-अलग भाषा बोल सकते हैं, अलग-अलग तरीके से रह सकते हैं, अलग-अलग प्रदेशों में बसते हैं लेकिन, फिर भी यह एक मोती हैं, एक लड़ी हैं जो हमको हार बना देती हैं। और वह हार जब बन गया तो फिर देश के सामने कोई रास्ता मुश्किल नहीं रहा, चुनौती आज भी वही हैं। एक बात ध्यान में रखनी है जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस सदन में कहा था और यहा भी कहना चाहता हूं- यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसे हम हिन्दी में कहते हैं विभिन्नताओं में एकता। उसको भी यह मत बताने की कोशिश करें हम आने वाले दिनों में कि हम यूनिफारमिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सोचें कि सब लोग एक ही भाषा बोलने लग जायें, सब लोग एक तरह से रहने लग

जायें सब लोग एक ही पार्टी की तरह सोचने लग जायें तो वह दिन इस देश के लिए बड़ा बद-किस्मती का दिन होगा जिस दिन हम यूनिफारमिटी की बात करेंगे। यह देश इकट्ठा रह पायेगा उस दिन तक जिस दिन तक हम यूनिफोर्म डायवर्सिटीज और उसकी यूनिफोर्मिटी को हम इज्जत की निगाह से देखते रहेंगे। जब हम ये छोड़ देंगे कभी बदकिस्मती से तो वह युग हमको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आज जो हमने यहां बात की, सबसे बड़ी बात यही की। जब मैं बात करता हूं तो मुझे हमेशा इकबाल का शेर याद रहता हैं किः

यनानों मिश्र रोमा सब मिट गए हैं जहां से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

क्या बात हैं? इस बात पर गौर करना हम सबके लिए जरूरी हैं। उस बात के कई रूप हैं, कई रंग हैं। एक बात तो यह है कि हमारी पुरानी संस्कृति के साथ हमारे रिश्ते हैं। उसकी मिट्टी में हमारे पांव बसे हैं। वह हमारे खून का हिस्सा है, हमारी हड्डी का हिस्सा हैं, उसको हम मानकर चलते हैं। उसके ऊपर अपनी संस्कृति के आधार के ऊपर हम आज के युग को भी बनाते हैं लेकिन एक बात और है कि हर वक्त हर दौर मे, हमने जब कभी कहा कि हमने अपने अंदर एक नए किस्म की ताकत पाई, वह वह था कि कांटीन्युटी और चेंज दोनों को मिलाकर चला जाए। समाज को पुराना भी रखना है, आधुनिक भी बनाना है। आधुनिकता का चेलेन्ज हमेशा हर वक्त समाज के सामने रहता है। इसीलिए दूसरी बात जिसने हमको कभी फायदा दिया है यह थी कि जैसे मैंने पहले दिन भी यहां बात की थी कि बाहर के जितने भी कल्चर आए, जितनी भी भाषाएं आई उनको हमने अपने अंदर समाया हैं हमने उनसे सीखा है। हिन्दी और उर्दू कोई पुरानी भाषा नहीं हैं इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की पुरानी भाषा तो पाली थी, इस मुल्क की पुरानी भाषा तो मगधी थी, ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी। हिन्दी और उर्दू कहां से पैदा हुई? ये उस वक्त पैदा हो गई जब यहां पर एक सोचकर आया था जिसका नाम अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो का एक श्लोक हमेशा मेरे ध्यान में रहता हैं। उसने कहा था कि तुर्क आ रहे थे, मुगल आ रहे थे इस मुल्क के अंदर। वे अपनी बोली बोलते थे। कोई फारसी बोलता था, कोई तुर्की बोलता था और यहां दिल्ली के आसपास रहने वाले हम लोग खड़ी बोली बोलते थे, जो आज भी हरियाणा में बोली जाती हैं तो उसने उस वक्त पर्शियन में शेर कहा था-

जुबाने यार मन तुर्की,
नमीदान नमीदानम।

मेरे दोस्त की जुबान तो तुर्की हैं और मुझे आती नहीं हैं तुर्की। तुर्की बोलने वाले को खड़ी बोली नहीं आती थी, खड़ी बोली बोलने वाले को तुर्की नहीं आती थी, मिलन पैदा हुआ, उर्दू पैदा हो गई। जब दरबार पहुंचा आगरे में तो आगरे में ब्रज भाषा बोली जाती थी। फिर वही बात नमीदान नमीदान, मुझे आती नहीं है क्या करूं। ये डायलेमा था, उस डायलेमा में एक नई भाषा पैदा हुई जिसे हम हिंदी कहते हैं। हिन्दी और उर्दू इस मुल्क की पुरानी भाषाएं नहीं है, हिन्दी और उर्दू इस देश के धर्म की भाषाएं नहीं हैं। हमारा कोई धर्म ग्रन्थ न हिन्दी में लिखा गया और न उर्दू में लिखा गया। धर्म ग्रन्थ हमारे और भाषाओं में लिखे गये थे लेकिन फिर भी चलित बोलियां बनी, लोगों ने अपनाया उनको। आपस में बात करने से एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। उस संस्कृति को आप मुस्तरका तहजीब कहिए उर्दू मे, उसे आप गंगा जमनी की तहजीब कहिए। उसमें क्या थी सबसे बड़ी बात? सबसे बड़ी बात यही थी कि रिश्तों को जोड़ना, सीखना, सिखाना। हमारे यहां सितार नहीं थे। अमीर खुसरो ने सितार बना दिया। हमारे यहां तबला नहीं था, ढोलक को काटकर तबला बना दिया गया। उनको हम छोड़, दें क्या? वे हमारी तहजीब का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्स है। तबले पर जब थाप पड़ती है तो हिन्दुस्तान की उस एकता पर थाप पड़ती है जिसमें ये हिम्मत है कि बाहर से जो ट्रेंड आता है उसको छोड़े नहीं। और जब सितार की सैर निकलती है तो फिर वही मधुर वाणी सामने आती है जिसने हिन्दुस्तान को सिखाया हमेशा, सीखो, अपनाओ, अपने अंदर डाल लो, डालकर उसको एक नया रूप दे दो, उस नए रूप का नाम हिन्दुस्तानियत है। इसी हिन्दुस्तानियत के नाते गांधी जी ने हमेशा ये बात कही थी कि हिन्दुस्तानियत को अपनाओ, डायवर्सिटी को अपनाओं और उन तहजीबों की इज्जत करना सीखो जो आपसे मुखतलिफ हैं। उनकी तरफ एक नजर भी उठाओ। हमारे यहां तो कई लोग पैदा हुए, बुद्ध भगवान से लेकर गुरूनानक तक। क्या बात थी सब एक बात सांझी थी वही ह्ययुमिन्जिम। वह मैसेज एक ही था, गांधी जी का वही था, गुरू नानक देव का वही था, एक बार, बुद्ध का वही था, बुनियादी बात वही थी, जिसमे ये-ये बातें चलती रही हमेशा। जब मैं स्कूल मे पढ़ता था आपको शायद याद होगा कि सुबह-सुबह जो गीत गाया जाया करत था, वह यह था-

मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है
नानक ने जिस चमन में वादत का गीत गाया,
मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है।

लंबा गीत था। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चुनौति हमारे सामने है कि उस एकता को नये रूप में देख पा सकते हैं या नहीं देख पा सकते हैं। अगर देख पायेंगे तो इस मुल्क का भविष्य बड़ा सुन्दर हैं। नहीं देख पायेंगे तो फिर असलियत आंख से ओझल हो जाएगी और जब ओझल होगी तो फिर मुश्किल में पड़ जायेंगे। यही मुल्क है और यह इसकी मिट्टी हैं। इसी में से हमेशा फूल निकलते रहे हैं और निकलेंगे और मेरा यह पूरा विश्वास है कि कोई ऐसा युग नहीं आएगा जब इस मिट्टी से फूल नहीं खिलेंगे। अकबर ने एक योर कहा था किः

नए अंतर नहीं आते चमन में गुल खिलाने को,
वहीं मिट्टी संवरती हैं, वहीं जरें उभरते हैं।

जो भाई उर्दू न जानते हों मैं उनको अंग्रेजी में बता दूं कि New elements never come from outside to make flowers grow. It is the same dust, it is the same element, you just reshuffle them and flowers come. It is a reshuffle of these things — that is the challenge before us. How do we reshuffle them? Reshuffle the polity of this nation, reshuffle the thinking of the nation, reshuffle the entire commitment of this nation so that new flowers emerge out of this.

Then, the other challenge has come before us. As the world has progressed — I am not going to repeat what I had spoken here earlier what are the bases on which our foreign policy stands — new challenges have come before us.

मैं इसकी बात नहीं करूंगा। मैं बात सिर्फ यह करूंगा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैजेंज, खासकर ठंडी जंग खत्म होने के बाद, जो आया है वह साइंस और टेक्रालाजी के युग का है। साइंस और टेक्रालाजी युग के साथ हमारा क्या रिश्ता हैं? साइंस और टेक्रालाजी दो तरह की होती हैं। एक तो हम यह फैसला करें कि देश और कौम इस युग की पहली सीढ़ी पर खड़े हैं या आखिरी सीढ़ी में खड़े हैं। यह बड़ा आसान है कि हम अपने वहां एक बात का फैसला कर लें कि हमें सिर्फ कार बनानी ही नहीं, कार कास इस्तेमाल भी करना हैं। नईपाल ने एक किताब लिखी है और नईपाल ने उस किताब में लिखा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह जो सिर्फ रिटयारिंग हवील पर बैठकर कार चलाना जानते हैं। ये कभी आगे नहीं बढ़ते। दूसरे वह होते हैं जो कार बनाना जानते हैं और

एक वह होते हैं जो कार की मरम्मत करना जानते हैं। मरम्मत वाला आगे नहीं बढ़ता। आगे वह बढ़ता हैं जिनको कार बनाना आता हैं; जो नो-हाऊ से नोब्हाई तक चले जाते हैं। हिन्दुस्तान में टेक्रालाजी का जो युग आ रहा हैं वह ये दरवाजे खोल रहा हैं। हम नो-ब्हाई नहीं जा रहे हैं यह हमारे लिए फख्र की बात हैं। जब मैं कहता हूं दुनिया के अंदर हिन्दुस्तान के नये ख्यालात, नई सोच, नये इन्वेंशन, नई टेक्रालाजी के साथ रिश्ते जुड़ रहे हैं वही यह बात भी हैं कि यहां बह् लोभ पैदा हो गए हैं जो हमको टेक्रालॉजी के युग में तेजी से ले गए हैं। मेरे दोस्त ने जब वहां यह बात की थी तो मैं उनका भाषण अपने कमेरे में सुन रहा था। उन्होंने वही कहा था कि हमारे साइंस-दां और हमारे जजुर्बेकार लोग किस तरह हमारे लिए नये दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वह नहीं हैं। अपने मुल्क में हमने जो साइंस-दां पैदा किए हैं उन पर हमें गौरव हैं, मान हैं। हमारे लिए यह भी बड़ी बात नहीं है कि अपने मुल्क के अंदर कुछ टेक्रालाजिस्ट पैदा हुए हैं। उन पर भी हमें गौरव हैं, मान हैं। उनकी हम इज्ज्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हैं वह लक्ष्मण रेखा की हैं। कुछ लोग साइंस यंग में चले जाएं यह काफी नहीं हैं, कुछ हजार लोग साइंस युग में चले जाएं वह काफी नहीं हैं। जब तक कुल कौम इस लक्ष्मण रेखा को क्रास नहीं करती हैं, जब मैं कौम की बात करता हूं, मैं नज़मा जी बात बड़े गौर से सुन रहा था, कौम से मेरा मतलब सिर्फ पुरूषों से नहीं हैं; सिर्फ कुछ जातियों से नहीं, कौम से मेरा मतलब एक इलाका नहीं, तमाम मुल्क की आबादी जो 100 करोड़ हो जाने को तैयार हैं, उनसे हैं। आप यह सोचिए वह भविष्य का नजारा, जिस दिन यह सौ करोड़ की आबादी, महिलाओं के समेत उस नए युग में कहते हैं और फिर हमारे पावं मजबूत होंगे। हमारी संस्कृति में हमारे पावं मजबूत हों, जिन परम्पराओं की हम इज्जत करते हैं उनके साथ हमारा जेहन साइंस-दांओं में चला जाए, वह हमारा भविष्य हैं। आज हिन्दुस्तान के दरवाजे पर ग्रेटनेस दस्तक दे रही हैं। उस दरवाजे को हम खोल पायेंगे या नहीं यह सबसे बड़ी बात हैं। इस दहलीज का हम उल्लंघन कर पायेंगे या नहीं यह सबसे बड़ी बात हैं। अगर यह कर पायेंगे तो फिर दर्जा मिल जाएगा। महिलाओं को काई दर्जा दे नहीं सकता। महिलाओं को दर्जा दिए बिना यह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और महिलाओं का संघर्ष महिलाओं का नहीं हैं, यह संघर्ष देश का हैं, हम सब का हैं और हम कोई महिला को दान नहीं देते हैं, न महिला पर तरस खाते हैं, जब यह कहते हैं कि महिला

को उसका दर्जा मिलना चाहिये। यह सवाल नहीं हैं, सवाल बुनियादी हैं, क्या आधी आबादी को छोड़ कर, बाकी आधी आबादी आगे बढ़ सकती हैं, चाहे वह किसी श्रेणी की हो, चाहे किसी जाति की हो, क्या कोई बहाना डाल कर हम आधी आबादी का अंधेरे के युग में छोड़ जाएंगे, क्या जो बाकी आधे हैं, वह देख पाएंगे, नहीं देख नहीं पाएंगे, उनको नज़र आएगा नहीं, भविष्य नज़र नहीं आएगा, जब तक नज़र नहीं आएगा। मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आज हम बात भविष्य की कर रहे हैं। पिछली बातों पर हमें गर्व हैं, मान हैं। पिछले पांच दिनों में सभी भाइयों ने उन कुर्बानियों की बातें भी कीं और उन महापुरूषों को याद भी किया हैं जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दी,सिर दिये। उनके सामने हमरा सिर झुकता हैं। लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर एक कर्ज़ा छोड़ा हैं। क्या उस कर्जे को हम निपटा पाएंगे या नहीं? कर्जा वही हैं, भविष्य। जब मैं छोटा था तब मुझे एक बात सुनाई जाया करती थी कि जब कोई उस्ताद, कोई, टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो उसके ऊपर एक कर्जा डालता हैं और कर्जा बच्चा उस वक्त उतारता है जब वह आगे वाली पीढ़ी को पढ़ाता हैं। यही बात बिल्कुल आज हैं। हमने वह कर्जा जो हमारे ऊपर छोड़ गए, जो कुर्बानी कर गये, उनके कर्जे को उतारने का सिर्फ एक ही रूप हैं, हमारा भविष्य के साथ क्या रिश्ता हैं। भविष्य यह नहीं कि हम यहीं खड़े रहें, भविष्य यह नहीं कि इस मुल्क में 50-60 परसेंट आबादी गरीबी में डुबी रहे, भविष्य वह नहीं बनेगा जिसमें मैंने महिला की बात की, भविष्य वह नहीं बनेगा जिसमें घर में बच्ची पैदा हो जाए तो उस वक्त घर में शोक मनाया जाए, भविष्य वह नहीं बनेगा जैसे पिछड़ी जाति के वह लोग जिनको सदियों तक लताड़ा गया हैं, उनको डियु नहीं मिले, भविष्य इससे नहीं बनेगा, चाहे हम जितने मर्ज़ी वायदे करते रहे लेकिन एक बात हमको करनी पड़ेगी वह यह कि पॉलिसी जब हम बनाएं, सरकारें तो बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं, जब बनाएं तो दो बातों का ध्यान में रख कर बनाएं। एक बात हम करते हैं सोशल जस्टिस की लेकिन साथ-साथ बात करनी पड़ेगी हमारी एजुकेशन पॉलिसी हो, हमारी सोशल पॉलिसी हो, हमारी पोलिटिकल पॉलिसी हो, कोई पॉलिसी हो, उसका साइंस और टेक्नालोजी से क्या रिश्ता हैं, क्या जब बच्चा पढ़ कर निकलता हैं स्कूल में या अपनी जमात में सबक सीख कर आता हैं तो उसके दिमाग में खुलापन आता हैं या घुटन पैदा होती हैं? खुलापन तब जाता हैं जब बच्चे के दिमाग में क्युरियोसिटी पैदा होती हैं। एजुकेशन का सिर्फ एक परपज़ हैं how to make the mind curious. जिस तालीम ने, जिस विद्या ने बच्चे के माइंड को क्युरियस बना दिया, वह कामयाब हो गया। जिसने उसको अंधेरे में, अंधविश्वास में रखा, जिसने उसको इस बात पर रखा कि सवाल मत पूछो, जिस मां-बाप ने बच्चे को झिड़क कर बैठा दिया, फिर बताएंगे, वह बच्चा कभी आगे नहीं ढ़त हैं, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ता। मैंने 15 अगस्त को भी यह बात याद कराई थी आज फिर कहना चाहता हूं कि हमारी तो पुरानी परंपरा हैं। बुद्ध भगवान ने क्या समझाया था? बुद्ध ने कहा था, वह पहला आदमी होगा मेरे ख्याल में इस दुनियां के अन्दर, 2500-3000 साल पहले जिसने यह कहा था। "Don't bclicve it because I say so." इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, इसलिए मत मानों कि यह पुस्तक में लिखा हैं, इसलिए मत मानों कि मुझे किसी ने यह कहा हैं, क्वेश्चन करो, सवाल करो। जब सवाल करते हैं तभी साइंटिफिक टेंपर पैदा होता हैं और जब साइंटिफिक टेंपर पैदा होता हैं, क्युरियोसिटी पैदा होती हैं तो उससे देश के ज़हन के दर खुलते हैं, एक नयी रोशनी आती हैं। जब तक देश के अन्दर वातावरण साइंस का न हो, देश के अन्द आप अंध-विश्वास का वातावरण रखें, दकियानूसियत का वातावरण रखें, ओबस्क्युरिटिज्म की परंपराएं अपने मुल्क में रखें, कोई आदमी सेटेलाइट में चला भी जाए तो कोई फायदा नहीं। वह तो एक आदमी की पहुंच होगी। देश की पहुंच नहीं होगी। इसलिए सब से बड़ा सवाल हमारे सामने सही है कि इस नये युग में हम दकियानूसियत के साथ कैसे लड़े, ओबस्क्युरिटिज्म के साथ कैसे लड़े, अंधविश्वास के साथ कैसे लड़े, मैं यह नहीं कहता कि हम को धर्मो पर विश्वास नहीं होना चाहिए, मैं यह नहीं कहता कि हमको अपने अकीदे में विश्वास में नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दकियानूसियत कोई धर्म नहीं सिखाता, हर धर्म दिमाग खोलता है, हर धर्म दिमाग में नई रोशनी देता है और जो लोग यह नहीं समझते वह अपने धर्म का पूरा पालन नहीं करते। इसलिए मैं यह मानकर चलता हूं कि सबसे बड़ी जो हमारे सामने परम्परा है वह यही हैं कि किसी तरह हम अपने मुल्क के अंदर इस किस्म की पालिसियां बना पाएं। मेरे बगल में मेरे दोस्त बैठे हैं। इन्फारमेशन ब्राडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। इनसे मैं पूछता हूं अक्सर, प्रायवेट में भी, आज पब्लिकली पूछ रहा हूं इन्फारमेशन ब्राडकास्टिंग की पॉलिसी अन्धविश्वास की तरफ ले जा रही है कि साइटिफिक टेम्पर की तरह ले जा रही हैं। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं और मैं जब कभी देखता हूं, मेरा भी इस महकमे से ताल्लुक था कुछ दिन पहले और वह मैंने इनसे कई दफा सवाल किया है कि जो सीरियल्स दिखाए जाते हैं वे अन्धविश्वास पैदा करते हैं, वे एक

करिश्मास्पाजी पैदा करते हैं, एक मिरेकिल्स पैदा करते हैं, कि एक सोच पैदा करते हैं बच्चे के लिए जो देख रहा हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। वह जो देखता है हमारी साइंस की पालिसी को एक तरफ तो मैं भाषण दे रहा हूं साइंटिफिक टेम्पर की और दूसरी तरफ शाम को वह टी0वी0 देखता है, न जाने मुझ पर विश्वास करता है कि उसमें विश्वास करता हैं और यही सबसे बड़ी बात हैं। यही बात सबसे बड़ी तालीम में आती हैं। स्कूल में पढ़कर आता है बच्चा। क्या पढ़कर आता हैं स्कूल में? हमारे जमाने में – हम तो बड़े मामूली स्कूलों में पढ़े हुए हैं, न कोई उस्ताद थे न कोई बैठने को बेंच था जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। लेकिन मैं यह नहीं कहता तालीम अच्छी थी। तालीम में भी दकियानूसियत थी। कुछ समझाया नहीं जाता था। यही कि मां कसीदा कर रही हैं, बाप हुक्का पी रहा हैं। यही पढ़ते थे ना आप भी। यही मैं भी पढ़ता था। आज वह करेंगे अगर फिर से ते हमारा भविष्य के साथ वायदस, वचन कभी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं बच्चा 5 साल से ये सवाल करे। मेरा एक पोता अमेरिका में रहता है क्योंकि मेरा लड़का वहां रहता हैं। वह जब कभी आता हैं तो मैं कम्पेयर करता हूं। वह जो सवाल मुझसे पूछता हैं और जो सवाल मेरी यहां पोती पूछती है जो यहां रहती हैं- जमीन आसमान का फर्क मुझे नजर आता हैं। इसीलिए यह बुनियादी बात हैं। मैं इसलिए नहीं कहता कि अमेरिका अच्छा है या यह भी नहीं कहता कि हम बुरे हैं। लेकिन मैं यह सवाल करता हूं कि जो एजुकेशन पालिसी हम बनाएंगे और जो कल्चरल पालिसी हम बनाएंगे, चाहे बात कल्चर पालिसी की हो चाहे बात इन्फारमेशन ब्राडकास्टिंग की पालिसी की हो, चाहे बात हो आर्थिक पालिसी बनाने की – यहां आर्थिक पालिसी पर बहस होती रही है बहुत दिनों तक, आर्थिक पालिसी के कई रूप हैं, कई रंग हैं, कई बातें हम रोज करते रहते हैं, मैं वह दोहराऊंगा नहीं। मैं इस बात पर भी नहीं जाउंगा कि हमारी आर्थिक पालिसियां ठीक हैं या गलत हैं। वह तो बहस करने का मौका हमको अक्सर मिलता रहा हैं, मिलता रहेगा भी लेकिन सबसे बड़ी बात यह हैं कि क्या कोई आर्थिक पालिसी हमारी कामयाब हो सकती हैं जिसमें कुल देश साथ न चल सकता हो और वह देश वह जो अन्धविश्वास से निकल चुका हो, वह देश जो इनपुट देता हो उन आर्थिक पालिसियों को ताकि वे आर्थिक पालिसियां और आगे कामयाब हों।

मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारा इतिहास पुराना हैं। संस्कृतियां पुरानी वह तो

हमने सब निपट ली हैं। इसलिए मैं उसके मुताल्लिक आपका टाइप नहीं लूंगा। एक ही बात कहूंगा। वह यह कि एक बात हमने सीखी हमेशा और मैंने पहले दिन भी यहां कहा था कि हिंदुस्तान में दो तरह की पालिसियां चलर हैं। एक पालिसी हमेशा चली न सिर्फ उस वक्त जब हम आजाद हुए, न सिर्फ उस वक्त जब हम संघर्ष लड़ रहे थे, बल्कि पुराने युगों से, वह यह कि जैसे मैंने जिक्र किया कि जो चीज अच्छी नजर आए उसको समा लेना, जो न नजर आए उसको रिजेक्ट कर देना। जिस देश में, जिस व्यक्ति में, जिस कौम में यह हिम्मत पैदा हो जाए असीमिलेशन और रिजेक्शन दोनों फैकल्टीज पैदा हो जाएं वह देश आगे बढ़ जाता हैं। इसलिए हमको भी इस तरफ ध्यान देना करना हैं कि असीमलेट हम क्या करें, छोड़े हम क्या। साइंस टेक्रालाजी को असीमिलेट करें, जरूरी हैं। उसको नया रूप दें, जरूरी हैं। उसको अपने घरों में लाएं, जरूरी हैं। घरों में लाएं इसलिए नहीं कि सिर्फ बिजली का चूल्हा गर्म होना चाहिए, इसलिए नहीं कि बिजली का बल्ब जलना चाहिए। इसलिए भी जरूरी है कि हम लोग- अनपढ़ता दूर करने में यह नयी किस्म की पढ़ी लिखी कौम क्या पैदा करती हैं।

अनपढ़ता को दूर करना हैं। मैंने बहुत जोर दिया और आज भी देता हूं। जब तक मुल्क में 60 परसेंट 65 परसेंट, 50 परसेंट, जो भी कहिए अनपढ़ता है जब तक देश तरक्की नहीं कर सकता हैं। अनपढ़ता का मतलब सिर्फ "क", "ख", "ग" पढ़ना नहीं, उससे भी आगे हैं। जरा उससे आगे है तो कदम और आगे। सयोच क्यूरिआसिटी – और अगर हम वह पैदा करले चाहे बच्चे में हो, चाहे बूढ़े में तो फिर देश तरक्की कर पाएगा।

हमने अपनी जिंदगी में और कई चीजें सीखीं और जो चीजें सीखी हैं वे यह कि हमने अपने युग में और युगों में चैंलेंज कबूल करना सीखा। हिन्दुस्तान ने क्या किया? कैसे हिंदुस्तान आजाद हो गया। कैसे यह बहुत बड़ी इम्पायर गिर गयी। एक शक्ति अन्दर से पैदा हुई और शायद उसके लिए हम दाद दें, गांधीजी को तो, अपने उन नेताओं को दें जिन्होंने कुरबानी की, कि उन्होंने हमारे अन्दर नया यन्त्र, एक नया डिटरमिनेशन पैदा कर दिया। डिटरमिनेशन से कौम आगे बढ़ जाती हैं और वही डिटरमिनेशन आज फिर पैदा करने की जरूरत हैं।

5.00 P.M.

जवाहर लाल जी ने जेल के एक सैल के अंदर बैठकर, कोई रेफ्रेंस बुक बिना "डिस्कव्री ऑफ् इंडिया" लिखी। उनका अपना स्कॉलरली एचीवमेंट तो हैं ही,

लेकिन वह डिस्कवरी हमारे लिए भी जरूरी हैं। हमको भी हर युग में इंडिया को डिस्कवर करना पड़ेगा। हमको भी आज फिर हिन्दुस्तान को डिस्कवर करना पड़ेगा। ठीक हैं, पुरानी परंपराओं को भी डिस्कवर करिए, लेकिन आज के युग में डिस्कवर करिए। उसमें क्या त्रुटियां हैं, उसमें क्या उपलब्धियां हैं, कहां ऊपर गए, कहां नीचे गए और इस डिबेट का सब से बड़ा फायदा यह हुआ कि हमने पहली दफा अपने आपको डिस्कवर करने की कोशिश की, अपने आपको री-डिफाइन करने की कोशिश की, किस हद तक हम कामयाब हुए यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस एफर्ट को, इस हिम्म को जरूर दाद देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में एक और बात भी हमेशा रही हैं और वह यह रही है कि हमने हमेशा-हमेशा से यह किया हैं कि हमने हर युग में आगे देखा और कभी हमारा अंधेरे का युग भी आ गया जैसे उस वक्त आया जब अंगेजो का राज आ गया तो उस वक्त भी हमने एसिमिलेट करने की कोशिश की हैं। हमने अंग्रेजी भाषा को कभी रिजेक्ट नहीं किया, हमने इंपीरियलिज्म को रिजेक्ट किया। अंग्रेजी भाषा ने हमारे लिए कुछ दरवाजे खोले थे। हमने अपनाया। हमने स्टीम इंजन को रिजैक्ट नहीं किया, हमने उसको रेलवे को ओन किया, टेक्रोलोजी को ओन किया है, उसके मालिकों को हटाया हैं। मालिकियत का एक युग बन रहा हैं और सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने यही हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने 15 अगस्त के भाषण में बात की थी। मैंने यह कहा था कि आज जो करप्शन का युग हमारे ऊपर छा गया हैं, उसको हम किसी न किसी तरह खत्म करें और मैने लफ़्ज सत्याग्रह इस्तेमाल किया था। कुछ मेरे भाइयों ने यहां भी और उस सदन में भी सत्याग्रह की परिभाषा पर एतराज किया हैं। सत्याग्रह क्या था? मैं तो खैर कुछ दृष्टि से आपकी तरह अध्यक्ष जी उस पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने स्ट्रगेल को नज़दीक से देखा हैं। सत्याग्रह बुनियादी तौर से अगर आप उसको लें "डिफायंस" हिम्मत से खड़े हो कर डिफाई करें। डिफाई करेंगे तो फिर से उसमें नया युग बनेगा। डिफाई में कुर्बानी करनी पड़ेगी। डिफाई में भगत सिंह को फांसी लेनी पड़ी। डिफाई में जलियांवाला बाग हुआ था। जलियांवाला बाग क्या था? अंगेज ने कहा था कि मीटिंग मत करो। हमने कहा कि करेंगे। गोली चल गई। हजारों लोग मर गए, डिफायंस। जब कभी मुल्क में आए, डिफाई करें। यह सत्याग्रह मैंने इस बात को कहा था और भी यह कहता हूं कि जब तक इस करप्शन के खिलाफ डिफायंस नहीं करेंगे, और डिफायंस हर जगह मिनिस्टर करप्ट हो डिफाई करिए, छोटा आदमी करप्ट हो डिफाई करिए। डिफाई का मतलब एक्सपोज़र भी हैं। डिफाई का मतलब उसके कपड़े उतारना भी हैं। कोई भी आदमी हो, चाहे वह किसी भी पदवी परद बैठा हो, यहां बैठा हो या वहां बैठा हों, बाहर बैठा हो या कहीं और बेठा हो, अगर वह एक किस्म का देशद्रोह करता हैं, क्योंकि करप्शन को मैं देशद्रोह मानता हूं तो उसको डिफाई करना हम सब का फर्ज लैं। इसी का नाम सत्याग्रह हैं। सत्याग्रह गांधी जी ने उस वक्त कैसे कर दिया था जब उन्होंने कहा था शैडयूल्ड कास्ट्स, हरिजनों को मुदिरों में जाने दिया जाए, क्योंकर ऐसे ही उन्होंने मरणव्रत रख लिया था? प्रोटैट करने का उनका अपना ढंगा था। प्रोटैक्ट करने के ढंग हर वक्त अपने-अपने होते हैं। वही पुराने ढंग इस्तेमाल नहीं किए जाते जो कॉफी करता हैं वह ओरिजनल नहीं होता। ओरिजनल वह होता है जो नई चीज़ में, नई सिचुएशन में नई इंटरप्रेटेशन देता हैं पुरानी परिभाषा को। गांधी जी में यही ओरिजनैलिटी थी। हमारे देश के अंदर धर्म की बात तो पुरानी थी, उन्होंने धर्म की परिभाषा बदल दी थी। सत्याग्रह हमारे देश में पुराना हो गया आज के युग में उसकी परिभाषा बदल गई हैं। अगर हम परिभाषा बदल लेंगे तो फिर हम एक नई तरफ मुल्क को चला देंगे।

मैं और लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ दो-चार बातें कह कर खत्म करना चाहता हूं। क्योंकि मैं जब उस हाउस में बोल कर आ रहा था तो मैंने कहा था कि मैंने लंबी बात तो की थी उस बैकग्राउंड की, उन चीजों की जिसके साथ इस देश का ताल्लुक था और इसकी पुरानी परंपराओं का ताल्लुक था। क्योंकि वक्त की कमी थी तो वहो मैंने यह कहा था कि जो बुनियादी बातें थीं जिनके मुत्तलिक मुझे बात करनी चाहिए थी यह मैंने पेपर्ज़ तक नहीं पढ़े। अब कई बातें मैं कर सकता था, जैसे करप्शन की बात कर रहा था। करप्शन के मुत्तलिक दो-चार बातें मैं फिर से कहना चाहता हूं और वह यह कि इस मुल्क का फ्यूचर, इस मुल्क का भविष्य अंधेरे में रहेगा जब तक हम करप्शन के खिलाफ यन्त्र नहीं करेंगे। यह आराम की बात हैं कि वहां से बैठ कर आप बाल इधर फैंक दीजिए, मैं बाल को वापस कर दूं हम दोनों को दुनिया बेवकूफ समझें, दुनिया हम दोनों को यह समझे कि हम दोनों ईमानदार नहीं हैं वह अलग बात हैं और जब हम यह कंपेयर करने लग जाएं कि कौन-ज्यादा बेईमान हैं कौन बेईमान है तो बात बनेगी नहीं। अब आज तो यह खुश्किस्मती की बात कहिए या कुछ भी कहिए हां इस सदन में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं हैं जिस का किसी-न-किसी जगह राज न हो। अपने राज पर नजर कीजिए, और हर जगह, मैं फिर कहता हूं कि डिफाय करना पड़ेगा। आप यह कह सकते

हैं कि प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं हैं। बदल दीजिए क्योंकि डेमोक्रेसी हैं, लेकिन अपने-अपने चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए कि वह क्या कर रहे हैं अपवने राज्य में, अपने यहां पंचायत के मुखिया से भी बात कीजिए कि वह क्या कर रहे हैं अपने यहां? जब तक इस किस्म की एक "मास मूवमेंट" नहीं बनेगी, बात बनेगी नहीं।

मैं उस हाउस में कहा था और मैं यहां भी कहना चाहता हूं दो-तीन बातें। पंद्रह दिन पहले यह बात उस हाउस में कही गयी थी और शायद यहां भी कही गयी हो कि कुछ मुकदमें प्रोसीक्यूशन के ऐसे पड़े हों, सरकार के पास, जिनके मुत्तल्लिक अभी तक सेंक्शन नहीं दी गयी हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि जब मैंने चार्ज संभाला, 15 अगस्त के बाद, उस समय हमारे यहां 149 के करीब केसेस पड़े थे जिनके मुत्तल्लिक अभी सेंक्शन नहीं दी गयी थी। फिगर मैं करेक्ट कर सकता हूं 149 होगा या 53 होगा, उसमें कोताही नहीं समझी जाए क्योंकि मैं जल्दी से पढ़ रहा हूं। वाजनेयी ने उस हाउस में कहा था कि 149 केसेस पड़े थे। केस 157 पड़े थे। इन 157 में से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े थे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़े थे। यह वह केसेस हैं जि3नके मुत्तल्लिक सी0बी0आई0 ने परमीशन मांगी थी, प्रोसीक्यूट करने के लिए। पिछले 15 दिनों के अंदर-अंदर वह नंबर अब आधे से कम हो गया हैं और मैंने हिदायत दी हैं। कि पिछले 30 दिनों के अंदर सब केस खत्म होने चाहिए। एक भी केस किसी मिनिस्ट्री में नहीं रहना चाहिए और सब मिनिस्टर्स को मैंने कहा है कि जिस में परमीशन मांगी गई तो और और परमीशन नहीं दी गयी, किसी केस में, और कोई ऐसी वजूहात हो तो वह केस मेरे पर्सनल नोटिस में लाबा जाए ताकि मैं खुद फैसला कर सकूं कि परमीशन देने की बात हैं या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए और वह सब से जरूरी हैं कि मैंने रूल्स बदल दिए हैं। आगे से मिनिस्टर के पास भेजने की जरूरत नहीं हैं। तीन सेक्रेटरीज की कमेटी देखेगी और जब आए तो वही फैसला कर दे ताकि इस तरफ भी ध्यान रहे।

करप्शन को दूर करने के मुत्ताल्लिक दो-तीन बातें और उठाई गई हैं। एक बात उठाई गई हैं, खासकर अपराधीकरण की। इलेक्शन ककमीशन ने यह चीज उठाई हैं। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब तक इस मामले में हम लोग मोर्चा नहीं लेंगे अपराधीकरण के खिलाफ, तब तक हाउस की सेंक्टिटी का हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? ... (**व्यवधान**) ...

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया : महोदय, जैसा कि मैं आप ने करप्शन के मामले में कहा कि सेक्रेटरी लेवल की कमेटी फैसला करेगी और मिनिस्टर के पास फाइल नहीं आएगी।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : यह ठीक नहीं हैं।

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया : अभी हाल ही में जानता हूं वोहरा कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने काफी साफ शब्दों में कहा हैं ... (**व्यवधान**) ... मेरा सबमीशन सुन लें, मैं उन को एड्रेंस कर रहा हूं। सर, वोहरा वीज-आ-वी पॉलीटीसियन, क्रिमिनल वीज-आ-वी जूडिसियरी, क्रिमिनल वीज-आ-वी- ब्यूरोक्रेसी और आज जब आजादी की 50वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उस समय हम खुद निफेस कर रहे हैं कि सारे अधर्म के काम, सारे पाप के हम **करतक** हैं और सब धोए हुए तुलसी के पत्ते हैं। यह कैसे हो सकता हैं? इस पर कुछ प्रधान मंत्री जी का जवाब आना चाहिए क्यों कि इस तरह से कह देना अच्छा नहीं होगा।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी निकालना ठीक नहीं हैं।

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया : पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी निकालना नहीं हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इस का मतलब यह नहीं कि मुझे अपने मिनिस्टर्स पर या पॉलिटिसियंस पर पूरा विश्वास नहीं हैं। इसके लिए तेजी से फैसला होना चाहिए ताकि इसके टाइम फैक्टर को कट किया जा सके। आपने वोहरा कमेटी की बात की, वह चीज इस से अलग हैं। वोहरा कमेटी के मुत्तल्लिक कल ही मैंने फैसला किया है कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस सारे मामले को तफसील से देखे कि जो उस वक्त बात की गयी थी अपराधीकरण की, कि उसमें पॉलिटीशियन्स हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई और हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह हैं, उन को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएं, मैं अगले सेसन में तफसील लेकर आपके पास आऊंगा।

SHRIMATI MARGARET ALVA: Most of the delays take place because the ; bureaucrats don't clear the permission for action against their own junior colleagues. I would like you to make a study. I have known it. It is the bureaucrats at the senior level who prevent any enquiry ; into the affairs of the junior officers. It is ' not the Ministers; don't blame the Ministers.

SHRI I.K. GUJRAL: Sir, this is an issue on which I would not like to join in any debate. What was my main point? The main point is that I have given the number of cases that are pending which we have been harping on in the last fortnight. I want to finish all the pendency. That is why I have said that wherever a bureaucrat or a bureaucrats' committee want to deny permission, that case must come to me directly and that is what I am trying to say. The main point is, I am not in favour of trying to delay anything, be it a bureaucrat or be it anybody. The main point simply is this: How to expedite the process of prosecution? Of course, there is another problem that we are confronted with and that is quick trials. Judiciary takes a longer time than it should. I would not like to mention that in this House nor would it be right for me to say that here. I can only assure this House that I am trying to. ...*(Interruptions)*...

श्री मूलचन्द मीण (राजस्थान): प्रधानमंत्री जी ... (**व्यवधान**) ... मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। ... (**व्यवधान**) ... चेयरमेन सर, मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि करप्शन पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ कई प्रकार की बातें आप करते रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के जो फैसले आप जल्दी करना चाहते हैं उसके लिए आई0ए0एस0 लोगों की आपने कमेटी बनाई हैं। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ का मूल कारण अगर हैं तो आई0 ए0एस0 हैं। इसके ऊपर किस प्रकार से आप प्रतिबंध लगाएंगे?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अगर आप थोड़ा सब्र करते तो मैं आपकी बात का जवाब पहले दे चुका होता। जरा सुन लें मेरी बात को। दूसरा सवाल जो इसमें आया, वह यह कि मैंने 4 और 5 सितबर को यहां पर एक मीटिंग बलाई हैं, दो दिन के बाद, जिसमें सारे डिपार्टमेंट स्टेटस के विजलेस आफीसर्स की कान्फ्रेंस में डिसकस करने के लिए कि विजलेन्स के प्रोसेस को कैसे तेज किया जाए। सबसे बड़ी बात ट्रान्सपेरेन्सी की हैं। जब तक पूरी साफ बात सामने नहीं आ जाती, शायद आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले एच0डी0 शैरी की "टेप" की की एक कमेटी बनाई गई थीं, उसने कुछ सिफारिशें की हैं राइट आफ इंफारमेशन के लिए। वह आज करीब करीब हम तैयार कर चुके हैं। अगले सेसन में "राइट टू इंफारमेशन" बिल हम आपके सामने लाएंगे। जब तक राइट इंफारमेशन नहीं मिलती, तब तक काफी बातें आंखों से ओझल रहती हैं और छिपी रहती हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेन्सी की तरफ हम काफी करना चाहते हैं। एक बात ध्यान मे रखिए, जो हम सब करना चाहते हैं, जब तक हम इलेक्टोरल रिफार्म नही करेंगे। तब तक वह जासे जड़ हैं करप्शन की वह पूरी कटेगी नहीं। उस जड़ को काटना हैं। उसके लिए करीब-करीब बिल तैयार हो चुका हैं, लेंकिन हाऊस में लाने से पहले मेरी कोशिश यह है कि आल पार्टीज मीटिंग बुलाएं। आल पार्टीज मीटिंग में हम डिसकस कर लेंगे कि कौन कौन से इलेक्टोरल रिफार्म हमने करने हैं और कब करने हैं।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Prime Minister ... *(Interruptions)*...

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा : सर, हमें भी बहुत सी बातें कहनी हैं। या तो हम सबको बाद में बराबर टाइम दे दीजिए।

सभापति : देखिए यह, समय नहीं है सवाल करने का। ... (**व्यवधान**) ...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I want to raise one small issue... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Do it later. No more questions now.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, the Prime Minister is yielding... *(Interruptions)*...

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : सर, यह मेरे दोस्त ने लोकसभा बिल के मुतालिक पूछा हैं, मैंने ठीक से सुना नहीं। ... (**व्यवधान**) ... यह इनका था, मेरी आंख में आ गया। ... (**व्यवधान**) ... जी, अब कहिए। क्या कहा हैं?

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: When the Prime Minister is willing to hear *mc...(Interruptions)....*

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा : हमें भी पुछनी हैं बहुत सारी बातें। ... (**व्यवधान**) ...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Malhotra, you can also put a question. When the Prime Minister yields ...*(Interruptions)*... I want to know what the view of the Government is on the pending Lok Pal Bill. It was discussed thoroughly.

MR. CHAIRMAN: Wc arc not arguing on that.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Prime Minister, you have said that you arc bringing a Bill on the right to information. 1 am very happy about that. At the same time, I would like to know whether you would consider allowing the media to watch the proceedings of the Parliamentary Standing Committees also. My point is: Let Parliament be transparent first. Would the Government consider, apart from the Lok Pal Bill, allowing the media to watch the proceedings of the Standing Committees of the Parliament also?

SHRI 1.K. GUJRAL: So far as the first question is concerned. Sir, the Lok Pal Bill is already the property of the House. It has gone through the Standing Committee and 1 hope in the next session of the Parliament, the Parliament will be able to attend to it and finalise it. The Government will support it.

So far as the opening up of Standing Committees to media, etc. is concerned, that is not my area of decision. Sir, that is for you and the hon. Speaker to decide. I don't transgress into areas which do not belong to me. Give unto the Pope that which belongs to the Pope. Therefore, I would not get into that.

Sir, if I had the time, I would have talked at length about education also. I think education is not only a crucial factor in the success and development effort of integrating the human rights. The Common Minimum Programme of this Government lays great emphasis on that. In the other House I have said I am laying a policy paper on the Table of the House and I know the Members are getting impatient. Therefore, I would not take more time except to say that we have a great deal of emphasis on women's literacy—and I repeat women's literacy—and the girl-child particularly. On the 15th of August I have announced a new policy regarding the girl-child. The second of October, Gandhiji's birthday, will be the first day of its implementation and implementation would be there. We arc, therefore, very keen because unless literacy spreads widely and more so in the women's segment, our difficulties continue to be there.

Some friends had asked me about Urdu and the Gujral Committee Report that I wrote about 25 years ago. I say with regret that various Governments have not implemented it. It is receiving my attention now. I will not give details now and I will leave it at that.

I have many more issues to talk about, particularly population. Technically 1 happen to be the Cabinet Minister in-charge while my colleague—who is the *de jure* or *de facto*—is there as the Minister holding the charge. I must compliment her, she has been giving a great deal of attention to it. Therefore, she has come before the House, I hope, and projected her point of view as to what population policy we want to have. It is a wholesome policy. It covers a lot. It covers health. It covers the child. And more important, apart from this, is the concept of health for all. I hope the Minister has also told the House about that. So, I won't repeat.

I will also take two more minutes to talk about infrastructure and its development. During the last few weeks particularly, I have been paying a great deal of attention to infrastructure because I feel and I continue to believe that naturally our development will not take place unless our infrastructure improves. In the 8th Plan we had targeted, for instance, in the power sector, to generate about 40,000 MW. We fell short of it by

40%. New again we have come back to 40,440 MW. imagine for a mimic, if we had generated 40,000 MW in the M Plea, today we would have taken off to another height and would have covered something. Let HI hone we will be able to do it in nto Plan. H we arc able to generate 40,090 MW, more than 50% of it has to come in the private sector because of the investment that is called for. That is why we have now put a very dynamic Minister in-charge of that and we are trying to push it further so that setting-up of new power projects is accelerated.

We arc equally keen about roads. Now at traffic is increasing, India is in a sett of a pincers. In 1971 or 1972, the first conference was held in Stockholm to talk about envirenment. Mrs. Gandhi at that time was hading *e Indian delegation as the Prime Minister of India and I had the priviege of aeeenuaannag her as the Minister of Hooting At that tunc. Mrs. Gandhi in her very enlightened speech had said, "Poverty to die

he today. But new we are in a different situation. It to not only poverty which to a pollutant;affusace also to a pollutant. We have snore cart now. They are also pollutants. Therefore, we are caught up in a no-win sett of situation. We don't know how to deal with it. All the same, we arc laying a great deal of emploasis on rands and highways that we have to build. Again, massive investment is called for. Again there private sector, from inside India and outside India, is being invited to participate in this. We have made some changes in our laws about land acquisition, etc., and we do hope that will attract them. I will net talk at length about the Railway because the Railway Minister must have talked about it. Nor shall I talk about Civil Aviation because I mink Civil Aviation to a very important segment of our development and soon, I thank very soon, a new Civil Aviation Policy will come before this House for discussion,

Telecoommunications. How do we develop without telecommunications? If you have to wait for five yean to get a telephone connection, then how do you develop? That is where again something needs to be done and we are doing it. We arc hoping that by tie end of the Ninth Plan, things will have dramatically changed. We are moving in that direction. I want to say this thing at mis stage dim infrastructure is the main issue before the present Government and we are very keen that infrastructure

and many mamuesi will some to you tat the next session itself.

Sir, I will not take more of your time because I know Members are setting impatient and when they give me a dirty look, I get upset. I get demoralised, if not upset. I could talk about liberalisations. I could talk about the new Economic Policy. Or, Manmohan Singh has developed the point in a great deal. The main point to, what to die new Economics Pokey about? Creation of surpluses; creation of wealth and unless we etc ante to sustain the rate of growth which we arc aiming at — 7 per cent we have reached — if we ever come to 10 per cent — only the Government cannot do is, all of us together can do it. Once we are able to achieve that, men we will have surpluses for the infrastructure; we will have surpluses also at the same time for social sector; we will have surpluses for poverty alleviation. Unless we create surpluses, how do we do it? But, one thing we must keep in mind all the time and that to we don't want to create surpluses and keep our people deprived. Development and social justice are two sides of the same com and that is how India will come stable. India's stability, India's future, India's security docs not depend only on rate of die growth. It depends a great deal on what Mrs. Gandhi's slogan was — Garibi *Hatao* Since as Minister of Information and Braodcasting I was associated win mat

slogan itself, I cone to repeal H again. It has not vanished as yet. For SOBS: SEGMENTS of the society, it ha* been, bat then oar eye must reman glued to those people who are Mill out of Hurt segment. That is why Gandhiji's wiping oat Ike tear of every eye, remain Ike man programme orientation of this Government and this Government will continue that. That is why 1 say nit Mag. Before I sit down, we are concentrating a great deal on everything that can dean public life on one side, •mate an atmoshpere where we an honestly able to deal with oar affairs and also oar eyes projected to future.

Coming back to my Urdu which I started wish, the Hindi which I started wish, I said is the beginning and that I want to repeat that mis action is now standing at a shreshold.

एक तरह के मोड़ पर खड़े हैं आप। इकबाल ने कहा था कि-

"आइने-नौ से डरना, तर्जे कोहन पर अड़ना,

मंजिल यही कठिन हैं कौमो की जिंदगी में"

If we get sluck is that old groove, if we don't realise Ike newness and also modernisation of Ike nation, this is she most critical moment : in the Hte of any nation and hut critical moment is here.

Before. 1 ait down, Sir, I must pay my homage to the Indian armed forces. As a part of our security, these brave soldiers of oars guard our borders and at the same time, we are senfrested with a new situation, the* is, security cannot be safeguarded only by she army. Internal stability is saw security; internal peace is also security. If we always think of deploying our forces for internal peace, then to that extent, our security surffers. And that is why it is important for us to create internal tranquillity in the same fashion so that we can possibly spare these forces and their energies for safeguarding our borders. They arc doing it but one thing I must say and I have said it in the beginning and I want to repeat it before I close. Let us keep it in our mind the feet that in the past *WK*

पुराना सारा इतिहास यह हैं कि हिन्दुस्तानियों में कभी वीरता की कमी नहीं होती थी किसी स्टेज पर। हमारी कमी सिर्फ एक थीटेक्नॉलाजी की। किसर के पास तोप थी और हमारे पास सरकार थी, किसी के पास बंदूक थी तो उसके पास खड़ी तोप थी। टेक्रालॉजी से हम पिटे हैं। और मैंने यह वायदा किया हैं और यह दोहराना चाहता हूं और अपनी आर्म्ड फोसेंज को यह वसयदा करना चाहता हूं कि

We will not let them down on technology. Indian security and technology will always be updated and will be kept m modern as we can afford to and sec to it that nobody would repeat that history which we suffered in the past. I could have spoken on several subjects but I think is will be unfair on my part if I now expand my speech on those subjects. But, at Ike same time, before I sit down, may I repeat what I have said in the beginning? That was, what you have done is remarkable in the House. The basic instinct is to look at ourselves, to examine the journeys we have travelled and to look at the future. This is very important.

हिन्दुस्तान की परम्परा तो हमेशा रही हैं कि कोई वज़न हो, कोई अंजुमन हो-

वह शऊर अपना क़दीम हैं जहां रोशनी की कमी दीखे,

वहां एक चिराग जलादो।

VALEDICTORY REMARKS

MR CHAIRMAN: I place the following Resolution befors the House: We, the Members of Rajya Sabha meeting in a specially convened golden jubiles Session of both Houses of Parliament, to commemorate the completion of half a century of freedom;

Having recalled remembered with gratitude the great sacrifices made and Mat salutary service rendered by our freedom fighters,

Having recalled with deep satisfaction and pride the maturity of our pa spit in vigilantly preserving democracy and safeguarding the unity of the nation and the valour of our soldiers, sailors and airmen is service to the country;

Having reflected upon the slate of the nation with the Preamble to the Constitution M the guide;

Having then, specifically deliberated upon matters concerning our current political life, state of democracy in the country, our economy, infrastructure, science, technology and human development;

Do now solemnly affirm our joint and unanimous commitment to the issues hereinafter mentioned, and we also do solemnly resolve and direct that they he adopted as minimum tank, constituting our "Agenda for India" on this historic occasion!

That meaningful electoral reforms be carried out so that our Parliament and other legislative bodies be balanced and effective instruments of democracy; and further that political life and processes be free of the advene impact, on governance of undesirable extraneous factors including criminalisation.

That continuous and proactive efforts be launched for ensuring greater transparency, probity and accountability in public life so that the freedom, authority and dignity of the Parliament and other legislative bodies are ensured and enhanced; that more especially, all political parties shall undertake ail such steps as will attain the objective of ridding our polity or criminalisation or its influence;

That the prestige of the Parliament be preserved an enhanced, also by conscious Md dignified conformity to the entire regime of Rules of Procedure and Conduct of Business of the House and Directions of the Presiding Officers relating to orderly conduct of business, more especially by—

- maintaining the inviolability of the Question Hour,
- refraining from transgressing into the official areas of the House, or from any shouting of slogans, and.

Invariable desisting from any offorts at intarruptions of inerfarence with the address of tha President of the Republi ;

That a vigorous national campaign be launched by all political parties to combat cosustainable growth of populations recognising that such growhth lies at the roof of our human, social and economic problems;

That (duration at all levels ha made , special attention being given to quality; that achievement of the Consitstional .of he denary monitored; and that universal primary education ha achieved by A.D. 3005;

That the national economy be prudently managed, with emphasis on

* effesient use of resourees and avoidance of wastes;
* priority attention to development of
* generation of wealth as a freely chosen and productive poverty and of Hearing canity and
* balanced regional development.

That continuous efforts be nude for achieving, in a time hound manner, marked improvement in the quality of life of all citizens of our country with special emphasis on provision of our minimum needs—food, nutrition and health security at the household level; potable water; sanitation and shelter;

That gender justice be established in the spirit of the Declaration and Platform for Action of the UN Fourth World Conference on Woman (1995) and be practised as a way of life, with particular emphasis on education of the girl child;

That constant efforts be made in terms of inculention of values and adjustment of the life and working styles of our poeple to secure protection of environment and preservation of ecology and bio-diversity;

That . science and technology be primarily anchored in the creation of a scientific temper, -be developed by promotion of governmental a* wo* as non-governmental efforts ami be pressed into service not merely for economic development but human development in all its dimensions.

That, finally, the essence of participatory democracy be seen in the inculcation of our national spirit of self-reliance, in which our citizens arc equal partners in all spheres of our national endeavour, and not simply the beneficiaries of governmental initiatives.

MR. CHAIRMAN: I hope this resolution is adopted.

HON. MEMBERS: Yes

SHRI PARAG CHALIHA (Assam): Sir, I have an amendment.

HON. MEMBERS: No amendment.

MR. CHAIRMAN: No amendment. He resolution is adopted unanimously by the House. I have to inform die hon. Members that this resolution is to be signed by all Members. After I sign the resolution, the Prime Minister and Leader of the House, the Deputy Chairman and the Leaders of all Parties/ Groups would sign the resolution.

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) **:** महोदय, हमें इसकी हिन्दी की कॉपी नहीं मिली हैं।

श्री सभापति : हिन्दी की कॉपी छप गयी हैं, आपको मिल जाएगी।

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह जो साइन आप करवा रहे हैं वह हिन्दी पर भी करवाएं और अंग्रेजी वाले पर भी करवा लें।

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया : जी हां, दोनों पर करवा लें।

श्री सभापति : मैंने दोनों पर साइन किए हैं।

This session commenced on Wednesday, the 23rd July, 1§*7, and we have had 23 sittings (including 6 speck! sittings) spread over more than 134 hours.

During the session, 20 Rapess of various Parlametitary Committeoc wers presented or laid on the Table of the House.

During the Session we have passed 4 Government Bins, including return of two Bins.

We had 3 matters of Calling Attention on: (i) Diversion of funds to the tune of Rs. 4500 crores to the Personal Ledger Account by the West Bengal Government; (ii) Provision of funds for the payment of outstanding dues to the labourers and workers of CPSUs; and (iii) Power crisis in the country.

Wc had 2 Short Duration Discussions: (i) The police firing on Dalits m Mumbai and atrocities committed on them m other parts of Maharashtra; and (ii) Prevailing situation in Bihar.

During the Session, a Select Committee on the Coast Guard (Amendment) Bill, 1996 was constituted.

A Statutory Resolution seeking disapproval of the presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Ordinance, 1997 was adopted.

In the aggregate, there were 6 Statements by Prime Minister and other Ministers which occasioned a number of clarifications sought by Members.

Two references were made in the House by the Chair (i) On the Fifty-second Anniversary of the dropping of Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki; and (it) To victims of heavy floods in Himachal Pradesh.

There were also as many as 40 Special Mentions on matters of Public importance.

During the session, 340 Starred Questions, 2635 Unstarred Questions and one Short Notice Question were admitted.

8 Nominated Members subscribed Oath/Affirmation and took their seats in the House.

During Ike special sittings foam 26th August to In September, 1997, we discussed four topics i.e., Human Development and Science and Technology, Economy ana infrastructure, India and the World one day cadi and Parliamentary Democracy which spilled over three day*. ISI Members participated in the discussion. A resolution to mark the said Anniversary of India's Independence km jam bee* adopted.

I would ike to lake this oppertunity to thank the Leader of the House the , she Leader of the Opposition, Leaders ot various Parties/Groups and all the Hon'ble Member* for the kind eo-operstion extended by them HI CONDUCTION THE proceeding* of the House

I do so on behalf of Deputy Chairman, Ike Vice-Chairmen and my own behalf.

Before we adjourn, hon. Member*, I weald ike la extend to all of you my grestings and good wakes for the tank coming festivals and other auspicious

Now, Ike National Song.

(Then, Ike National Song. Vande Mataram, was played.)

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned *tine die.*

The House men adjourned, *tine die,* at forty Bat minutes past five of the dock.